खण्ड-143, अंक-1
सोमवार, 19 आश्विन, शक संवत् 1876
(11 अक्टूबर, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 143 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ११ अक्तूबर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द, खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४२)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्ननगुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्द्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पंत, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री

घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह, रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयाल शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवल किशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदत्त, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह, राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री

बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह,महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम , श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुंवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद आलम खां, श्री (सहारनपुर)
महवीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नीलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
रामप्रधार तिवारी, श्री
रामप्रधीन सिंह यादव, श्री
रामप्रनन्त पांडेय, श्री
रामप्रवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद ,श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री

रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मण दत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्रविक्रम सिंह, श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल,
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री

हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

रामपुर की गन्ना फैक्ट्री के स्थान-परिवर्तन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार तथा मिलमालिकों में पत्र-व्यवहार

**१—श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रामपुर जिले की गन्ना फैक्टरी को वहां से उठा कर अन्य ले जाने के विषय में सम्बन्धित मिलमालिकों तथा सरकार के बीच कोई पत्रव्यवहार हुआ था अथवा हो रहा है ?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—ऐसा पत्र-व्यवहार संभवतः केन्द्रीय सरकार तथा मिलमालिकों में हो रहा है, प्रदेशीय सरकार से नहीं।

**२—श्री कृष्णशरण आर्य—यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसकी नीति इस सम्बन्ध में क्या है ?

श्री हुकुम सिंह—यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री कृष्णशरण आर्य—क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रादेशिक सरकार से इस संबंध में कोई सम्मति मांगी है ?

श्री हुकुम सिंह—अभी तक तो नहीं।

श्री कृष्णशरण आर्य—क्या सरकार को ज्ञात है कि केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—चूंकि इस सम्बन्ध में उन्होंने केन्द्रीय सरकार को लिखा नहीं है इसलिए प्रश्न नहीं उठता है।

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले की सिगड़ी और घोसी तहसीलों में भयंकर आधी से क्षति

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या मालमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून सन् १९५४ में आजमगढ़ जिले की सगड़ी और घोसी तहसील में भयंकर आंधी आई थी और ओला भी पड़ा था ?

माल मंत्री के सभासचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—जून, १९५४ में घोसी तहसील के उत्तरी भाग तथा समस्त सगड़ी तहसील में भयंकर आंधी आयी थी। पानी तथा ओला भी गिरा परन्तु नाममात्र को।

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—यदि हां, तो इसमें जन व धन की क्षति हुई है और क्षतिपूर्ति के निमित्त क्या सहायता प्रदान की गई है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—इन प्राकृतिक विपत्तियों से पेड़ व पेड़ों की शाखायें बहुत संख्या में गिरीं। पेड़ों के गिरने से तहसील घोसी में २ बच्चे (चरवाहे) व ३५ बकरियां मरीं। फसल खेतों में नहीं थी इसलिये फसल को कोई क्षति नहीं हुई। अतः किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं समझी गई।

सरकार पर प्राकृतिक विपत्तियों से होने वाली क्षति की पूर्ति का उत्तरदायित्व नहीं है, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर वह आपदग्रस्तों की सहायता करती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो दो बच्चे मरे थे वह किस गांव के थे ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार ऐसे लोगों को सहायता देने के प्रश्न पर विचार करेगी कि जिनके परिवार में और कोई नहीं रहा ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जो जवाब दिया गया है उसमें है कि सरकार का प्राकृतिक क्षति को पूरा करने का कोई फर्ज नहीं है लेकिन फिर भी जो आपत्ति ग्रस्त होते हैं उनको सरकार सहायता करती है और माननीय सदस्य कह रहे हैं, मुमकिन है वह सही है, इसलिये उस पर विचार किया जा सकता है।

कुमायूं के पटवारी तथा कानूनगोओं के वेतन, भत्ते आदि के सम्बंध में परिप्रश्न

*३—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुमायूं के पटवारी तथा कानूनगो कर्मचारियों को क्या-क्या वेतन, भत्ता तथा अन्य सुविधाएं मिलती हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—कृपया संलग्न विवरण पत्र देखिये।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६९ पर।)

*४—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को मालूम है कि उपर्युक्त पटवारी और कानूनगो की जगहें अभी तक पेंसनेबिल नहीं हैं ? अगर हां, तो क्या सरकार उन्हें पेंसनेबिल बनाने पर विचार करेगी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—कुमायूं डिवीजन नैनीताल जिले की काशीपुर तहसील के अतिरिक्त पटवारियों की जगहें पेन्सनेबिल नहीं है, परन्तु उन्हें स्थायी तथा पेन्सनेबिल बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। काशीपुर तहसील के पटवारियों की जगहें अन्य मैदानी जिलों के पटवारियों की भांति पेन्सनेबिल घोषित की जा चुकी हैं।

कुमायूं डिवीजन के कानूनगोयान की जगहें पहिले से ही पेन्सनेबिल हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो पेंसनेबिल बनाने का प्रश्न है यह कब से विचाराधीन है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जब से उनकी मांग आई है तभी से विचाराधीन है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस संबंध में फैसला कब तक हो जायगा ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---कोई तारीख मुकर्रर नहीं की जा सकती ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो कुमायूं डिवीजन की खाम तराई भावर की स्टेट्स हैं उनके पटवारियों तथा कानूनगोयान को क्या वेतन तथा सुविधाएं मिलती हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---खाम का यह है कि वहां के कानूनगो का वेतन-क्रम ७५-४-९५-५-१२५ रु० है, मंहगाई भत्ता सी २५ से ३० रुपये तक, यात्रा भत्ता साढ़े १२ रुपये, कम्पेन्सेटरी एलाउन्स १० रुपये और जलवायु भत्ता साढ़े १९ रुपये हैं और ८० रुपये से अधिक पाने वाले को ६ महीने के लिये दिया जाता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार इन खाम स्टेट्स के पटवारियों और कानूनगोयान की जगहों को स्थायी और पेन्सनेबिल बनाने का विचार रखती है ?

श्री चरणसिंह---कानूनगोयान को तो पेन्सन मिलती ही है । जो बात पहिले दरियाफ्त की गई थी, वह तो जो सुविधाएं मैदान में पटवारियों और कानूनगोयान को हैं वही उनको एप्लाई करती हैं ?

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं के पटवारियों की और उत्तर प्रदेश के लेखपालों की योग्यता में कोई अन्तर है ?

श्री चरणसिंह---जो मैदानी इलाके के हैं उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मिडिल पास होती है और जो पहाड़ी इलाके के होते हैं उनकी बाबत यक़ीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता है । इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

नैनीताल तराई की भूमि के विकास पर व्यय

*५---श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि नैनीताल तराई की जमीन के विकास में कुल कितना रुपया अब तक खर्च हुआ है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---इस प्रकार के कोई आंकड़े नहीं रखे गये, परन्तु अनुमान से वित्तीय वर्ष १९४६-४७ से १९५३-५४ तक तराई के जमीन के विकास पर करीब ४५० लाख रुपया खर्च हो चुका है ।

श्री झारखंडे राय---क्या सरकार बतायेगी कि इस पूरे समय में कितनी जमीन विकास के अन्दर लायी जा चुकी है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---तराई और भावर में तो ३५, ४४० एकड़ जमीन को रिक्लेम किया जा चुका है और तराई कालोनाइजेशन एरिया में न्यू सेटलर्स के लिये ३७ हजार एकड़ जमीन काम में लायी जा चुकी है, पास्चर वगैरह के लिये १ हजार एकड़ और तराई स्टेट फार्म में १६,५०० एकड़ भूमि काम में लायी जा चुकी है ।

श्री झारखंडे राय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस विकास की पूरी स्कीम समाप्त हो चुकी है कि अभी और बाकी है ।

श्री चरणसिंह---यह जो कुल ४५० लाख रुपया खर्च हुआ है इसमें फारेस्ट, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कालोनाइजेशन, सब प्रकार के खर्च हैं । इसलिये यह अन्दाज नहीं लगाना चाहिये कि केवल रिक्लेमेशन में यह सारा रुपया खर्च हुआ है । जहां तक कालोनाइजेशन का सवाल है वह स्कीम थोड़ी सी चल रही है । इसमें कालोनाइजेशन का एरिया जो नार्मल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ४५० लाख रुपये में कितना रुपया तराई स्टेट फार्म के विकास के लिये खर्च हुआ है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---तराई कालोनाइजेशन का तो मालूम है, तराई स्टेट के लिये सूचना की आवश्यकता है ?

रहीमाबाद, जिला हरदोई के जंगल की लकड़ी की बिक्री

*६---श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रहीमाबाद (जिला हरदोई) जंगल की सफाई में जो लकड़ी कटी थी उसकी बिक्री किस विभाग द्वारा हुई और किस मूल्य पर ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---रहीमाबाद जंगल की लकड़ी की कटाई तथा बिक्री का कार्य प्रथम "प्रान्तीय रक्षक दल" और फिर "स्टेट लेबर ग्रूप" के द्वारा हुआ था। प्रान्तीय रक्षक दल ने लकड़ी को बेचने के लिये विज्ञापन निकाला परन्तु कोई ग्राहक नहीं आया फिर उन्होंने लकड़ी के बिक्री का कार्य स्टेट लेबर ग्रूप को सौंप दिया। स्टेट लेबर ग्रूप ने कटाई के स्थानों पर ही लकड़ी उठाने का ठेका टेंडर द्वारा ७ आना ६ पाई प्रति मन जड़े, तथा १२ आना प्रति मन अन्य लकड़ी के दर से दिया था। बाद में यह ठेका समाप्त कर दिया गया। और अब लेबर ग्रुप विभाग द्वारा बिक्री कर रहे हैं। अभी तक कुल रु० ९८४४१-१ की लकड़ी उन्होंने बेची है।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह जंगल किस उद्देश्य से काटा गया था और यह कितने एकड़ था ?

श्री चरणसिंह---यह ६,२०० एकड़ था और जमीन को उपयोगी बनाने के उद्देश्य से काटा गया था।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जंगल काटने से पहले क्या सरकार ने कोई उसकी लकड़ी के मूल्य का एस्टीमेट लगा लिया था ?

श्री चरणसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह ठेका क्यों समाप्त कर दिया गया था ?

श्री चरणसिंह---क्योंकि वह काम बहुत अच्छा नहीं कर सके, जैसी उनसे उम्मीद थी। कुल २७०० एकड़ कर पाये, फिर प्राशिश्यल लेबर कोर को दे दिया।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अब इस जंगल के संबंध में सरकार की क्या नीति रहेगी आगे से ?

श्री चरणसिंह---जंगल तो है नहीं। वहां फार्म्स कायम हो चुके हैं, खेती हो रही है।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो फार्म बनाकर तैयार किये गये हैं, क्या सरकार स्वयं उनको इस्तेमाल कर रही है या किसी को दिये गये हैं ?

श्री चरणसिंह---स्वयं इस्तेमाल कर रही है, और कुछ पोस्ट-बार रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, जैसी कि सरोजिनी नगर लैंड स्कूल है, उसके मातहत एक लैंड स्कूल के लिये जमीन दे दी गयी है।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय राजस्व मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस जंगल के साफ करने में कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री चरणसिंह---इसके लिय नोटिस की आवश्यकता है।

जिला अल्मोड़ा के गुन किठांड ग्राम की भूमि का बैठ जाना

*७---श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला अल्मोड़ा के बली अठो गांव का मौजा किठाड़ू चारों तरफ टूट कर खतरनाक दशा में है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---उल्लिखित नाम का कोई ग्राम जिला अल्मोड़ा में नहीं है। पट्टी पल्ला अठीगांव में एक गांव गुन किठांड अवश्य है जिसके पास की कुछ भूमि बैठ रही है, परन्तु इस ग्राम में भी भूमि कटी नहीं है।

*८---श्री खुशीराम---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस संबंध में वहां के निवासियों ने कोई प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---गुन किठांड के निवासियों ने एक प्रार्थना-पत्र एस० डी० ओ० बायें मंडल को इस संबंध में दिया था जिसे सुपरिंटेंडेंट, तराई और भावर को इस सिफारिश के साथ कि प्रार्थियों की तराई भावर में या अन्यत्र भूमि देने का प्रबन्ध किया जाय, भेज दिया गया था।

श्री खुशीराम---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस गांव के संबंध में जांच किस अफ़सर के मातहत और कब करायी गयी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री खुशीराम---क्या माननीय मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि जब उत्तर में कहा गया है कि इस गांव का कुछ हिस्सा बैठ गया तो किस आधार पर कहा जाता है कि वह गांव के लिये खतरनाक बात नहीं है। जब कि गांव.....

श्री अध्यक्ष---आप तो वादविवाद कर रहे हैं।

श्री खुशीराम---इस पर कुछ खतरा पैदा हुआ या नहीं, जब गांव की जमीन बैठ गयी ?

श्री चरणसिंह---सवाल यह था कि जमीन कटी है या नहीं। जवाब यह है कि जमीन कटी नहीं है। कुछ हिस्सा बैठ गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो खास सुपरिंटेंडेंट, तराई-भावर को पत्र उनको जमीन देने के लिए लिखा गया था, उस संबंध में खास सुपरिन्टेंडेंट ने क्या कार्यवाही की ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---अभी कोई रिपोर्ट नहीं मिली।

जिला हमीरपुर में टिड्डों से जुवार की खेती को हानि

*९---श्री श्रीपति सहाय (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार को मालूम है कि जिला हमीरपुर में जुवार की खेती को छोटे-छोटे फुदकने वाले टिड्डों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है ? यदि हां, तो सरकार ने इन टिड्डों को समाप्त करने के क्या उपाय सोचे हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---जुलाई के प्रारम्भ में वर्षा की कमी के कारण फुदकने वाले टिड्डों द्वारा हमीरपुर तहसील के कुछ ग्रामों में ज्वार की फसल को यत्र-तत्र हानि पहुंचने की सूचना मिली थी। इन टिड्डों को नष्ट करने के उपाय मालूम हैं, और गत कई वर्षों से प्रदेशीय कृषि रक्षा सेवा (Plant Protection Service) द्वारा उपयोग में लाये भी जा रहे हैं।

श्री श्रीपति सहाय---क्या सरकार को मालूम है कि किसानों को इस बात की जानकारी बहुत कम है सरकार कीड़े, पतंगों से जो हानि फसल को होती है उसकी रक्षा करती है, अतः सरकार उसका प्रचार करने की कृपा करेगी ताकि किसान उसको जान जायं ?

श्री चरणसिंह---कीड़े और टिड्डों की बाबत ही नहीं, जो साधन और सब मामलों के सिलसिले में प्रचार करने के लिये हैं, उन्हीं साधनों से इस संबंध में भी काम लिया जाता है। पंचायत राज पत्रिका है, कृषि और पशुपालन निकलता है, अखबारों में लेख निकलते हैं, सदन में भाषण होते हैं, रेडियो में पंचायत घर द्वारा किसानों से सम्पर्क स्थापित किया जाता है, फिर इतने माननीय सदस्य हैं, वे यहां से जाकर बातों को सुनाते हैं। हमारे गांव के ९५ फीसदी लोग बेपढ़े लिखे हैं, उनके लिये जबानी प्रचार की आवश्यकता होगी, जिसके लिये अफ़सरान ज्यादा मुफीद साबित नहीं हो सकते।

जिला हमीरपुर के हरिजन लेखपाल

*१०---श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि जिला हमीरपुर में तहसीलवार लेखपालों की क्या संख्या है तथा प्रत्येक तहसील में कितने लेखपाल हरिजन है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---प्रत्येक तहसील हमीरपुर मौदहा राठ महोबा चरखारी

में लेखपालों की संख्या	६२	९०	९९	७०	७१
हरिजन लेखपालों की संख्या	४	४	६	–	१

*११---श्री जोरावर वर्मा---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् ५४ में अब तक कितनी नई नियुक्तियां हुई और तहसीलवार उसमें हरिजनों की क्या संख्या है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य-

नियुक्तियों की संख्या जो कि सन् ५४ में हुई ..	११	८	१८	५	५
इन नियुक्तियों में हरिजनों की संख्या ..	४	४	१	–	–

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि महोबा तहसील में एक भी हरिजन लेखपाल क्यों नियुक्त नहीं किया गया ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---महोबा तहसील में किसी भी हरिजन लेख पालकी दरख्वास्त नहीं आई।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि प्रश्नकर्त्ता ने स्वयं ५ हरिजन बालकों को, जो मिडिल पास हैं, रिकमेंड किया था लेकिन किसी को नहीं लिया गया ?

श्री चरणसिंह---ऐसा तो मालूम नहीं है और यह भी नहीं मालूम है कि कब रिकमेंड किया और वे क्वालिफाइड भी हैं या नहीं।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जो हरिजन नियुक्त हुये हैं वे सिर्फ हरिजनों के अन्दर एक ही जाति के हैं या विभिन्न जाति के हैं और अगर विभिन्न जाति के हैं तो किस किस जाति के हैं ?

श्री चरणसिंह---इस तरह के कोई आंकड़े नहीं रक्खे जाते हैं।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि प्रत्येक तहसील में हरिजन लेखपालों की संख्या बहुत कम है तो क्या वह कोई ऐसी स्कीम लागू करने जा रहे हैं जिससे हरिजनों के लिये जो १८ परसेंट का रिजर्वेशन है उसके अनुसार नियुक्तियां हो सकें ?

श्री चरणसिंह---हरिजन सारे सूबे में शायद एक भी पटवारी नहीं था। अब १३ हज़ार जो नई नियुक्तियां हुई हैं उनमें ५ प्रतिशत यानी ७०० के करीब हरिजन हैं। लेकिन

बहुत सी जगहों पर दरख्वास्तें नहीं आई अब जो माननीय सदस्य का सुझाव है आगे की नियुक्तियों में इस बात की कोशिश की जाय कि उनका कोटा पूरा हो जाय इस पर विचार किया जायगा।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय राजस्व मंत्री को जानकारी है कि सरकारी अधिकारी लेखपाल और चपरासियों को मुकर्रर करने में इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर विरोधी दल के सदस्यों की रिकमेंडेशन हो तो उन लोगों को नौकरी में स्थान नहीं दिया जायगा?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता। यह आक्षेप है।

महोबा और चरखारी तहसीलों में भूमिधरी की सनदें

*१२---श्री जोरावर वर्मा---क्या माल मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि तहसील महोबा और चरखारी में अभी कितने ऐसे केस हैं जिनका दस गुना रुपया तो जमा है पर उनको भूमिधरी की सनद नहीं मिली है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---एक भी नहीं।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इन तहसीलों में से प्रत्येक तहसील में कई हजार रुपया दस गुना लगान का पड़ा हुआ है, लेकिन सनदें नहीं दी गईं?

श्री अध्यक्ष---जवाब इस प्रकार दिया जा चुका है कि "एक भी नहीं।" लिहाजा यह सवाल उठता नहीं।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय राजस्व मंत्री फिर से जांच करने की कोशिश करेंगे कि जो आंकड़े दिये गये हैं वे सत्य नहीं हैं?

श्री चरणसिंह---आंकड़े बिल्कुल सही हैं। सिर्फ समझ का फेर है। हां, ६३ दरख्वास्तें महोबा में और ६९ चरखारी में ऐसी जरूर हैं, जिन्होंने रुपया जमा किया है, लेकिन पूरा जमा नहीं किया। जिन्होंने पूरा जमा किया है उन सबको सनदें मिल गई हैं। जिन्होंने नाकाफी रुपया जमा किया है उनको सनद दी नहीं जा सकती थी।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन्होंने पूरा रुपया जमा नहीं किया है, उनका रुपया लौटाने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है।

श्री चरणसिंह---जब भी वे दरख्वास्त दे दें रुपया वापस ले लें।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस जिले में कितनी रकम ऐसी है जिसके एवज में सनद नहीं दी गई है?

श्री अध्यक्ष---यह इससे नहीं उठता।

*१३---श्री जोरावर वर्मा---[हटा दिया गया।]

पशु चिकित्सा तथा पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा में परिगणित जाति के छात्र

*१४---श्री जोरावर वर्मा---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस समय पशु चिकित्सा तथा पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा में कितने विद्यार्थी ट्रेनिंग पा रहे हैं और उनमें कितने परिगणित जाति के हैं?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---इस वर्ष पशु चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन महाविद्यालय, मथुरा में कुल ३२५ छात्र हैं जिनमें दो परिगणित जाति (Scheduled caste) के हैं?

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस स्कूल में हरिजनों के एडमिशन के लिये कुछ रिजर्वेशन है ?

श्री चरणसिंह—नहीं है ।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि देश में पशु चिकित्सकों की अधिक आवश्यकता को महसूस करते हुये क्या विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने का सरकार विचार रखती है ?

श्री चरणसिंह—जी हां, इस बात पर विचार हो चुका है। पहले ६० विद्यार्थी वहां प्रतिवर्ष लिये जाते थे। अब पिछले वर्ष से १०० विद्यार्थी वहां पर लिये जा रहे हैं। मैं आपकी इजाजत से यह भी कहना चाहता हूं कि हरिजन नवयुवकों ने पिछले ७, ८ वर्ष में दोनों दरख्वास्त दी थी और उनको ले लिया गया था। उनमें से एक तो रहा और एक छोड़कर चला गया था। ५२–५३ के इन्टरव्यू में ३ हरिजन विद्यार्थी लिये गये थे उनमें से भी एक विद्यार्थी छोड़कर चला गया है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस कालेज में जो एडमिशन होता है उसका कोई नियम है ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं यह व्यर्थ का सवाल है यह सब जानते हैं कि हर एक कालेज में एडमिशन के नियम हुआ करते हैं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो हरिजन विद्यार्थी छोड़कर चले गये हैं वह स्कालरशिप न मिलने की वजह से छोड़कर चले गये हैं ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, मैं समझता हूं कि यह कारण नहीं है। अभी तो स्कालरशिप मिलने या न मिलने का सवाल ही नहीं था।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जो छात्र यहां पर शिक्षा पाते हैं उनको कोई छात्रवृत्ति या सहायता दी जाती है ?

श्री चरणसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

मुजफ्फ़रनगर जिले में चकबन्दी से सम्बन्धित कर्मचारियों में हरिजन

*१५—श्री रामदास आर्य—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जुलाई, १९५४ में मुजफ्फरनगर चकबन्दी के संबंध में कितने क्लर्क और चपरासी आदि रखे गये हैं और उनमें कितने हरिजन हैं ?

श्री चरणसिंह—जुलाई सन् १९५४ में जिला मुजफ्फरनगर में चकबन्दी के संबंध में कुल २९ क्लर्क और ९० चपरासी रखे गये। उनमें २ क्लर्क और १४ चपरासी हरिजन हैं।

श्री रामदास आर्य—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १८ प्रतिशत के हिसाब से क्लर्क ५ और चपरासी १६ रखने चाहिये थे तो इस १८ प्रतिशत को वह क्यों पूरा नहीं कर सके ?

श्री चरणसिंह—७५ लड़कों का इम्तहान लिया गया था तो इनमें २९ लड़के पास हुये और इनमें केवल २ हरिजन थे। तो कोई कारण नहीं दिखाई देता कि जो पास हुये उनको न लिया जाय और जो पास नहीं हुये उनको लिया जाय।

जिला अधिकारियों की मोटरों के लिए तेल की व्यवस्था

*१६--श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि जिला अधिकारियों को जो मोटरकार दिये गये हैं उनके लिये तेल लेने की व्यवस्था 'रोडवेज' से ही है ?

श्री हुकुम सिंह--जी हां । लेकिन किसी किसी खास रूट पर प्राइवेट पेट्रोल पम्प से पट्रोल लेने की आज्ञा है, जैसे यदि कहीं रोडवेज पेट्रोल पम्प न हो या उस स्थान से जहां गाड़ी आम तौर पर रहती है काफी दूर पर हो।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अन्य व्यापारियों से तेल खरीदने का प्रतिबन्ध क्यों लगाया गया है ?

श्री हुकुम सिंह--इसमें कुछ कंसेशन मिल जाता है ।

जिला नैनीताल के रामनगर ग्राम में ट्रैक्टरों का सामान

*१७--श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि रामनगर ग्राम तराई भाबर, जिला नैनीताल, तहसील किच्छा में ट्रैक्टर तथा ट्रैक्टर के बहुत से सामान बहुत समय से बेकार पड़े हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह--रामनगर ग्राम तराई भाबर, जिला नैनीताल, तहसील किच्छा में कोई ट्रैक्टर अथवा ट्रैक्टर का सामान बेकार नहीं पड़ा है । अतः बेकार पड़े रहने का कारण का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बद्रीनारायण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी हाउस के कुछ सदस्यों को वहां भेजकर जांच करायेंगे कि वह सामान पड़ा है या नहीं ?

श्री चरणसिंह--किसी माननीय मित्र को तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल यह था कि सामान बेकार पड़ा है । वहां पर कुछ स्पेयर सामान स्टोर्ड रहता है । उसमें से तीन बटा चार पार्ट्स तो सब जगह तकसीम हो चुके हैं और बाकी वहां पर स्टोर में हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि रामनगर ग्राम में जो सरकारी ट्रैक्टरों का सामान पड़ा हुआ है वह शुरू से ही जब से वह खरीद कर आया है, काम में नहीं लाया गया है ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं, यह बिलकुल गलत है । ७५ फीसदी काम में आ चुका है जो तकसीम हो चुका है और जो बाकी एक चौथाई है वह गवर्नमेंट फार्म पर स्टोर्ड हैं ।

जिला प्रतापगढ़ के अग्नि-क्षति-ग्रस्त ग्रामों को सहायता

*१८--श्री राजाराम किसान (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को विदित है कि मौजा जूही, कटरा व वीरगढ़, तहसील व जिला प्रतापगढ़ में मई व जून, १९५४ में अग्नि के प्रकोप के कारण बहुत से घर जल गये और बहुत आर्थिक व शारीरिक हानि हुई ?

श्री चरणसिंह--जी हां, इन तीनों ग्रामों में अग्नि के प्रकोप से लगभग १८,९५० रुपये की हानि हुई तथा एक वृद्धा वीरगढ़ में जल कर मर गई ।

*१९--श्री राजाराम किसान (अनुपस्थित)--यदि हां, तो क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है उनको सरकार ने क्या सहायता प्रदान की है ?

नोट--प्रश्न संख्या १६ श्री धनुषधारी पांडेय ने पूछा ।

श्री चरणसिंह—सरकार द्वारा ५०० रुपये अहेतुक सहायता तथा ५००० रुपये तकावी वितरण के लिये स्वीकृत किया गया था। अहेतुक सहायता के वितरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ी तथा १०८५ रुपये तकावी के रूप में वितरित किये जा चुके हैं शेष धन भी यदि लोग चाहें तो तकावी के रूप में ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त ४४३ रुपये २ आने की मालगुजारी में छट दिये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

२५० से कम जनसंख्या वाले गांवों को बड़े गांवों में मिलाना

*२०—श्री परमेश्वरी दयाल (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो गांव २५० या इससे कम आबादी के थे, वे पास के बड़े (२५० से अधिक आबादी) गांव में मिला दिये गये ? यदि हां, तो अब जो नये गांव बनेंगे, उन्हें सरकार गजट में कब प्रकाशित करेगी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जी नहीं। सरकार शीघ्र ही गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके २५० से कम आबादी वाले छोटे गाँवों के पड़ोस के बड़े गांवों से मिला कर या ऐसे छोटे गांवों को एक ऐसी इकाई में परिणित कर, जिसकी आबादी साधारणतया १००० से अधिक न होगी, नये गांव समाज बनाने का विचार कर रही है । इस प्रकार के गांव समाजों की धारा ३, (२५) जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत गांव घोषित करने की कार्यवाही चकबन्दी के सिलसिले में की जायगी।

श्री परमेश्वरी दयाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक जिले से २५० से कम आबादी वाले गांवों को पड़ोस के बड़े गांवों में मिला कर उसकी सूची सरकार के पास भेज दी गयी है ?

श्री चरणसिंह—जी हां, ४१ जिलों से ऐसी सूचना आ गयी है जिनके बारे में बहुत जल्द ही नोटीफिकेशन जारी किया जायगा ।

श्री परमेश्वरी दयाल—क्या सरकार सूची के सुधार के लिये और जनता की इत्तला के लिये भी नोटीफिकेशन जारी करेगी ?

श्री चरणसिंह—इस तरह से नोटिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, जो पहले अहकाम जारी हुये थे उसमें शामिल था कि जनता की इच्छा को मालूम कर लिया जाय । नोटीफिकेशन होने के बाद अगर कोई गल्ती मालूम हुई तो उसमें सुधार कर दिया जायगा, लेकिन यह जो सूची प्रकाशित होगी यह फाइनल होगी ।

श्री परमेश्वरी दयाल—यह नोटीफिकेशन कब तक हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दिया जा चुका है ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जितने छोटे गांवों को बड़े गांवों में मिलाने का प्रयत्न किया जा रहा है वह सरकार अपनी मरजी से कर रही है अथवा गांव वालों की मरजी भी उसने मालूम की गयी है ?

श्री चरणसिंह—जी हां, गांव वालों की मरजी का ख्याल किया गया है । ऐसा भी ख्याल किया गया है कि अगर दो गांवों के बीच में कोई नदी नाला आ गया है तो उनको नहीं मिलाया गया ।

जिला मुज़फ़्फ़रनगर की विभिन्न अदालतों में स्थगित मुक़दमें

*२१—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ सितम्बर, १९५४ को मुजफ्फरनगर जिले की विभिन्न अदालतों में अर्थात् तहसीलदारों, एस० डी० एम०, जुडिशियल मजिस्ट्रेट व ए० डी० एम० के यहां माल के कुल कितने मुकद्दमात एक वर्ष से अधिक काल से pending हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—तहसीलदार व ए० डी० एम० की अदालत में कोई नहीं। एस० डी० एम० की अदालतों में पांच तथा जुडीशिलि मैजिस्ट्रेट की अदालतों में ४७५। जुडिशिलि मैजिस्ट्रेट की अदालतों के मुकदमों में से ३१३ मुकदमे स्थगित (stayed) हैं।

*२२—श्री वीरेन्द्र वर्मा (अनुपस्थित)—क्या माल मंत्री इन pending मुकद्दमात को जल्दी ही फैसला करने के बारे में आवश्यक आदेश संबंधित अधिकारियों को जारी करने का विचार रखते हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जिलाधीश ने संबंधित अधिकारियों को इस आशय का आदेश दे दिया है।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह जो ४७५ मुकदमे जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों की अदालतों में बताये गये हैं, यह ३१३ भी जो स्टेड हैं वह भी उन्हीं में शामिल हैं या उनके अलावा हैं ?

श्री चरणसिंह—यह तो जवाब में ही बताया गया है कि जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों की अदालतों के मुकदमों में से ही ३१३ स्थगित हैं।

श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि दुरुस्ती कागजात और दाखिल-खारिज के कितने मुकदमे एक साल से अधिक के हैं ?

श्री चरणसिंह—अलग-अलग तादाद मौजूद नहीं है, कुल मुकदमों की संख्या मौजूद है।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों की अदालतों में इतनी बड़ी संख्या में मुकदमें क्यों स्थगित हैं ?

श्री चरणसिंह—इसका कारण तो जवाब में दिया जा चुका है और जो अभी उपप्रश्न हुये उनमें भी जबाव में दिया जा चुका है, अगर माननीय सदस्य सुनने की कोशिश करते तो उनको मालूम हो जाता। चूंकि ३१३ स्टेड हैं इसी वजह से तादाद ज्यादा है।

श्री बलवन्त सिंह—यह जो मुकदमे एस० डी० एम० साहबान की अदालतों में बताये गये हैं, क्या सरकार ने इस बात की भी जांच की है कि जो दरख्वास्तें ग्रामसभा के प्रधानों की जमीनों पर इल्लीगल कब्जे की आई हैं वह भी क्या इन्हीं में शामिल की गई हैं ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, वह शामिल नहीं हैं। यह मैं उनको बता दूं और उनको मालूम होना चाहिये कि अभी जब मैं मुजफ्फरनगर गया था तो वहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कहा था कि ऐसी जमीनों की डेलीवरी मिल रही है और ग्रामसमाजों की जमीनों पर, नाजायज कब्जे की जो जमीनें हैं वह वापस दिलाई जा रही हैं और उन्होंने बताया है कि १३–१७ सितम्बर से काम शुरू हो गया है।

तहसील मुहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर में बाढ़ के कारण मालगुजारी में

*२३—श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील मुहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर में १९५३ के बाढ़ के कारण कितने गांवों में १९५४ की मालगुजारी में छूट दी गई ?

प्रश्न संख्या २१–२३ श्री बलवन्त सिंह ने पूछे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—तहसील मुहम्मदाबाद में १९५३ की बाढ़ और अत्यधिक वर्षा के कारण १२६ ग्रामों में खरीफ १३६१ फसली में मालगुजारी की छूट दी गई और ५ ग्रामों में छूट देने का प्रश्न विचाराधीन है।

*२४—श्री शिवपूजन राय—क्या यह सही है कि सिउरी, भोलम अमहट ग्रामों का खरीफ का लगान माफ था वह वसूल कर लिया गया है और उसकी मिनहाई रबी में भी नहीं दी गई है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—केवल कुछ व्यक्तियों से मालगुजारी की वसूली हो गई थी परन्तु उन्हें उसकी मिनहाई रबी १३६१ फसली में दे दी गई।

*२५—श्री शिवपूजन राय—क्या सरकार छूट की रकम जो अमीनों ने काश्तकारों से वसूल करली है काश्तकारों को वापस करने की कृपा करेगी?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—प्रश्न २४ के उत्तर में दी हुई सूचना से यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री शिवपूजन राय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन पांच गांवों के प्रश्न विचाराधीन होने का कारण क्या है?

श्री चरणसिंह—इसका क्या जवाब दिया जाय नीचे से रिपोर्ट न आने के कारण ही देर हुई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि जिन गांवों की मालगुजारी की माफी का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है, उनकी मालगुजारी वसूल की जा चुकी है?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। वह तो जिन दो गांवों में ऐसा हुआ है उसकी बाबत कहा गया है और वह मुजरा भी हो चुका है।

श्री गेंदासिंह—मालगुजारी वसूली की माफी का प्रश्न कब से सरकार के विचाराधीन है?

श्री अध्यक्ष—यह तो व्यर्थ का सवाल है क्योंकि यह छूट बाढ़ के कारण हुई है और बाढ़ के वक्त से ही यह विचाराधीन हो सकता है।

श्री गेंदासिंह—जो प्रश्न सरकार के सामने मालगुजारी की माफी का विचाराधीन है वह किस फसली का है और कब से विचाराधीन है?

श्री चरणसिंह—१३६१ खरीफ फसली का सवाल है लिहाजा दूसरी फसली का नहीं हो सकता है। ये ५ गांव वे हैं जिनकी बाबत श्री शिव पूजन राय जी ने कई दरख्वास्तें पहले दी उसकी तहकीकात हुई। उन्हीं का प्रश्न विचाराधीन है यह नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या तहसीलदार को अख्तियार है कि वह फौरन उसको मुल्तवी कर दे। लैंड रिफार्म्स कमिश्नर के यहां इत्तिला आती है फिर वहां से गवर्नमेंट को आती है। इसमें कोई बेजा बात नहीं है कि वह प्रश्न विचाराधीन है।

*२६-२७—श्री बलवन्त सिंह—[१४ अक्तूबर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या २१-२२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

जिला गोरखपुर के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों को सहायता

*२८—श्री शुकदेव प्रसाद (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की तहसील महराजगंज (दक्षिणी) में रोहनी और छोटी गन्डक नदियों के कारण कौन-कौन से ग्राम बाढ़ग्रस्त हुये तथा उन गांवों में अनुमानतः कितने की क्षति हुई ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील के दक्षिणी एवं पूर्वी भागों में छोटी गंडक एवं रोहिनी नदियों की बाढ़ के कारण ८५ ग्रामों में अनुमानतः १३,३९,२५० रुपये की क्षति हुई। इन ग्रामों का नाम संलग्न सूची में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७० पर।)

*२९—श्री शुकदेव प्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त बाढ़-ग्रस्त गांवों को कितने रुपये की तथा किस रूप में तात्कालिक सहायता दी गई और इस समय उनके भरण-पोषण के लिये सरकार द्वारा क्या व्यवस्था है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—इस क्षेत्र के लोगों की निम्नलिखित सहायता की गई :—

	रुपये
१—सरकारी धन से अन्न वितरण	३०००
२—स्थानीय दाताओं द्वारा अन्न वितरण ..	२५००
३—बीज तथा बैल के लिये वितरित तकावी ..	२०,०००
४—तकावी जो अब वितरित की जा रही है ..	१,३०,०००

५—पशुओं को चरने के लिये सरकारी वनों में निःशुल्क व्यवस्था की गई।

६—५००० मनुष्यों तथा १५००० पशुओं को बाढ़ क्षेत्र से निकाल कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।

७—टेस्ट वर्क भी चालू करने का विचार है।

श्री केशव पांडेय—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जिन गांवों की तालिका दी गयी है उसमें कितने एकड़ की फसल इस बाढ़ के कारण बरबाद हुई ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—रोहिनी नदी से जो हुई वह तो ६,७६१ एकड़ है और गंडक से जो हुई वह ६,४३२ एकड़ है।

श्री केशव पांडेय—क्या सरकार को मालूम है कि रोहिन नदी के पूर्वी किनारे पर एक बांध था जो अब बिलकुल रद्दी हालत में हो गया है ?

श्री चरणसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

*३०-३२—श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—[स्थगित किये गये।]

बलिया जिले पर टिड्डियों का आक्रमण

*३३—श्री शिवमंगल सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस वर्ष हाल में टिड्डी दल के आक्रमण से बलिया जिले की किन-किन तहसीलों में फसल को क्षति पहुंची है ?

श्री चरणसिंह—इस वर्ष बलिया जिले की तीनों तहसीलों में कहीं-कहीं टिड्डी दल का आक्रमण ३० जून तथा १ जुलाई को हुआ, परन्तु फसल को कोई विशेष क्षति नहीं पहुंची।

नोट—प्रश्न संख्या २८-२९ श्री केशव पांडेय ने पूछे।

*३४—श्री शिवमंगल सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि जिन क्षेत्रों में फसल को नुकसान पहुंचा है उसके लिये सरकार क्या कर रही है?

श्री चरणसिंह—प्रश्न नहीं उठता।

बहराइच जिले में बाढ़-पीड़ितों के लिए सहायता

*३५—श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले में इस समय बाढ़-पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के लिये कितनी सरकारी नावें हैं?

श्री चरणसिंह—बहराइच जिले में इस समय बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिये २९ सरकारी नावें हैं?

*३६—श्री बसन्तलाल शर्मा (अनुपस्थित)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त नावें किस-किस तहसील में किन-किन स्थानों पर किस की देख-रेख में रक्खी गयी हैं?

श्री चरणसिंह—नावें गांव सभाओं की देख-रेख में रक्खी गयी हैं। स्थान आदि का विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७१ पर।)

*३७—श्री बसन्तलाल शर्मा (अनुपस्थित)—क्या माल मंत्री कृपया बतलायेंगे कि इस वर्ष बाढ़ सहायतार्थ बहराइच जिले के लिये कितना धन किस रूप में सरकार की ओर से स्वीकृत हुआ है?

श्री चरणसिंह—बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये इस साल सरकार ने १५,००० रुपया अहेतुक सहायता, ६ लाख रुपया तकावी तथा १०,००० रु० टेस्ट वर्क्स के रूप में स्वीकृत किया है।

मिर्जापुर जिले में दुर्भिक्ष ग्रस्त लोगों को सहायता

*३८—श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि मिर्जापुर जिले में गत वर्ष के बाढ़ व ओला से पीड़ित किसान सम्प्रति सूखा से दुर्भिक्ष के शिकार बन गये हैं? यदि हां, तो सरकार पीड़ित लोगों के हितार्थ क्या उपाय सोच रही है?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—यह सही है कि मिर्जापुर जिले में इस वर्ष वर्षा बहुत कम होने के कारण फसल को हानि पहुंची है।

इस स्थिति में प्रभावित लोगों की सहायतार्थ सरकार ने तकावी की वसूली स्थगित कर दी है।

मालगुजारी में छूट आदि के लिये कागज तैयार किये जा रहे हैं और लोगों को नियमानुसार छूट दी जायगी या वसूली स्थगित कर दी जायगी।

यदि आवश्यक हुआ तो टेस्ट वर्क भी खोले जायेंगे।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार उन पीड़ित लोगों को कुछ सहायता मुफ्त भी देने का विचार रखती है?

श्री चरणसिंह—फिलहाल नहीं।

*३९—श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर)—[१३ अक्तूबर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ६५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४०—श्री नारायणदत्त तिवारी—[स्थगित किया गया।]

*४१—श्री रामभजन शर्मा (जिला खीरी)—[स्थगित किया गया।]

नोट—प्रश्न संख्या ३८ श्री रामस्वरूप ने पूछा।

*४२—श्री रघुवीरसिंह (जिला मेरठ)—[स्थगित किया गया।]

४३-४४—श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)—[स्थगित किये गये।]

*४५—श्री रामसुन्दर पांडेय—[स्थगित किया गया।]

*४६-४८—श्री उमाशंकर—[स्थगित किये गये।]

देवरिया जिले की सलेमपुर तहसील में टेस्ट वर्क

*४९—श्री बद्रीनारायण मिश्र—क्या सरकार कृपा करक बतायेगी कि तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया में कहां-कहां बाढ़ क्षेत्र में टेस्ट वर्क हो रहा है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया में निम्नलिखित सड़कों पर टेस्ट वर्क हो रहा है :—

१—बरहज-रुद्रपुर
२—भागलपुर-मुसइला
३—सलेमपुर-पिंडी
४—मझौली-प्रतापपुर
५—सलेमपुर-लार

श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सलेमपुर-लार रोड और सलेमपुर-पिंडीरोड, ये दोनों भिन्न-भिन्न रोड हैं या एक ही रोड के नाम हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—नाम तो भिन्न-भिन्न दिये हुये हैं। वैसे सम्भव है कि वह दूर तक फैली हो, माननीय सदस्य इसको अधिक जानते होंगे।

सलेमपुर तहसील में बेलपार ताल से नाला निकालने की योजना

*५०—श्री बद्रीनारायण मिश्र—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि बेलपार ताल, तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया की बाढ़ से कितना खेत प्रति वर्ष डूब जाता है और उस पानी को निकालने के सम्बन्ध में सरकार क्या सोच रही है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—देवरिया जिले के ग्राम बेलपार पंडित के ताल से वर्षा ऋतु में पानी भर जाने से लगभग १५० एकड़ खेती को हानि पहुंचती है। इस पानी को निकालने के लिये एक नाला बनवाने की योजना सरकार के विचाराधीन है।

श्री बद्रीनारायण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह नाला कहां से काट कर कहां तक मिलाया जायगा ?

श्री चरणसिंह—यह तो ठीक से नहीं मालूम है कि यह नाला कौन से गांव से कहां तक जायगा लेकिन पहली अगस्त, १९५४ को डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में यह मामला पेश हुआ, पहले भी कई बार पेश हो चुका है। एस० डी० ओ०, श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, एम० एल० ए० मौके पर मौजूद थे लेकिन गांव वाले रजामन्दी से नाला खोदने के लिये जमीन देने को तैयार नहीं हुए। अब गवर्नमेंट जमीन एक्वायर करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

आगरा जिले में चम्बल तथा यमुना नदियों के किनारे गहन वृक्षारोपण की योजना

*५१—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले में चम्बल और यमुना नदी के किनारे जो जमीन वन विभाग ने वृक्षारोपण के लिए ली है उसमें वृक्ष लगाने की क्या योजना है और वह कब तक कार्यान्वित होगी ?

श्री चरणसिंह—राजस्थान के निकटस्थ इस प्रदेश की भूमि को रेगिस्तान में परिवर्तित होने से बचाने तथा आगरा, मथुरा और इटावा जिलों में यमुना, चम्बल तथा कुवारी नदियों के किनारे की कटी हुई जमीन को सुरक्षित रखने के लिये प्रदेशीय सरकार

ने गहन वृक्षारोपण की योजना चलायी है। इसके अन्तर्गत सन् १९५३–५४ तक ५,२९५ एकड़ तथा सड़क के किनारे २० मील में वृक्षारोपण हो गया है। सन् १९५४–५५ तथा १९५५–५६ में क्रमशः ६,७०० एकड़ तथा २८ मील सड़क के किनारे और ७,००० एकड़ तथा ६४ मील सड़क के किनारे वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। इसके पश्चात् १९५६–५७ से १९६०–६१ तक प्रति वर्ष ८,००० एकड़ में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)— [१४ अक्तूबर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जिला बस्ती में शाहपुर से बढ़नी तक बस सर्विस चलाने की मांग

२—श्री रामलखन मिश्र—क्या सरकार बस्ती जिले में शाहपुर से बढ़नी स्टेशन तक बस सर्विस चालू करने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिन सड़कों पर रोडवेज बसें चलाने का विचार है उसमें शाहपुर-बढ़नी मार्ग शामिल नहीं है। यदि सम्भव हुआ तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस मार्ग को लिया जा सकेगा।

कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव बहुत देर में आया है और मैं उसके ऊपर कल ही विचार करूंगा।

विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना

श्री कल्याणचन्द्र मोहिले (जिला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे इलाहाबाद के सम्बन्ध में एक कामरोको प्रस्ताव आया था। उस सम्बन्ध में हमारे माननीय सदस्यों ने कुछ बयान किये हैं.....

श्री अध्यक्ष—आपने जो अभी नोटिस दी है उसके सम्बन्ध में कहना चाहते हैं?

श्री कल्याणचन्द्र मोहिले—मेरा ऐडजर्नमेंट मोशन नहीं है।

श्री अध्यक्ष—आप तो प्रिविलेज का मोशन ला रहे हैं?

श्री कल्याणचन्द्र मोहिले—जी हां।

श्री अध्यक्ष—मैं उसकी इजाजत नहीं देता। मैंने समझा कि आप कोई मिस-लेनियस बात कहना चाहते हैं।

श्री कल्याणचन्द्र मोहिले—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—तो उसके लिये तो जब इजाजत मिल जाय तभी आप कह सकते हैं। मैं देख लूंगा कि वह सदन में उपस्थित हो भी सकता है या नहीं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल सदस्य (राष्ट्रीय नियोजन ऋण) (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५४

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाब वाला, मैं उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (राष्ट्रीय नियोजन ऋण) (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५४, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने पारित किया है, की कापी सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७२–७३ पर।)

*इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष––इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर विवाद जारी रहेगा । माननीय उपाध्यय जी बोल रहे थे । (उपाध्यक्ष जी से) आप का भाषण ५ मिनट हो चुका था।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)––अध्यक्ष महोदय, उस दिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक पर भाषण देते हुए मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो खराबियां आ गई थीं और जिनकी वजह से ही माननीय मंत्री जी को यह अमेंडिंग बिल लाना पड़ा, उनकी ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित कर रहा था। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने उस दिन कहा मुझे आज भी दुःख है इस बात का कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिये, जिसके बारे में हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने तारीफ के पुल बांध दिये यह कह कर कि देश के बड़े-बड़े एडमिनिस्ट्रेटर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही निकले हुए हैं, उसके लिये आज सरकार यह अमेंडिग बिल ला रही है। यह सुन कर मुझे बड़ा अफसोस हुआ और इसलिये हुआ कि उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ बुराइयां नहीं कहीं। आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हालत ऐसी खराब है, अध्यक्ष महोदय, कि उसे सुधारने की बड़ी आवश्यकता है पर हमें यह देखना है कि उसको सुधारने वाले लोग कौन हैं? उसे सुधारेंगे कौन? क्या जो खराबियां आज वहाँ मौजूद हैं उनकी पूर्ति यह बिल कर देता है? क्या उन खराबियों को इससे दूर किया जा सकेगा? वही स्टाफ है, वही प्रोफेसर हैं, वही एकेडेमिक कौंसिल हैं, वही सब चीज है सिर्फ एक वाइस–चांसलर के चुनाव में कुछ तब्दीली हो रही है। उसमें यह किया जा रहा है कि किस तरह से वाइस–चांसलर छांटा जाय। आज तक जिस तरह से पार्टीबाजी में वाइस–चांसलर का चुनाव होता था उसमें कुछ थोड़ा-सा संशोधन किया गया है । मैं फिर भी समझता हूं कि इससे पार्टीबन्दी कम होने वाली नहीं है, जैसा कि आगरा विश्वविद्यालय की बहस के समय मैंने कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी को दिये थे कि अगर वाइस-चांसलर के चुनाव में कुछ बाहर के लोगों को, ऐसे लोगों को जिनका यूनिवर्सिटी से कोई सम्बन्ध न हो जैसे कि देश के बड़े-बड़े विद्वान् हैं जैसे श्री राधाकृष्णन, आचार्य नरेन्द्रदेव आदि, रखा जाय जो यूनिवर्सिटी की महत्ता को समझते हुए कुछ ऐसे लोगों के नाम एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सामने रखते और उन्हें एक्जीक्यूटिव कौंसिल मंजूर करती, तो अगर यह तरीका रखा जाता तो मैं समझता हूं कि यह पार्टीबन्दी बन्द हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर एक्जीक्यूटिव कौंसिल तीन नाम भेजेगी तो उसमें भी बहुमत और अल्पमत तो अवश्य होता रहेगा। तो मैं समझता हूं कि इस बिल से जिस चीज को हम खत्म करना चाहते हैं, जिस त्रुटि का हम निवारण करना चाहते हैं उसकी पूर्ति नहीं हो सकती।

अध्यक्ष महोदय, मैंने यहां यह भी सुना, एक हमारे मित्र श्री महाबीर प्रसाद शुक्ल जी इलाहाबाद के सदस्य हैं उन्होंने यह कहा कि यह दुनियां की बेस्ट यूनिवर्सिटी आफ दि वर्ल्ड है। मैं उनका ध्यान अपने देश की और यूनिवर्सिटीज की तरफ भी दिलाना चाहता हूं । इस अटोनामी की बात की जिसके लिये माननीय मंत्री जी आज भी कहते हैं कि हां साहब अटोनामी तो रहना चाहिये, मैंने तो अध्यक्ष महोदय, जब आगरा यूनिवर्सिटी बिल पर यहां बहस हो रही थी उसी समय यूनिवर्सिटीज को अटोनामी देने की बात कही थी और मैं चाहता हूं कि यूनिवर्सिटीज में अटोनामी रहे। लेकिन मैं आज भी इस बात को कहने के लिये तैयार हूं कि अटोनामी के नाम पर यह सारी गड़बड़ न की जाय। यूनिवर्सिटीज को सुधारने के साथ हमें खुद अपने को भी सम्हालना है। मैं तो कहता हूं कि first deserve than desire.

आज अगर कोई यूनिवर्सिटी ऐसा काम करती है जो कि हमारे मदरसे भी नहीं करते हैं और जानबूझ कर भी हम उसमें कोई दखल नहीं देते हैं तो मैं समझता हूं कि यह वाजिब

---

*प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २३ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

बात न होगी । आज हमें यह कहना है अपने कम से कम इस उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटीज के लोगों के लिये कि आज जब वह यहां के भाषणों को सुनते होंगे तो उन्हें यह महसूस होता होगा कि उन्होंने एक ऐसी फिजा पैदा कर दी है, वहां एक ऐसी कंडीशन क्रीयेट कर दी है कि जिसकी वजह से इस हुकूमत को एक बहाना मिल गया है इस बात का कि उनकी अटोनामी जो थी उसे छीन लें। तो मुझे पूरा विश्वास है यह हमारी हुकूमत जो आटोक्रेटिक तरीके पर ज्यादा विश्वास करती है, जो सेंट्रलाइजेशन की ओर जा रही है हर जगह जहां देखिये म्युनिसिपैलिटीज में, वहां भी सेंट्रलाइजेशन की बात की जाती है, जहां कहीं छोटी-छोटी स्टेजेज होती हैं, उसी पर हाथ डालना शुरू कर दिया है। तो इसलिये मैं चाहता हूं कि यूनिवर्सिटीज की आटोनामी कायम रहे । आक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी के बारे में कहा जाता है कि वहां औटोनामी है। यहां अध्यक्ष महोदय, नालन्दा, तक्षशिला जैसी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज के नाम लिये गये और कहा गया ऐसी यूनिवर्सिटीज हिन्दुस्तान में थीं । माननीय नारायणदत्त जी ने जो सुझाव यूनिवर्सिटी के बारे में रखे मैं उससे बिलकुल सहमत हूं कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिये थी। अगर कोई नयी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश होती, तो उस यूनिवर्सिटी के लिये जो सुझाव माननीय नारायण दत्त जी ने दिये थे, मैं समझता हूं बहुत अच्छे होते। लेकिन अब हमारी यूनिवर्सिटीज की हालत को देखते हुए जो गड़बड़ कर रखी है, उससे यह हिम्मत नहीं पड़ती है कि उनको यह अधिकार दे दिया जाय। तो इसलिये मैं यह मानते हुए कि यूनिवर्सिटीज की आटोनामी रहनी चाहिये इसके साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज में जो काम करने वाले लोग हैं, जो उनकी इक्जीक्यूटिव कौंसिल में, ऐकेडेमिक कौंसिल में हैं, कोर्ट्स वगैरह में हैं, उन्हें यह बता देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि वह आटोनामी के नाम पर सब चीज न करने लगे। अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में उनके बारे में कोई सवाल हम नहीं पूंछ सकते और कभी कोई उनको पत्र लिख देते हैं एसेम्बली के मेम्बर या बाहर वाले तो वह उसका जवाब देने में हिचकते नहीं हैं, जैसा समझ में आता है वैसा जवाब दे देते हैं, क्योंकि आटोनोमस हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद की एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी से आशा करूंगा कि वह इस तरफ भी देखें कि यूनिवर्सिटी में क्या हाल हो रहा है । मैं अध्यक्ष महोदय, यह बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो लड़के पास हो जाते हैं अगर वह अपनी कापीज की स्क्रुटनी कराना चाहें तो नहीं करा सकते हैं और जो फेल हो जाते हैं अगर वह चाहें तो स्क्रुटनी करवा सकते हैं।

आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक लड़का जो बी० ए० के अन्दर था जो कि हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आया, इंटर में फर्स्ट आया, तीन-तीन चार-चार विषयों में डिस्टिंक्शन पाया, बी० ए० की फर्स्ट ईयर में ८४ परसेंट मार्क आये लेकिन बी० ए० फाइनल में उसका वह स्तर नहीं रहा। अध्यक्ष महोदय, आज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो रुपये की लालच की वजह से कापियों के एक्जामिनर बनने की कोशिश करते हैं, और इम्तहान की कापियां लड़कों से जंचवाते हैं, जो जांच नहीं सकते हैं और इसी का नतीजा होता है कि जो सीधे-सादे लड़के होते हैं, जिनका कोई पहुंच नहीं होती जो लड़का पढ़ने वाला अच्छा होता है काफी मेहनत करता है, वह आज इस अत्याचार की वजह से अच्छी क्लास भी नहीं पा सकता है।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—हिस्ट्री वाली बात है क्या ?

श्री मदनमोहन उपाध्याय—जी हाँ, अध्यक्ष महोदय, एक चिट्ठी लिखी और उनसे कहा कि इस लड़के की आप स्क्रूटिनी करा दीजिये, क्योंकि यह लड़का फर्स्ट क्लास ऐक्सपेक्ट करता था और सेकेंड क्लास पाया है, तो हो सकता है कि कोई गड़बड़ हो गयी हो इसलिये स्क्रुटनी आप करा दीजिये । २० रुपये उनके पास भेजे गये उन्होंने रुपया तो ले लिये और उसके बाद जो लड़का पास हो चुका था, बी० ए० से एम० ए० में चला गया था उसकी स्क्रुटिनी

की और उसके जवाब में वहां के रजिस्ट्रार साहब ने अपने दस्तखत करके एक पत्र भेजा है। वह लिखते हैं :—

Sri K. L. Govil, M.A.,
Registrar, University of Allahabad.

To

Shri S. D. Upadhaya, M.P.,
Helms-Farm, Ranikhet (U. P.)

Dated Allahabad, the 5th 6th August, 1954

Dear Sir,

In response to your letter dated 5th July 1954, addressed to the Vice-Chancellor regarding scrutiny and re-examination of answer-books of Sri Lalit Mohan Upadhyaya, who appeared and failed at the B.A. examination of 1954 of this University, I am to inform you that the candidate has already applied for scrutiny of his marks. There is no mistake in his answer books. His result, therefore, remains the same.

It may please be noted that under the rules re-examination of the scripts is not possible, and paper-wise marks obtained by the candidates are not given separately.

Your's faithfully,
Sd.K. L. GOVIL,
Registrar.

यहां अध्यक्ष महोदय, वह कहते हैं कि दि व्वाय रिमेंसफेल्ड ऐट दी बी० ए० एग्जामिनेशन जबकि वह लड़का उसी यूनिवर्सिटी में एम०ए० में पढ़ रहा है। जो कायदा नहीं था वह तो उन्होंने कर लिया उसके रुपये तो ले लिये लेकिन स्क्रूटिनी नहीं की और आखिर में एक चिट्ठी लिख दी एक रिस्पांसिबल मेम्बर आफ दी पार्लियामेंट को और उस चिट्ठी में लिखते हैं कि दी व्वाय रिमेंस फेल्ड जबकि वह वहीं एम०ए० में पढ़ रहा है। तो ऐसी आटोनामी है। कोई दखल दे ही नहीं सकता। तो अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जो यह बिल वह लाये हैं उसमें इन सब चीजों को ठीक करने के लिये कौन सी तरकीबें हैं, कौन से सुझाव हैं? सिर्फ अपना कब्जा यूनिवर्सिटी पर करने के लिये जैसा कि माननीय झारखंडे राय जी ने उस दिन कहा था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में माननीय मंगला प्रसाद जी का कब्जा है और लखनऊ युनिवर्सिटी में माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी का कब्जा है---आज इसी के लिये.....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि नाम आप मत लीजिये।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---वह उन्होंने नाम लिये थे, इसलिये.....

श्री अध्यक्ष---वह यदि उन्होंने लिये थे तो उन्होंने गल्ती की थी। आप भी वैसी गलती न कीजिये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---मैं तो अध्यक्ष महोदय, यह चाहता था कि जैसे स्टूडेंट्स के बारे में इसमें लिख दिया गया है कि उसका डिसिप्लिन ठीक नहीं रहेगा तो निकाल दिया जायगा, हालांकि इसकी क्या जरूरत थी, किसी भी स्कूल में अगर कोई लड़का वेल बिहेव्ड नहीं रहता तो निकाल दिया जाता है, लेकिन जैसे आपने यह रखा वैसे ही टीचर्स के लिये भी इसमें लिख दिया होता.....

श्री हरगोविन्द सिंह---टीचर्स के लिये भी है, आप उसको जरा पढ़ लीजिये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है, मैंने पढ़ लिया है।

अब अध्यक्ष महोदय, एक बात के लिये जहां तक यूनिवर्सिटीज को एड देने का प्रश्न है उसमें मेरा कुछ थोड़ा सा मतभेद अपने दोस्तों से हो सकता है। मैं प्राइमरी एजूकेशन का ज्यादा हामी हूं और मैं समझता हूं कि जब तक हमारे हिन्दुस्तान में हर एक बच्चे को शिक्षा देने का प्रबन्ध यह सरकार नहीं कर लेती है या जब तक कोई क्लीअर कट पालिसी हमारी सरकार के सामने नहीं है कि वह प्राइमरी एजूकेशन को ज्यादा महत्व देती है या हायर एजूकेशन को तब तक शिक्षा में कुछ उन्नति होने वाली नहीं है। हमारे कांस्टीच्यूशन में लिखा हुआ है कि दस साल के अन्दर प्राइमरी कम्पलसरी एजूकेशन हमारे देश में हो जानी चाहिये। आज यह कहना कि युनिवर्सिटीज को ही सारा रुपया दे दिया जाय और हमारे बच्चे न पढ़ सकें, जैसा कि माननीय सुरेश प्रकाश जी ने उस दिन कहा था, मैं तो उनके साथ हूं इस मामले में और यह समझता हूं कि उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, युनिवर्सिटीज को भी रुपया मिलना चाहिये लेकिन सारा रुपया उनको दे दिया जाय, इससे मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन सरकार भी इधर दबती है, वह डरती है कि जाने एजूकेशन वाले क्या कहेंगे, उनकी तरफ से वह भी डरती है और साफ-साफ अपनी पालिसी को नहीं बतलाती है। अध्यक्ष महोदय, जैसा उस दिन माननीय नरदेव शास्त्री ने कहा था और एक सुझाव दिया था कि एक युनिवर्सिटी बना दी जाय, एक यूनिवर्सिटी में सारा रिसर्च कंसेंट्रेट कर दीजिये, रिसर्च की हालत को देखता हूं अध्यक्ष महोदय, तो अफसोस होता है, मुझे पता लगा है, अभी मैं निश्चय पूर्वक तो नहीं कह सकता हूं लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारे एक प्रोफेसर को एक डाक्टरेट की थीसिस हेरल्ड लास्की के पास चली गयी तो उस पर उन्होंने यह कहा कि "A peon of my department can write a better this is than this thesis."

अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन अगर यह हालत है हमारे यहां रिसर्च की तो फिर यह सचमुच बड़े खेद की बात है। एसोसियेट कालेज और एफिलिएटेड कालेजेज की बात कही गयी मैं कहता हूं हमारे पुराने सी०वाई० चिन्तामणि साहब ने या और लोगों ने जब यह बिल बनाया था तो उनके सामने भी यह बातें रही होंगी। लेकिन मैं कोई वजह नहीं समझ पाता कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आस-पास के जो कालेज हैं वह क्यों न एफिलिएटेड हों। वह पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज खोल नहीं सकते, रिसर्च कर नहीं सकते केवल बी० ए० का सवाल है तो बी० ए० का जहां तक सवाल है वह तो किसी भी युनिवर्सिटी से एसोसिएटेड हो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे वह इलाहाबाद युनिवर्सिटी से एसोसियेटेड हो, आगरा से एसोसियेटेड हो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। अगर हमारे माननीय महावीर प्रसाद शुक्ला जी आगरा के बिल के समय आटोनामी पर जोर दिये होते तो इस बिल के लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सरकार इस बिल को लेकर इलाहाबाद की आटोनामी छीनने की कोशिश नहीं करती।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर आज ५ दिन से वाद-विवाद चल रहा है। १ वर्ष हुआ, हमने आगरा यूनिवर्सिटी बिल में कुछ संशोधन किये थे और उस समय जिन उसूलों पर बहस हुयी थी आज भी करीब-करीब उन्हीं बातों पर चर्चा हुयी। हमारे सामने, दो प्रश्न हैं और आम तौर से हम उन दोनों में थोड़ा सा कनफ्यूजन सा कर देते हैं। एक प्रश्न तो यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली क्या हो और दूसरा यह है कि हमारी शिक्षा संस्थाओं का, चाहे वह स्कूल हो या कालेज या यूनिवर्सिटी हो, कार्य संचालन सन्तोषजनक है या नहीं। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, यह केवल इतनी ही बात को मानकर चलता है कि आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कार्यशैली असन्तोषजनक है। शिक्षा पद्धति का प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और उस पर हमारे देश के सभी शिक्षा शास्त्री यह कहते हैं कि इस समय की पद्धित हमारे राष्ट्र के जीनियस व टैलेन्ट के अनुकूल नहीं है। लेकिन इस चीज को इस विधेयक में नहीं छुआ गया है। इसमें तो हमें केवल यह देखना है कि क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो सुधार करने की आवश्यकता पड़ी वह थी या नहीं। मैंने जितने भाषण हुए सुने और नोट आफ डिसेंट भी पढ़ा, सब इस बात पर एकमत हैं कि यूनिवर्सिटी की स्थिति असन्तोषजनक है और वहां

के काम करने के तरीके निहायत गलत हैं। वहां गुटबन्दी है। यदि यह मान लिया जाय तो यह प्रश्न उठता है कि उसमें संशोधन करने का सरकार को हक है या नहीं। यूनिवर्सिटी आटोनामी के बारे में बहुत लम्बी-चौड़ी बातें कही गयीं। माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि सरकार यूनिवर्सिटी की आटोनामी की हामी है। माननीय उपाध्याय जी ने कहा, और मैं उनसे इत्तिफाक करता हूं कि आटोनामी के मानी यह नहीं हैं कि कोई संस्था यह अधिकार रखे कि वह गलत तरीके से मनमाने ढंग से काम करती रहे। सभी यूनिवर्सिटी कमीशंस व कमेटियों ने इस बात को माना है कि आटोनामी जैसी कोई चीज एब्साल्यूट नहीं है। राधाकृष्णन कमेटी ने भी माना है कि सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, यह दूसरी बात है कि वह स्टेज है या नहीं इसमें मतभेद हो सकता है। नरेन्द्रदेव कमेटी ने भी माना है और मूथम कमेटी ने भी तो साफ कहा है कि आटोनामी जैसी कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है। इस सम्बन्ध में मा० वर्मा जी ने कहा था कि आक्सफोर्ड व केंब्रिज में यह नहीं होता। श्रीमन्, मूथम कमेटी के पेज १४४ पर साफ दिया हुआ है कि आक्सफोर्ड और केम्ब्रिज में भी तीन बार ऐसे संशोधन हुए हैं जो वहां के रायल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर थे। तो यह कोई नयी चीज नहीं है। जब हम गवर्नमेंट का हस्तक्षेप करने का अधिकार मानते हैं तो हमें यह देखना है कि यह बिल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की खामियों को, जो लखनऊ में भी हैं और आगरे में भी थीं, दूर करता है या नहीं। वे खामियां इस बिल के अन्तर्गत दूर होती हैं या नहीं। मेरा अपना विचार यह है कि खास तौर से जो कमियां देखी जाती हैं वह ३-४ हैं। एक तो यह कि स्टैंडर्ड आफ एजूकेशन दिन पर दिन गिरता चला जा रहा है। राधाकृष्णन कमेटी ने तो स्पष्ट कह दिया है कि हमारे यहां का ग्रेजुएट दूसरी विदेशी यूनिवर्सिटीज के मैट्रिक का मुकाबला करने में भी समर्थ नहीं हो पाता है। इसके साफ माने हैं कि हमारे यहां जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनका स्टैन्डर्ड गिरता चला जा रहा है। जहां तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सम्बन्ध है वह हमारे सूबे की ही नहीं बल्कि हमारे देश की एक प्रामीनेंट यूनिवर्सिटी है। जब मैं स्टूडेन्ट था तो जितने बड़े-बड़े कम्पटीशंस होते थे उनके जब नाम छपते थे-तो मैं यह देखा करता था कि कितने नाम इस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के आये हैं और आई० सी० एस० वगैरह बड़े-बड़े कम्पटीशंस में काफी नाम यहां से जाते थे। लेकिन यदि अब देखा जाय तो कोई ज्यादा अच्छा रिकार्ड यहां का नहीं है और न ऐसी चीज है कि हम आज भी उसी शान के साथ कह सकें जो दस साल पहले की बात थी साफ जाहिर है कि यहां का स्टैंडर्ड भी काफी गिर गया है। शिक्षा-स्तर गिरने के भी कई कारण हो सकते हैं उनको दूर करना है। इस सिलसिले में जो बात बार बार कही गयी है वह यह है कि यूनिवर्सिटी का करेक्टर क्या हो। यह अपनी जगह एक बहुत बड़े महत्व की चीज है। जैसा कि इसके प्रीएम्बिल में लिखा है इसके करेक्टर को यूनीटरी माना है मगर इसके साथ ही साथ असोसियेटेड कालेजेज की बात भी कही गयी है। मैं कहता हूं कि जो शब्द इस्तेमाल किये जाते हैं उनके एक खास माने होते हैं। मेरा निश्चित मत है कि यदि इसके करेक्टर को हम यूनेटरी मानते हैं तो उसके साथ-साथ एसोसियेटेड कालिजेज बनाना एक दूसरे से कांट्रेडिक्टरी चीज है। एक बात कही गयी कि यह जो तीन कालेजेज हैं यह पहले भी इससे एफीलियेटेड थे। यदि हम इसको मान लें और यह भी कि हम स्टेट्स को मेनटेन करते हैं तब फिर यदि ६-७ ऐसे कालेज और हो जायं और ऐसी पाबन्दी न हो कि हम एफीलियेट न करें तो मुझे अंदेशा है कि और जैसा कि मूथम कमेटी की रिपोर्ट में भी कह गया है कि एक दिन वह आयगा कि जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की यूनेटरी करेक्टर की यूनीवर्सिटी न रहकर ऐफीलियेटिंग यूनीवर्सिटी हो जायगी। इससे यूनिवर्सिटी का कोई स्टैन्डर्ड ऊंचा होने वाला नहीं है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि यदि किसी यूनिवर्सिटी का स्टैन्डर्ड देखना होता है तो हम उसको लोएस्ट यूनिट से ही डिटरमिन करते हैं तो हमें इस यूनिवर्सिटी को भी इसी स्टैंडर्ड से टेस्ट करना पड़ेगा। मेरा इसमें बड़ा भारी मतभेद है और मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप इसको यूनेटरी यूनिवर्सिटी रखना चाहते हैं तो जो एसोसियेटेड कालेजेज वाला प्राविजन रखा है उसको आप हटा दीजिये और इन कालिजों को आगरा यूनिवर्सिटी से ही ऐफीलियेटेड होना चाहिये।

[श्री नवल किशोर]

दूसरी चीज इस सम्बन्ध में कही गयी है वह यह है कि चांसलर को अधिकार बहुत ज्यादा दे दिये गये हैं। कुछ साथियों ने ऐसा कहा लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा कहने से उनका क्या अभिप्राय था। जहां तक इसका सवाल है कि कौन चांसलर हो सो राधा-कृष्णन कमेटी ने कहा है कि जहां एक ही यूनिवर्सिटी हो वहां पर चांसलर गवर्नर को बनाया जाय लेकिन अगर ज्यादा हों तो उन्होंने यह अवश्य कहा है कि एक गवर्नर कई यूनिवर्सिटीज का इंतजाम सुविधापूर्वक नहीं कर सकेगा इसमें उसको कठिनाई पड़ सकती है मगर जिस आधार पर आपत्ति की गयी है वह चीज कमेटी में कहीं नहीं है। राधा कृष्णन कमेटी में यह चीज कहीं नहीं है जहां तक नरेन्द्र देव कमेटी की रिपोर्ट का सम्बन्ध है उसमें चांसलर के फंक्शन्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक में तो यूनिवर्सिटी की साधारण बातों के सम्बन्ध में उन्होंने कहा है कि नामीनेट हो जाय और गवर्नर उसको नामिनेट करें और दूसरी बात जो यूनिवर्सिटीज में यूनीफारमिटी वगैरा लाने की बात है वह गवर्नर हो यानी दिस मीन्स दी गवर्नमेंट। मूथम कमेटी ने तो स्पष्ट ही कहा है कि गवर्नर ही होना चाहिये। इसमें नियम या उसूल की कोई बात नहीं थी बल्कि आपत्ति थी कि कुछ भाई इधर बैठते हैं और कुछ भाई उधर बैठते हैं उनका मैं गवर्नमेंट में डिस्ट्रस्ट देखता हूं। गवर्नमेंट में डिस्ट्रिस्ट होने के आधार पर ही यह बात कही गयी है कि चांसलर की पावर्स कम होनी चाहिये या गवर्नर को चांसलर नहीं होना चाहिये। उसमें यह भी एक एग्जाम्पिल दी गयी थी कि आंध्र के अन्दर चीफ जस्टिस को चांसलर बनाया है। मैं समझता हूं कि यह कोई बहुत अच्छा प्रीसीडेंट नहीं है। चीफ जस्टिस जो कि एक सुप्रीम जुडिशल अथारिटी है उसको अगर हमने चांसलर बना दिया तो मैं नहीं समझता कि क्या पाबन्दी होगी इस बात की कि वह उस पार्टी पालिटिक्स के अन्दर नहीं फंस जायगा जिससे हम अपनी जुडिशियरी को अलग रखना चाहते हैं।

इसके बाद वाइस-चांसलर की नियुक्ति के बारे में करीब करीब वही आर्गूमेंट्स दिये गये जो कि आगरा यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में दिये गये थे। एक बात यह बतायी गयी, जैसा कि माननीय नारायण दत्त जी ने बताया कि एक कमेटी तीन आदमियों की बने। वह तीन नाम छांट कर एग्जीक्यूटिव कमेटी को भेजे इस कमेटी के तीन आदमियों में से दो आदमी एग्जीक्यूटिव कौंसिल से चुनकर आयेंगे और एक चांसलर से आयेगा। वह ऐसा इसलिये चाहते हैं कि उनको और माइनारिटी मेजारिटी ग्रुप का अन्देशा है तो दो आदमी जब एग्जीक्यूटिव कौंसिल से चुनकर जायंगे तब उनके चुनाव के अन्दर क्या वही चीज पैदा नहीं हो जायगी। मेरा यह मत है कि हम चुनाव को कम से कम करें। जो तरीका बतलाया गया है उससे कन्फ्यूजन बढ़ेगा, कन्वेसिंग बढ़ेगी और पार्टी पालिटिक्स बढ़ेगी।

यह भी कहा गया कि वाइस-चांसलर को बहुत पावर्स दे दी गयी हैं। बताया गया कि इसमें कंसल्टेटिव कमेटी का प्राविजन है। मैंने देख डाला इसके अन्दर तो वह प्राविजन है नहीं। इतनी बात अवश्य है कि वाइस-चांसलर को टीचर्स के सम्बन्ध में यह अधिकार होगा कि अगर वह देखें कि अगर किसी टीचर ने ऐसी त्रुटियां की हैं जो आर्डिनरी कोर्स में आती हैं और Drastic punishiment की जरूरत नहीं है तो वह स्वयं दंड दे सकते हैं और अगर वह त्रुटियां ऐसी हों जिसमें प्रोमोशन रोकने या डिमोशन की बात हो तो वह एक जज तथा एक अन्य व्यक्ति को कोआप्ट कर सकता है और इस तरह से तीन आदमियों की एक कमेटी उस पर विचार करेगी और जो उसकी रिपोर्ट होगी वह एग्जीक्यूटिव कौंसिल के पास जायगी और अगर एग्जीक्यटिव कौंसिल उससे डिफर करती है तो वह मामला चांसलर के पास जायगा और उनके आर्डर्स फाइनल होंगे। तो जब हम यह मानते हैं कि वाइस-चांसलर यनिवर्सिटी का एग्जीक्यटिव हेड है और डिसिप्लिन की तमाम जिम्मेदारी उसके ऊपर ही डालना चाहते हैं और वह ठीक ही है तो मैं समझता हूं कि यह उचित ही है कि उसको यह अधिकार होना चाहिये कि वह टीचर जो उनके आर्डर को कैरी आउट न कर सके या वहां के एटमासफियर को किसी तरह से गंदा बनायें तो उनके प्रति जो वह उचित कदम उठाना चाहें वह उठायें।

इसके बाद एग्जीक्यूटिव कौंसिल के ऊपर बहुत आपत्ति की गयी और कहा गया कि एकेडेमिक और नानएकेडेमिक का बैलन्स नहीं है। मैं समझता हूं कि इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। यदि हम उसको एक्सटर्नल और इंटर्नल कहें तो भिन्न-भिन्न रिपोर्ट्स को भिन्न-भिन्न रायें हैं। मूथम कमेटी ने कहा है कि एक्सटर्नल एलीमेंट को इंटर्नल एलीमेंट के मुकाबिले में ज्यादा रखना चाहिये। यही चीज नरेन्द्र देव कमेटी में भी कही गयी है। राधाकृष्णन् कमीशन नें जरूर कुछ इसके बारे में कहा है लेकिन मैं समझता हूं कि यह उचित ही है कि कम से कम थोड़े समय के लिये हमको एक्सटर्नल एलीमेंट में अच्छे-अच्छे आदमियों को भेजना चाहिये और अगर वे संख्या में अधिक भी हों तो कोई बहुत आपत्ति की बात नहीं है। हां, नान-एकेडेमिक एलीमेंट को एकेडेमिक एलीमेंट से अधिक नहीं होना चाहिये। अगर श्रीमन् एकेडेमिक का मतलब मेरे ख्याल से पढ़े-लिखे विद्वान् महानुभावों से है यह जरूरी नहीं है कि वह विश्वविद्यालय की सर्विस में ही हों।

इसके बाद एक बहुत बड़ी आपत्ति उठायी गयी टीचर्स के ऊपर कि टीचर्स को हटाने का हक़ है और उसमें प्रो० लास्की का भी रेफ़रेंस दिया गया कि वह इतने बड़े व्यक्ति थे, समाजवादी पार्टी के चेयरमैन भी थे और उसके साथ-साथ प्रोफ़ेसर भी थे और यह भी कहा गया कि टीचर्स के जो अधिकार हैं उनके ऊपर हमला करने की गवर्नमेंट की नीति है। तो वस्तु-स्थिति को अगर देखा जाय तो मैं यह जानना चाहूंगा कि प्रो० लास्की, जो अपने टाइम के बड़े लीडर थे, उन्होंने क्या अपनी संस्थाओं में स्ट्राइक कराये? क्या उन्होंने भी कभी स्टूडेंट्स को उकसाया कि वह स्ट्राइक करें? क्या उन्होंने डिमांस्ट्रेशन कराये या प्रोसेशन निकलवाये। तो जो मिसाल हम दें वह कम से कम पैरेलल हो तब तो ठीक है। आज हम देखते हैं कि युनिवर्सिटीज में डिमांस्ट्रेशन हुए, लखनऊ और इलाहाबाद में भी हुए। उसके पीछे कुछ टीचर्स का हाथ था। मैं समझता हूं इस बात को बहुत से साथी जानते हैं चाहे वह इसको मानें या न मानें। तो जब टीचर्स का मुख्य कार्य यह हो कि वह युनिवर्सिटी के अन्दर अध्यापन का ही कार्य करे, वह टीचर्स बजाय इस काम के, अपना समय इस बात में खर्च करे कि वहां कौन सी पालिटिक्स हो, कैसे ग्रुप्स बनाये जांय, किस ग्रुप्स को डामीनेट कराया जाय और किसको पीछे खींचा जाय, तो मैं समझता हूं कि ऐसे टीचर्स, जो अपने कर्तव्य से च्युत होते हैं, उनके ऊपर कुछ न कुछ कठोर अनुशासन की आवश्यकता है और उसी का एक प्रावीजन इसके अन्दर है।

इसी तरह से स्टूडेंट्स की बात भी आयी कि स्टूडेंट्स को अलग कराने के सिलसिले में इसी तरह से बड़ी वाइड पावर्स दे दी गयी है। आज विद्यार्थियों की अनुशासन हीनता को कौन नहीं जानता। मूथम कमेटी रिपोर्ट में दो चार उसी तरह की एग्जाम्पिल्स दी गई हैं, लेकिन मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। मगर यदि स्टूडेंट्स एक किसी फ़िल्म ऐक्ट्रेस के स्टेशन पर आने के उपलक्ष में एक बड़ा भारी डिमांस्ट्रेशन करें स्टेशन पर और उसी सम्बन्ध में वहां के शीशे वगैरह तोड़ दें, तो यह चीज उस युनिवर्सिटी के लिए और स्टूडेंट्स समाज के लिये कोई गौरव की चीज हो, यह नहीं कहा जा सकता। तो स्टूडेंट्स का मुख्य कार्य शिक्षा पाने का है। अगर वह अच्छे नागरिक बनने की ट्रेनिंग पाने के अपने प्रमुख कार्य व कर्त्तव्य को छोड़ कर ऐसी चीजों में जांय जिनसे अनुशासन भंग हो, तो मैं समझता हूं कि इस तरह की चीजों को रोकने के लिए प्राविजन रखना उचित ही है।

इसी के साथ-साथ मुझे दो-एक बातें और यह कहनी हैं कि युनिवर्सिटी में जो सबसे बड़ा प्रश्न आज हमारे सामने है वह यह है कि जो हर साल तादाद स्टूडेंसट की बढ़ती जाती है, इस तादाद को किस तरह से चेक किया जाय? इसमें कोई शक नहीं कि इस विधेयक में भी खंड ४ में प्रावीजन है कि तादाद की कोई सीमा हो सकती है। मगर मैं समझता हूं कि जो समस्या है वह खाली छोटा सा जो यह एक क्लाज है उससे हल होने वाली नहीं है? इस तरफ तो खास तौर से सरकार को ध्यान देना है और इसका बहुत बड़ा सम्बन्ध सरकार की नीति से है। जहां तक इंगलैंड का ताल्लुक है वहां उन्होंने ऐसा किया कि यह आवश्यक नहीं है कि हर एक जो जगह हो सरकार के अन्दर उसमें डिग्री की आवश्यकता हो। इसके बजाय उनके यहां कुछ कमिश्नर्श एग्जामिनेशंस होते हैं। तो गौर

[श्री नवल किशोर]

हमारे यहां भी यह हो जाय कि यह आवश्यक न हो कि हर एक छोटी मोटी नौकरी के लिये बी० ए० होना आवश्यक है और यह भी हो जाय कि अगर किसी जगह पर एक इंटरमीडियेट तक एजूकेशन की जरूरत हो तो उस पर बी० ए०, एम० ए० न लिये जांय और इंटरमिडियेट ही लिये जांय तब इससे तादाद घट सकती है ।

दूसरी चीज यह है कि इसमें कोई ऐसा प्रावीजन नहीं है कि एडमीशन जो युनिवर्सिटी में हों उन पर किसी किस्म का कोई चेक लगाया जा सके । मैं समझता हूं कि युनिवर्सिटीज के एडमीशन के अन्दर भी किसी न किसी किस्म का चेक होना चाहिये, चाहे कम्पेटीशन की शक्ल में या और किसी शक्ल में । दूसरी चीज यह है कि एग्जामिनेशन का क्या तरीका हो, और इसी तरह की बहुत सी चीजे हैं जिनको टच ही नहीं किया गया है । सरकार को उन पर ध्यान देना होगा । आखिर में साथी तिवारी जी की उस बात का भी जबाव देना चाहूंगा जो कि उन्होंने युनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी के सम्बन्ध में कही । इस सम्बन्ध में उन्होंने कुछ कोटेशन भी दिये । बनारस युनिवर्सिटी की आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, रायल कमीशन रिपोर्ट की और कहा कि अगर गवर्नमेंट रुपया देती है तो उसका मतलब यह नहीं कि वहां की अटोनोमी को खत्म कर दें और यह भी कहा गया कि बहुत सी युनिवर्सिटीज ऐसी है और हमारे देश में भी बनारस विश्वविद्यालय की मिसाल है जिसने सरकार की सहायता लेने से इन्कार कर दिया मगर अपनी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप बरदाश्त नहीं किया ।

मैं भी उनकी सराहना करता हूं मगर मैं समझता हूं कि यह रास्ता तो इलाहाबाद युनिवर्सिटी के लिये भी खुला हुआ है । अगर ऐसी चीज हो तब यह भी एक अच्छा उदाहरण होगा कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी अपने पैरों पर खड़ी हो जाय और सरकारी सहायता पर निर्भर न रहे लेकिन यह कोई मुनासिब बात नहीं है कि गवर्नमेंट लाखों रुपया खर्च करे और गवर्नमेंट का उसमें किसी तरह से कंट्रोल न हो ।

अन्त में मुझे इतना ही कहना है कि यह विधेयक इस बात का दावा नहीं करता है कि जितनी खामियां हैं यह खत्म हो जायंगी और न हम ही दावे से कह सकते हैं कि जितनी भी खामियां हैं वह इस विधेयक से खत्म हो जायंगी । लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि यह विधेयक उस दिशा की तरफ ले जाने वाला एक कदम है और एक अच्छा कदम है ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—मुहतरम जनाब स्पीकर साहब, मुझे मसर्रत है कि इस ऐवान के अन्दर, इस हाउस के अन्दर हमारी वजारत तालीम की तरफ से एक खयाली ही सही, मगर अच्छा कदम इसलिये उठाया गया है कि वह इलाहाबाद युनिवर्सिटी की इस्लाह करें और उसमें जो खराबियां पैदा हो गयी हैं उनको दूर करें ।

बुनियादी तौर पर तालीम के मुताल्लिक हमारे हिन्दुस्तान का तखय्युल दूसरे मुल्कों से कुछ अलग है । हम और हमारे वजीर तालीम इसमें बराबर के शरीक हैं । बदकिस्मती से वर्षों के अन्दर भी हम अपनी तालीमगाहों के अन्दर वह चीज नहीं पैदा कर सके जो एक वक्त में हिन्दुस्तान की खुसूसियत थी । सबसे पहली चीज जो हम आजादी के बाद समझ रहे थे और आपके वजीर तालीम होने के बाद ज्यादा समझ रहे थे कि वह पुरानी सभ्यता और तहजीब युनिवर्सिटीज में फिर से लायी जायगी जैसी कि हमारे गुरुओं और उस्तादों की थी । और उस तहजीब के जरिये तालिबइल्मों के अन्दर ज्यादा से ज्यादा जाब्ता पैदा कर सकें और ज्यादा से ज्यादा उनको मुहज्जब और काबिल बना कर, दुनिया के सामने पेश कर सकेंगे । जनाबवाला, आपको यह मालूम है कि इस सिलसिले में हम तकरीबन बिलकुल फेल हुए । आज तक हमने अपनी युनिवर्सिटीज के अन्दर कैम्ब्रिज, आक्सफोर्ड या दूसरी फारेन युनिवर्सिटीज की नकल करने की कोशिश की । अपने दिमाग से हम कोई नयी चीज अपनी काब्लियत से नहीं पैदा कर सके, जो बुनियादी तौर पर, युनिवर्सिटीज के लिये आमतौर पर और इलाहाबाद युनिवर्सिटी तो बहुत कदीम युनिवर्सिटी है । १९२१ से आज तक मुख्तलिफ कमीशन बैठे, मूथम कमेटी और बहुत सी कमेटियां बैठीं । रिप्रेजेंटेटिव्ज ने बैठ कर गौर किया । लेकिन

आज भी बुनियादी तौर पर कोई ऐसी तब्दीली नहीं कर सके जहां से हम नुमायां तौर पर ऐसे लड़के बाहर लाते जो सिर्फ क्लर्क न होते बल्कि हिन्दुस्तान को अच्छाई की तरफ ले जाने में हिन्दुस्तान के अन्दर बुनियादी तब्दीली पैदा करने में अपनी आप मिसाल होते। यहां पर एक सवाल इसके बाद और पैदा होता है कि हमने युनिवर्सिटीज में जो तरीका तालीम का रखा है वह अपनी जगह पर अच्छा है या बुरा। इस पर बहुत सी कमेटियां बैठ चुकी हैं और उनकी राय हाउस के सामने मौजूद है। मैं इस सिलसिले में आपका ज्यादा वक्त जाया न करूं, लेकिन जहां एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है आपने इन माहौल में रह कर जो स्टूडेन्ट्स युनिवर्सिटीज में थे उनका एजिटेशन हुआ, उससे तजुरबा उठा कर ऐसा मालूम होता है कि आपने इस बिल में उसके इस्लाह की कोशिश की। मगर आपके सामने एक तरीका तो यह है कि पूरी युनिवर्सिटी को आप गवर्नमेंट कंट्रोल में रख कर अपनी तरफ से चांसलर को भी मुकर्रर करें, वाइस चांसलर को भी मुकर्रर करें और प्रोफेसर्स को भी मुकर्रर करें। उसके अन्दर कोई मशविरा की कमेटी न हो जो कदम-कदम पर आपको सलाह दे। तो दूसरी तरफ एक तरीका हो सकता है कि दूसरे पर भरोसा करें, आपने सूबे के काबिलतरीन आदमियों पर भरोसा करें और चन्द आदमियों की एक कमेटी बनायें। मुख्तलिफ तरीके से वाइस चांसलर को भी वह मुकर्रर करे, प्रोफेसर्स को भी वह मुकर्रर करे। दूसरा तरीका यह हो सकता है। लेकिन जहां तक बिल का ताल्लुक है मैं जनाबवाला की खिदमत में बड़े अदब से अर्ज करूं कि यह दोनों का एक मुरक्कब मालूम होता है। एक तरफ तो आपके ऐलानात, गवर्नमेंट के ऐलानात और हमारे ऐलानात यह हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा तालीमगाहों को आजाद रखना चाहते हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर रखना चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ बिल को पढ़ते हैं, इसकी तरमीमों को पढ़ते हैं तो मुझे मालूम होता है कि आज खुशनुमा अल्फाज कह कर जो हुकूक अवाम को देना चाहते हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से इस बिल के जरिये उनको छीन लेना चाहते हैं। जनाब वाला, उसूली तौर पर मैं इस चीज की सख्त मुखालिफत करता हूं और अर्ज करूंगा, आपके सामने जहां तक तालीम का ताल्लुक है किसी गवर्नर का किसी युनिवर्सिटी का चांसलर होना यह महकमे तालीम के मैदान में कोई आगे ले जाने वाला कदम नहीं है। मैं तो यह समझता था कि इस बिल के जरिये जो सबसे पहले चीज खत्म की जायगी वह गवर्नर का चांसलर होना। गवर्नर की हमारे सूबे में एक ऐसी कांस्टीट्यूशनल हस्ती होती है कि कानूनी तौर पर हमको उसका अहतराम करना पड़ता है लेकिन आपने गवर्नर को चांसलर बना कर हमारे लड़कों की जो गति बनवाई है उसका तजुर्बा कहता है कि आयंदा से हम इस कांस्टीट्यूशनल क्रिटिसिज्म से जो ऊंची हस्ती हो उसको इस ओहदे पर न रक्खेंगे ताकि तनकीद करने के लिये हम आजाद रहें। अगर गवर्नर रखते हैं तो क्या मानी होते हैं। आपने यह उसूल समझा है और समझ कर रक्खा है कि गवर्नर एक लिंक होगा युनिवर्सिटी और गवर्नर के बीच में। यह एक बड़ा पोलिटिकल और खुशनुमा फरेब है। गवर्नर को चांसलर बनाने के मानी यह होते हैं कि हमारे वजीरे तालीम साहब यह चाहते हैं कि युनिवर्सिटी को खुदमुख्तार बनायें और दूसरी तरफ गवर्नमेंट बाडी उसका चांसलर हो। गवर्नर के मानी यह है कि खुद आप चांसलर हों, खेद आप अपने हाथ में अख्तियार रखना चाहते हैं। जब एक दर्जा नीचे जाते हैं तो हैरत के साथ मातम करना पड़ता है इस बिल का जिसमें वाइस चांसलर के इन्तखाब का एक लम्बा तरीका अख्तियार किया गया है। अमली दुनिया से निकल कर जब प्रैक्टिकल दुनिया में आते हैं तो चांसलर बाहर से रक्खा जाय और उसे अख्तियार दिये जायं कि काबिलतरीन आदमियों से इंटरव्यू करके उसे रक्खा जाय लेकिन इसमें दोनों में एक मुरब्बा बनाया है जो मेरी समझ में नहीं आता। आपने गौर फरमाया कि वाइस चांसलर को होलटाइम आफिसर मुकर्रर किया गया है। इसकी जरूरत है। आप उस पर कैद रख दीजिये कि वह असेम्बली का मेम्बर न हो, पार्टी पोलिटिक्स में हिस्सा न ले और जहां आप वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को उसके जरिये कंट्रोल करना चाहते हों वहां तालीम में वह इतना बड़ा माहिर हो कि एक दो घंटा युनिवर्सिटी के लड़कों को सबक पढ़ा सके। एट ए टाइम प्रोफेसर हो और ठीक उसी वक्त वाइस चांसलर हो। लेकिन मुकर्रर करने में जो पहले अल्फाज आपने रक्खे हैं उससे इस बिल की नियत का पता

[श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी]

चलता है और उसके रुजहनात का पता चलता है । मैं आपकी इजाजत से पढ़ देना चाहता हूं:—

"The vice-chancellor shall be the wholetime officer of the University and shall be appointed by the chancellor."

जो आप चाहते थे वही आपने यहां कह दिया और फिर आगे जाकर कमेटी बनायें, तीन आदमियों के वह नाम पेश करे और सिंगल ट्रांसफरेबिल वोट के जरिये उसे मुंतखब करें और फिर उसे वह चांसलर के पास भेजे। तो सीधे आप एप्वाइंटमेंट अपने हाथ में ले लीजिये अगर आप जरूरी समझते हैं और अगर नहीं चाहते तो आप अवाम पर भरोसा कीजिये । उन बड़े-बड़े तालीम वालों पर जो हमसे ज्यादा तालीमयाफ्ता हैं और उनके जिम्मे यह चीज डालें कि जिस तरह से वे चाहें वाइस चांसलर को मुंतखब करें। फिर आप अगर उनको इलेक्शन के जरिये लाना चाहते हैं तो बड़ी-बड़ी बाडी बनाइये और उसमें सूबे के हर तालीमगाह से एक-एक आदमी बुलाया जाय और वह बैठ कर मुंतखब करे। इन दोनों चीजों के बीच में आपने यह तीसरा रास्ता निकाला है । इससे तालीम का जहां तक ताल्लुक है इसका कोई असर मुफीद हमारे तुल्बा पर नहीं पड़ सकता । मैं उसूली तौर पर इसके सख्त मुखालिफ हूं कि गवर्नर को चांसलर बनाया जाय । अगर आप के सूबे में, आपके मुल्क में किल्लत है काबिल आदमियों की तो दूसरे सूबे से मंगाइये और पूरे हिन्दुस्तान से मंगाइये । अगर आप गौर करें कि आज जो हालत है आप उस हालत से भी बदतर उसको बना रहे हैं। आप उसको उस तरफ ले जा रहे हैं जिस तरफ मैं उसको ले जाना नहीं चाहता हूं ।

मैं वजीरेतालीम से यह अर्ज करूंगा कि वह गौर करके फरमायें । अच्छा तो यह होगा कि इन अमेंडमेंट को यहां पर पेश न करके एक बार फिर हम इसके ऊपर गौर करें कि जो इन्तखाब का तरीका इसमें रखा गया है उसका क्या नतीजा निकलेगा । आप वायस चांसलर तकर्रुर कर चुके हैं । उसके बाद एक क्लाज है गालिबन वह २९ बीज है जिसके मातहत एक तीन आदमियों की कमेटी बनायी जायगी जो मशविरा दिया करेगी । मेरी समझ में नहीं आता कि एक तो वायस चांसलर होगा और एक चांसलर होगा तो यह जो तीन आदमियों की कमेटी होगी मशविरा देने के लिये इसकी क्या जरुरत है। आपने इन दो आदमियों को मुकर्रर कर दिया इन से मशविरा लिया जा सकता है । अगर इसका नाम भी वायस चांसलर रख दिया जाय तो बेहतर होगा उससे भी मशविरा लिया जाया करेगा । जो यह कमेटी बनायी जायगी उसका भी एक वायस चांसलर होगा जो मशविरा दिया करेगा ।

श्री हरगोविन्द सिंह—ऐसी बात नहीं है ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—उसके अलफाज क्या हैं यह मालूम हो जायगा जब आप उसको देखेंगे ।

दूसरी एक और चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जहां तक आपके इन अमेंडमेंट का ताल्लुक है और जहां तक उस पुराने बिल का ताल्लुक है इन दोनों को देखने से पता चलता है कि आप जो यह मौजूदा तरमीमी बिल लाये हैं उसमें कोई कदम ऐसा नहीं उठाया गया है कि जिससे ऊंची सी ऊंची तालीम के लिये कोई सहूलियत रखी गयी हो। अब आप अपने तौर पर इसको देखें कि जो पहले इलाहाबाद युनिवर्सिटी की अहमियत थी वह सूबे में ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दोस्तान के अन्दर उसकी अहमियत समझी जाती थी । यह देखा गया है कि वहां के पढ़े हुये लोग अगर बाहर जाते थे किसी दूसरी युनिवर्सिटी में या मुलाजमत में तो वह बहुत काबिल समझे जाते थे। यह देखकर कि इसके पास इलाहाबाद युनिवर्सिटी की सनद है उसकी काबिलियत का एतराफ कर लिया जाता था । लेकिन जब से उसका इन्तजाम आपने अपने हाथ में लिया है तो बजाय कि उसकी शान को आगे बढ़ाया जाता यह हमारी बदकिस्मती है और बहुत अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि हम उस दर्जे पर वहां काबिलियत मियार को कायम नहीं रख सके हैं । उसकी तरफ आपको फौरन तवज्जह करनी चाहिये और कोई तरीका ऐसा सोचिये कि तालीम का वह मियार पस्त न होने पाये बल्कि वह मियार बुलन्द हो । आज हमको इस सूबे में ही आदमियों को भेजना नहीं पड़ता है बल्कि दूसरी कंट्रीज में भी भेजना पड़ता है । तुर्की, पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान, रूस और दूसरी

मुख्तलिफ जगहों पर भेजना पड़ता है जहां पर काबिलियत का मियार बहुत बुलंद है बल्कि जहां पर लोग अमली काबिलियत रखते हैं और इल्मी तालीम भी इस इन्तहा को पहुंच चुकी है कि जो बहुत आगे की कही जा सकती है। इलाहाबाद युनिवर्सिटी का १५,-२० साल पहले का वह दर्जा वह माना जाता था कि अगर कोई आदमी उस जमाने में कहीं पर काम कर रहा है तो उसको वहां से हटाना नामुमकिन हो रहा है और उनको पस्त नहीं किया जा सकता है : वह नमूना तालीम-याफता दुनिया के सामने मौजूद है। लेकिन अब हम उस मियार को कायम नहीं रख रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी खासकर इलाहाबाद युनिवर्सिटी के निकले हुए लड़के ऊंची जगहों पर जाते रहे और दुनियां के अन्दर उन्होंने उस मियार को कायम रखा है। आज हम उसको कायम नहीं रख रहे हैं।

मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक इलाहाबाद युनिवर्सिटी के सालाना दाखिले का ताल्लुक है उसमें खासी दिक्कतें पड़ती हैं। उसका कोई ऐसा हल निकालिये कि जिससे लोगों को आसानी हो। बाज साहबान को इस पर यकीन होगा कि हम से कम तादाद में लड़कों को हम दाखिल करें लेकिन एक तरफ तो हम तालीम बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी तादाद को बढ़ाना भी लाजिमी है। यह सही है कि इलाहाबाद में दाखिले के लिये हर साल तादाद बढ़ाते जायेंगे लेकिन इसके साथ ही उनको सहूलियत बहम भी आप पहुंचायें। अगर आप उस जमाने में देखें जब कि दाखला होता है तो आपको मालूम होगा कि लोग बड़ी-बड़ी सिफारिश को लेकर आते हैं तब जाकर उन लोगों का दाखिला होता है नतीजा यह होता है कि बहुत से गरीब बच्चे जो तालीम हासिल करना चाहते हैं, सिफारिश न होने की वजह से, हालांकि दाखिल होने वाले तालिबइल्मों से वे ज्यादा होशियार होते हैं, उनका दाखिला नहीं होने पाता। लिहाजा वजीरे तालीम की तवज्जह में इस तरफ दिलाऊंगा कि वे इस तरफ तवज्जह फरमायें और अपना अगला कदम उठायेंगे ताकि इस सूबे के लोगों को फायदा पहुंच सके।

अभी-अभी एक साहब ने डिवीजन का जिक्र फरमाया कि पहले दर्जे के जो लोग होते हैं उनको पहले लिया जाता है, उसके बाद दूसरे दर्जे के लोगों को लिया जाता है और ज्यादातर तीसरे दर्जे के जो लोग होते हैं उनका नम्बर ही नहीं आता है। मैं एजूकेशन मिनिस्टिर साहब की, आपके जरिये से तवज्जह दिलाऊंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इधर जो इम्तहान हुए उनमें लोगों ने काफी सिफारिशों के साथ नंबर हासिल किये और जो उनसे काबिलियत में ज्यादा थे, जिनके पास सिफारिश नहीं थी लेकिन उनके पर्चे अच्छे हुए थे उनको कम नम्बर मिले। सदन में इस तरह से उछलना उसके लिये मुनासिब मौका नहीं है। इस तरह से बाहर ही उछलना मुनासिब होता है तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि तीसरे दर्जे में पास होने वाले अगर आपकी खिदमत में, युनिवर्सिटी में, ऐसी दरख्वात दें और अगर यह यकीन हो जाय कि इसके पर्चे अच्छे हुए थे फर्स्ट डिवीजन के काबिल थे, उसके साथ नाइंसाफी हुयी है तो उसके नम्बरों की दुबारा जांच करायी जाय और ऐसे लोगों को इलाहाबाद युनिवर्सिटी में फिर से जगह दी जाय। जहां तक स्क्रुटिनी का ताल्लुक है, उससे गवर्नमेंट को लाख-दो लाख की आमदनी हो जाती है कोई खास फायदा लोगों को नहीं हो पाता।

जहां तक हिन्दोस्तान की तहजीब का सवाल है, एक जमाना था जबकि इलाहाबाद युनिवर्सिटी में इसका खास दर्जा था। लेकिन आज जबकि मौके-मौके कभी-कभी बेमौके भी, आप पुरानी तहजीब को खींच कर ला रहे हैं, हिन्दोस्तान की कदीमी तहजीब को आप इन युनिवर्सिटी में जारी फरमायें। गो कि वह चीज आपके दिमाग में हो सकती है लेकिन वह कनून में नहीं है इसलिये जब तक आप उसके लिये कोई प्राविजन नहीं करेंगे उस वक्त तक उनका होना दुश्वार ही मालूम पड़ता है। आप प्रोपेगेंडा के जरिये से ऐसी चीज भी यूनिवर्सिटी के अन्दर लायें जिससे उस्तादों के अन्दर वहां के तुलबा से ऐसी मुहब्बत पैदा हो जैसी कि अपने बच्चों में होती है। प्रोफेसर आते हैं, पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद तनख्वाह लेना ही अपना आखिरी फर्ज समझते हैं, उसके बाद समझते हैं कि उनकी कोई ड्यूटी नहीं है लेकिन उनका इससे भी बढ़कर फर्ज है और वह यह कि वे उन लड़कों से ऐसी मुहब्बत करें जैसे वे अपने लड़कों से करते हैं ताकि वे ज्यादा से ज्यादा काबिल बन सकें। गवर्नमेंट यह जो यूनिवर्सिटी बिल ला रही है

[श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी]

उससे वह हालत पैदा न होगी जो गवर्नमेंट पैदा करना चाहती है। महीने दो महीने के बाद ही उसको इसमें तरमीम लानी होगी ताकि मुनासिब इस्लाहात पैदा की जा सकें लिहाजा मैं गवर्नमेंट से अर्ज करूंगा कि वह ऐसी तरमीमात के साथ इस बिल को पास कराये जिससे बेहतर से बेहतर हालत पैदा हो सकें।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझको अब मौका दिया है जबकि तमाम विरोधियों ने अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं और जबकि ट्रेजरी बेंचेज के भी बहुत से मेंम्बर बोल चुके हैं।

श्री अध्यक्ष—इस सदन में आपका कोई विरोधी नहीं है।

श्री शिवनारायण—मेरा मतलब उन लोगों से था जिन्होंने इस बिल का विरोध किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि जरा उन कारनामों को तो देखिये जो इससे पहले इन युनिवर्सिटीज में किये गये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी में वर्तमान डिसिप्लिन क्या है? कैसे चल रही है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने सन् ५३ में लखनऊ शहर में देखा। इतना ही नहीं कि वहां नंगा नाच हुआ जिसका जिक्र इस सदन में किया गया है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस पर जो अपना असन्तोष और निराशा प्रकट की थी वह इस सदन को भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। अध्यक्ष महोदय, उस दिन जब एक विद्यार्थी को गोली लगी तो हमने देखा कि लखनऊ.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह लखनऊ युनिवर्सिटी का विधेयक नहीं है, यह बिल इलाहाबाद युनिवर्सिटी के सम्बन्ध में है।

श्री शिवनारायण—मैं आपसे यह कह रहा था कि जब मैं इलाहाबाद पहुंचा तो उस एजिटेशन में मैंने देखा कि इलाहाबाद की सड़क पर एक रिक्शे से एक लेडी को उतार लिया गया। जब मुझसे नहीं रहा गया मैंने टोका लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं था "परम स्वतंत्र विचरहिं मगमाहीं" अध्यक्ष महोदय, यह देख कर उस दिन मुझे बड़ी निराशा हुयी कि इस तरह से रिक्शा रोकाकर गरीबों के मुंह से रोटी छीनने का प्रयत्न किया गया, जिनके ऊपर हमारे देश का भविष्य निर्भर है, जिनसे हमारे देश की भलाई हो सकती है उनकी यह हालत देख कर मुझे बहुत ही दुख हुआ। अध्यक्ष महोदय, गुरुवर चाणक्य ने कहा है मातृवत् परदारेषु, परे द्रव्येषु लोस्ठवत्। आत्मवत् सर्वभूताषु यः पश्यति स-पंडितः।" मैं पूछना चाहता हूं इलाहाबाद युनिवर्सिटी के उन स्नातको से, जो कि यहां बैठे हुए हैं कि उनमें कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस तराजू पर तौले जाने पर सही उतर सकते हैं? उनमें कितने ऐसे हैं जो परायी बहू बेटियों को अपनी बहू-बेटी समझते हैं और पराये धन को लोष्ठवत् समझते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से एक कोटेशन पढ़ देना चाहता हूं "वि शुड नाट...

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके किताब के नाम का जिक्र कर दें ताकि लोग समझ लें कि किस पुस्तक से आप यह पढ़ना चाहते हैं।

श्री शिवनारायण—यह राधा कृष्णन की स्पीच है जो कन्वोकेशन के अवसर पर दिया गया है। उसमें उन्होंने स्टुडेंटों के लिये कहा है कि हम पश्चिमी सभ्यता से अपने देश को न रंगें बल्कि अपनी सभ्यता से इस देश को रंगे, यह उनका कहना है जो श्री राधा कृष्णन हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आज हमारे देश में ऐसे विद्यार्थियों की डिमांड है जैसा कि एक दिन श्री नारायण दत्त जी ने एकलव्य का उदाहरण दिया था। उस एकलव्य ने बन में अपने गुरू की मूर्ति बना कर उनको अपना अंगूठा बलिदान कर दिया। तो हम अपने प्रांत में, अपने देश में अपनी वही संस्कृति लाना चाहते हैं। हम इलाहाबाद युनिवर्सिटी में वही चीज लाना चाहते हैं जहां कि भरद्वाज ऋषि का आश्रम समझा जाता है। आज तो विद्यार्थी सिनेमा हाउसेज के

ठेकेदार बने हुए हैं। अपने उस्ताद को वे सलाम करना भी उचित नहीं समझते हैं। आज तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गुरू चेला का यही नाता है। मुझे खुशी है कि उस दिन माननीय नारायण दत्त जी ने न मालूम कितनी पुस्तकों का कोटेशन पढ़ दिया, लेकिन अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपने मस्तिष्क से कोई भी बात नहीं बतालायी। श्री नारायण दत्त जी ने अपनी कोई ओपीनियन हाउस के सामने नहीं बतलायी। श्री झारखंडे राय जी ने हमारा रास्ता क्लीअर कर दिया जब कि उन्होंने चीन का नाम लेते हुए कहा कि वहां के प्रोफेसरों को आदेश हैं कि वे इंगलिश से ट्रांसलेट कर के फिर उसे चीनी में पढ़ावें। हमारे प्रांत में या हमारे देश के किसी प्रोफेसर को इस तरह का कोई कम्पल्शन नहीं है। मुझे खुशी है कि श्री राम नरेश जी शुक्ल ने अपनी राय इस सदन के सामने रखी। मैं तो यह कहता हूं कि अंग्रेज तो चले गये लेकिन जो पोथा वे हमारी गर्दनों पर छोड़ गये हैं उनको चौराहे पर ले जाकर फूंक देना चाहिये। उनकी कोई आवश्यकता नहीं है और जैसा कि हमारे वाइस प्रेसीडेंट श्री राधाकृष्णन ने कहा है कि हमें अपनी संस्कृति के अनुसार और अपनी देश की सभ्यता के बमूजिब चलना चाहिये। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने तो यह बिल लाकर पहला कदम ठीक दिशा में उठाया है लेकिन आज ही शाहिद साहब को परेशानी हो गयी कि यह प्रतिबन्ध लगाये जायं और वह प्रतिबन्ध लगाये जायं, शायद वह भी अब हड़ताल करने लगें लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूं कि उनको प्रिजुडिस माइण्डेड हो कर कोई बात नहीं करना चाहिये। जब आगरा यूनिवर्सिटी बिल आया था उस दिन उन स्नातकों की आवाज नहीं थी, मैं पूछना चाहता हूं कि उस दिन क्या कोई पक्षपात नहीं था ? आज क्या बात हो गयी है उस दिन श्री बहुगुणा जी ने कहा था कि यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की बीबी हो जायगी। मैं उन से जानना चाहता हूं कि कैसे हो जायगी। ऐसा इसमें क्या किया जा रहा है कौन सी रुकावट डाली जा रही है, कोई प्रतिबन्ध ऐसा नहीं लगाया जा रहा है। सरकार के शोल्डर्स पर एक रेस्पांसिबिलिटी है और उसकी पहली ड्यूटी है कि वह अपने यहां यूनिवर्सिटीज को ठीक से चलाये। अभी तो सरकार ने पहला कदम रखा है कि वह यूनिवर्सिटी में चेक करे। ७ साल का जमाना गुजरा और हम अपने देश के विद्यार्थियों से आशा लगाये बैठे थे।

"यहि आशा अटक्यो रह्यो, अलि गुलाब के मल।
अइहैं फेरि बसन्त ऋतु, इन डारन वे फूल।"

हमारे माननीय गोविंद वल्लभ पंत जी उन से आशा लगाये बैठे थे, पंडित जवाहर लाल नेहरू उनसे आशा लगाये बैठे थे और सारा देश उनसे आशा लगाये बैठा था कि हमारे विद्यार्थी पढ़कर सुन्दर स्नातक और खद्दरवेषी बनकर वहां से निकलेंगे और सिम्पिल लिविंग ऐंड हाई थिंकिंग के सिद्धात पर चलेंगे लेकिन दुख है कि आज हमारे विद्यार्थी वही कालर नेकटाई की वेशभूषा को अपनाये हुए हैं और दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज वह काले अंग्रेज पैदा हो रहे हैं। पिछली समर वेकेशन में जब हम लोग नैनीताल गये थे तो विरोधी दल के और इस तरफ के ५ सदस्य बिरला कालेज गये थे। वहां के विद्यार्थियों द्वारा हम लोग जो असेम्बली के सदस्य थे उनके साथ जो व्यवहार किया गया उसका हमें बहुत दुख है और हमें चिंता है कि किस तरफ हमारे विद्यार्थी जा रहे हैं। परन्तु हम उस को कुछ नहीं बुरा मानते, क्योंकि 'क्षमा बड़न को चाहिये, छोटन को उत्पात' हम उनको क्षमा करते हैं। हम अपने इन विद्यार्थीगण से बड़ी-बड़ी आशा करते हैं, हम समझते हैं कि वह आगे चलकर हमारे पंडित गोविंद वल्लभ पंत को रिप्लेस करेंगे लेकिन दुख है कि अभी तक तो हमारी यह आशा निराशा में परिणत हो रही है, कोई यहां चीन की अलापता है, कोई रूस की अलापता है, कोई पाकिस्तान की अलापता है, कोई कहीं की अलापता है, और मालम होता है कि सरकार का कोई वेलविशर नहीं है। मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि रामप्रसाद त्रिपाठी जैसा आदमी.....

श्री अध्यक्ष--अब आप बिल पर आ जायं।

श्री शिवनारायण—मैं यह कह रहा हूं कि वह रामप्रसाद त्रिपाठी आज यहां से जाकर सागर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और केवल इसीलिये वह यहां से चले गये कि यहां की पार्टी पालिटिक्स ने उनको मजबूर किया और वह यहां से चले गये। इसी चीज को चेक करने के लिये सरकार ने इस बिल के जरिये से चेक लगाया है। मैं नाम सुनाना चाहता हूं और बहुत से प्रोफेसर्स वहां से राम प्रसाद त्रिपाठी की तरह से पार्टी पालिटिक्स के कारण से चले गये।...

श्री अध्यक्ष—आप नाम न सुनावें तो अच्छा है।

श्री शिवनारायण—जो-जो प्रोफेसर वहां से पार्टी पालिटिक्स के कारण चले गये उनके नाम माननीय नारायण दत्त जी ने रिपीट किये थे और कहा था कि आज पार्टी पालिटिक्स के कारण हमारी यूनिवर्सिटी में यह बुराई आ गयी है और उसी को दूर करने के लिये आज मंत्री जी ने बिल लाया है लेकिन उस पर शाहिद साहब को शिकायत है। आज हमारे यहां शिक्षा नीचे स्तर पर पहुंच गयी है। उसी को ठीक करने के लिये शिक्षा मंत्री जी यह विधेयक लाये हैं। इससे हमारे विद्यार्थियों का और देश का कल्याण होगा। जो कुछ सर राधाकृष्णन ने कहा था उसको मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि आइडियल यूनिवर्सिटी का क्या है। उन्होंने कहा था कि विद्यार्थी वही है जो मुसीबत का मुकाबिला करे और दुखसुख में एकसा रहे। आज बड़े विद्वान् हैं जो इस गवर्नमेंट को चला रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जहां कन्हैया, गोविंद और सीताराम सरकार को चला रहे हैं वहां सरकार किस तरह से निकम्मी हो सकती है, जिनका नाम लेने से ही सदन और अजामिल तर गये, तो क्या उन कन्हैया, गोविंद की सरकार इस प्रदेश का भला नहीं कर सकती? तो क्या सदन और अजामिल आवें तभी कल्याण होगा? आज देश को सच्चाई चाहिये।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं आप फिर बिल से बाहर जा रहे हैं, बिल पर आ जाइये।

श्री शिवनारायण—अध्यक्ष महोदय, अब मैं गवर्नमेंट को कुछ सजेशंस देना चाहता हूं। यूनिवर्सिटीज में गवर्नमेंट दो इंतिजाम शीघ्रातिशीघ्र कर दे। एक तो अध्यापकों के लिये वहां दो ग्रेड्स रखे जायं। एक लेक्चरर्स का और दूसरे प्रोफेसर्स का। उनका वेतन ३ सौ से ८ सौ और साढ़े आठ सौ से पंद्रह सौ तक रख दिया जाय और बाकी तमाम झगड़े हटा दिये जायं।

दूसरी बात जो कहना चाहता हूं वह यह है कि "let everyone go to Public service commission." आपके जो आई० सी० एस० लोग बैठे हुए हैं वह हों या वाइस चांसलर हों या प्रोफेसर्स हों या टीचर्स जिस किसी को भी रखना हो उसको पब्लिक सर्विस कमीशन से आना चाहिये। और तब हमारे शाहिद फाखरी साहब और नारायण दत्त जी की शिकायत दूर हो जायगी। जब सेलेक्शन से बेस्ट मैन आयेंगे और उसमें न चमार का, न पंडित का और न मुसलमान का सवाल रह जायगा। जो टाप करेगा वही रख लिया जायगा। इसलिये हर एक को पब्लिक सर्विस कमीशन में भेजिये। यही मेरी राय है।

तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण की है वह यह कि यूनिवर्सिटी एजूकेशन को फ्री और कम्पलसरी कर दिया जाय और सारे देश को मुफ्त शिक्षा दी जाय जिससे न पंडितों को शिकायत रह जाय, न चमारों को, न मुसलमानों को, न सोशलिस्टों को और न कम्युनिस्टों को, किसी को शिकायत न रह जाय। आज क्या दशा हमारे शिक्षार्थियों की है। शाहिद फाखरी साहब कहते हैं कि इम्तहान में नकल होती है। ठीक है कहीं मुंहदेखा व्यवहार हो सकता है होता हो लेकिन यह हमारी कमजोरी है, हमारे अध्यापकों की कमजोरी है लेकिन शाहिद फाखरी साहब ने किसी का नाम तो लिया नहीं जो समझ में आता। बहरहाल, मैं ऐसा विश्वास नहीं करता कि कोई अध्यापक ऐसा गिर गया हो जो किसी लड़के के साथ बेईमानी करे। मैं बतलाता हूं कि एग्जामिनर तो कोशिश करता है लोगों को पास करने की, लेकिन जब कापी में कुछ होता नहीं तब वह क्या

करें। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अध्यापक जो यूनिवर्सिटी में रखे गये हैं उनके रहने के मकानों की क्या दशा है। चार-चार वर्ष के लेक्चरार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हैं जिनके पास मकान नहीं है। उनकी मेडिकल एड का कोई प्रबन्ध नहीं है। वहां के एडवाइजरी कमेटी क्या करती है वहां के प्रबंधक लोग क्या करते हैं उसके सम्बन्ध में इस समय कहना नहीं चाहता लेकिन मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि अगर वाकई वह समाज को ठीक करना चाहती है तो मुनासिब ढंग से उनको शिक्षा दीजिये ताकि देश का उत्थान हो और अच्छे लोग आयें। हमारे मदन मोहन उपाध्याय जी ने ठीक ही व्यक्त किया कि प्राइमरी एजूकेशन और सेकेंडरी एजूकेशन में वाकई पक्षपात है। वहां यूनिवर्सिटी एजूकेशन का ठाट-बाठ ऐसा है वहां का रहन-सहन ऐसा है कि वहां गरीब बच्चे नहीं पहुंच पाते। अभी सबेरे मालमंत्री जी ने बताया कि दो हरिजन भाग गये? क्यों भाग गये? वह परिस्थितयों का मुकाबला गरीबी के कारण नहीं कर पाते। तो अगर यह सरकार मुफ्त शिक्षा कर दे तो इस देश के गरीबों का उद्धार हो जायगा, गरीब के लड़के भी ऊंची से ऊंची शिक्षा पायेंगे देश और राष्ट्र का भला करेंगे।

मैं इस सरकार को अन्त में मुबारकबाद दूंगा कि उसने यह विधेयक रखा है लेकिन मैं इतना उससे अवश्य प्रार्थना करूंगा कि वह ऐसे परिवर्तन हमारे विश्वविद्यालयों में करे जो हमारे प्राचीन गौरव, प्राचीन संस्कृति और भारतीयता को जन्म दे।

श्री अंसमान सिंह (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके जरिये से यह कहना है कि मैंने बहुत से माननीय सदस्यों की स्पीचें सुनीं इसमें कोई शक नहीं है कि यह जो विधेयक हमारे सामने है वह यूनिवर्सिटी की आटानमी को तो जरूर खत्म कर देता है लेकिन हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि यूनिवर्सिटी की अटानोमी का रहना हमारे लिये बहुत जरूरी है या यह मुनासिब है कि वहां की शिक्षा और वहां का इंतजाम ठीक ठिकाने से और सुचारु रूप से चले। मैं समझता हूं कि हर एक गवर्नमेंट की शिक्षा के प्रति इसी प्रकार जिम्मेदारी है जैसी जिम्मेदारी उनकी और और काम की है, जैसे सिंचाई है, खेती है, इसी तरहसे तालीम की भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, जो मौजूदा हालत यूनिवर्सिटी की है, जैसा कि सब लोगों ने आपके सामने बतलाया है कि वहां पार्टीबंदी है या और बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिनको रोकना गवर्नमेंट का फर्ज है उसको रोकने के लिये ही यह विधेयक लाया गया है और इससे यह खराबियां बहुत दर्जे तक खत्म हो सकती हैं। यह तो मैं नहीं कह सकता कि पूरी-पूरी कामयाबी इससे हो जायगी लेकिन बहुत दर्जे तक कामयाबी इस विधेयक से हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ लोगों ने कहा है कि सीधे तरीके से आप क्यों नहीं कहते कि हम वाइस चांसलर को खुद मुकर्रर करने का अख्तियार अपने हाथ में ले रहे हैं या चांसलर के जरिये से वजीर साहब खुद काम करें और उनका नाम दिखाने के लिये रख दें यह मुनासिब नहीं है इसलिये कि जो मौजूदा तरीका विधेयक में रखा गया है उसमें यह भी है कि अगर हमारी यूनिवर्सिटी की हालत सम्हल जाय, जो शिकायतें हैं वह दूर हो जायं तो बहुत आसानी से हम फिर लौट कर उसकी अटोनामी पूरी कर सकते हैं क्योंकि हमेशा इस देश में यह अच्छा समझा गया है कि यूनिवर्सिटी या जुडिशियरी अटोनामी बाडीज हो इनमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफियरेंस न हो।

मेरा यह विचार है कि यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने वाले हैं उनको यह पूरी आजादी है कि वह चाहे सोशलिस्ट लिटरेचर पढ़ें चाहे कम्युनिस्ट, चाहे किसी और पार्टी का लिटरेचर पढ़ें और उसके मुताबिक अपनी तैयारी करें और जिन्दगी में दाखिल हों तो जिस विचारधारा को चाहें अपनायें लेकिन जब तक वह यूनिवर्सिटी में रहते हैं तब तक मेरा यह ख्याल है कि उनको इस किस्म की कोई बात नहीं अख्तियार करनी चाहिये कि वहां आपस के लोगों में हम जनसंघी हैं, हम कांग्रेसी हैं, हम सोशलिस्ट हैं के विचार को लेकर आपस में लड़ाई हो। इस तरह से वहां पढ़ाई का नुकसान और तमाशा न होना चाहिये और इसको रोकने के लिये भी विधान में इन्तजाम होना चाहिये। मेरा यह अनुभव है कि इस किस्म की जो बातें यूनिवर्सिटी में पैदा

[श्री अंसमान सिंह]

होती हैं उनके जिम्मेदार वहां के टीचर-प्रोफेसर वगैरह होते हैं । बहुत से टीचर या प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज में ऐसे आ जाते हैं कि जो अपने को किसी न किसी पार्टी से संबंधित किये रहते हैं और उसके बाद वह क्लास में बैठ कर उसी किस्म की बातें करना शुरू कर देते हैं जिस प्रकार की उनकी विचारधारा होती है । इसका नतीजा यह होता है कि लड़के आसानी से उसी रास्ते पर चले जाते हैं । मुझे अपने जमाने का एक किस्सा याद है कि मेरे एक हिस्ट्री के प्रोफेसर थे वह बंगाली थे । जब वह क्लास में आते तो अंग्रेजों के खिलाफ घंटों बातें किया करते थे कभी उन्होंने किताब खोल कर नहीं पढ़ाया । दस बारह रोज बाद कहते (Now we must presume that we have finished Akbar and from tomorrow we will begin Aurangzeb.) इस तरह वह किया करते थे । खैर, वह जमाना तो चला गया हालांकि ऐसी बातें इस जमाने में बहुत अच्छी मालूम होती थीं लेकिन मौजूदा जमाने में हम इस किस्म के प्रोफेसर नहीं चाहते हैं कि जो इस किस्म की बातें किया करें और पढ़ायें नहीं और लड़कों में पार्टीबन्दी करें जिसका नतीजा वैसा ही हो जैसा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुआ । इसलिये मेरा वह ख्याल है कि गवर्नमेंट को यह अख्तियार जरूर रखना चाहिये कि जो जिम्मेदार अफसर यूनिवर्सिटी के हों जैसे कि वाइस चांसलर उनके चुनाव में बहुत कुछ अख्तियारात वह अपने हाथ में रक्खे और जैसा कि ट्रांसफरेबिल वोट का कायदा है वह बहुत मुनासिब है क्योंकि, उसमें किसी एक पार्टी का आदमी नहीं आयेगा बल्कि हर पार्टी का आदमी आ जायगा । और जैसा कि उन्होंने रखा है कि तीन नाम भेजे और उसमें कंसीडर किया जाय । और अगर एक नाम भेज दें तो जरूर मंजूर कर लिया जाय तो अगर रखा गया है तो मुनासिब है । कुछ मित्रों ने कहा है कि यह रिपीटीशन होता है । मैं समझता हूं कि रिपीटीशन नहीं बल्कि उन्हें फिर एक मौका दे दिया जाता है, क्योंकि बहुत मुमकिन है वह लोग सब एक राय के हो जायं और एक राय से अच्छे आदमी को चुन लें । इसलिये इस किस्म का तरीका भी रखना निहायत मुनासिब है । वाइस चांसलर के चुनाव का जो तरीका रखा गया है वह इसमें शक नहीं है कि ज्यादातर अख्तियारात उसमें गवर्नमेंट ने ऐसे कर लिये हैं जो बुरा आदमी या किसी खास पार्टी का आदमी न आये । लेकिन उसके साथ-साथ हमारे लिये यह भी जरूरी है कि यूनिवर्सिटी के सेन्टीमेंट्स को न कुचले । यूनिवर्सिटी से ही उसका चुनाव करायें तो ज्यादा अच्छा है । इसलिये इस किस्म की बात औरों के चुनाव में जो हमने रखी है वह भी ठीक है कि वहां की बाडी ही चुने । लेकिन हमने जरूर कुछ अख्तियारात अपने हाथ में रखे हैं, जिनकी वजह से हम ओबस्टिकिल्स डाल सकते हैं अगर कोई बुरा आदमी चुना जाय । इसलिये यह बहुत जरूरी है कि सेण्टीमेंट भी कायम रहे । मेरे एक इलाहाबाद के मेम्बर ने बहुत कुछ कहा है । मैं समझता हूं कि चूंकि वह इलाहाबाद के रहने वाले हैं और वह उस ऐटमास्फियर से बाहर नहीं निकल सकते जिस किस्म की बातें उन्होंने कहीं हैं उन पर गौर नहीं किया, क्योंकि जो आदमी किसी खास ऐटमास्फियर में रहता है वह वैसा ही सोचता है और अख्तियारात जिसके हाथ से निकलते हैं, वह बुरा मानता है । इसलिये उस किस्म के ऐटमास्फियर से बातें आयें तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है । एक बात यह भी कही गयी कि चांसलर को जो अख्तियारात दिये जा रहे हैं वह अख्तियारात हमारे तालीम के मंत्री के हैं, वह इसको इनफ्लूयेंस कर लेंगे । मैं समझता हूं कि यह बहुत ज्यादा मुनासिब नहीं मालूम होता है और मामलात में जहां बहैसियत वह गवर्नर के हैं वहां वह कांस्टीट्यूशनल हेड हैं । वहां मिनिस्टर को सब अख्तियार है यह कहना कि मिनिस्टर साहब उसको बहैसियत चांसलर के, इन्फ्लूयेंस करके जो चाहे करा ले यह जरा कुछ समझ में नहीं आता है । हां, अगर कोई कमजोर आदमी हो तो कोई कुछ करा ले या मिनिस्टर के कहने पर अगर वह कोई बात यों मान ले तो दूसरी बात है । लेकिन यह कहना कि मिनिस्टर उन पर हावी होगा और जो चाहेगा वह चांसलर से करा लेगा, यह गलत बात है, कोई चांसलर ऐसा कमजोर नहीं होगा जो मिनिस्टर के कहने से अपने अख्तियारात उसके सुपुर्द कर दे । यह जरूर है कि जैसे विधेयक में हमने अख्तियार दिये चांसलर को तो हम यह भी अनुभव

कर सकते हैं कि कभी कोई समय ऐसा हो कि कोई चांसलर एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में बहुत होशियार हो, लेकिन शायद वह बहुत जबर्दस्त एजूकेशनिस्ट न हो। तो ऐसी हालत में एक दिक्कत हो सकती है। तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि एक छोटी सी ऐडवाइजरी कमेटी, दो-तीन, एजूकेशनिस्ट्स की अगर उसकी हेल्प के लिये कर दी जाय तो ज्यादा अच्छा हो और यह भी एक कायदे की बात है कि जो चीज एक से ज्यादा राय से होती है वह अच्छी होती है। तो मैं समझता हूं कि इस किस्म की अगर कोई कमेटी कर दी जाय तो ज्यादा अच्छा है। उनका यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक न हो और बहुत महान् एजूकेशनिस्ट्स हों जो तालीम के मामले में चांसलर को राय दे सकें। मसलन कोई यूनिवर्सिटी कोर्ट में कोई चीज हुयी और उसको कोर्ट ने नहीं तय किया हो तो जहां एजूकेशन का मामला हो वहां वह कमेटी देख सके। असोशियेटेड कालेजेज जो मुकर्रर किये गये हैं, यह भी मैं समझता हूं बहुत मुनासिब है। इस वास्ते कि युनिवर्सिटी को तालीम के लिये दो हजार या ढाई हजार स्टूडेंट्स से ज्यादा अगर रखे जाते हैं तो वह तालीम के ख्याल से मुनासिब नहीं हो सकता। युनिवर्सिटी उनको मुनासिब तालीम नहीं दे सकती। आज टीचिंग युनिवर्सिटी इससे ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं ले सकती है। इसके साथ-साथ हमें यह भी देखना है कि बहुत से तालिबइल्म हमारे हर साल बढ़ते जाते हैं, उनकी तादाद इतनी बढ़ गयी है कि मुझे याद है जिस साल मैंने बी० ए० का इम्तहान दिया था, यू० पी० और सी० पी० दोनों प्राविंसेज के कुल मिला कर ढाई हजार स्टूडेंट्स बी० ए० में बैठे थे और आज शायद दो-दो, ढाई-ढाई हजार स्टूडेंट्स एक-एक युनिवर्सिटी से बी० ए० के इम्तहान में बैठते हैं। तो जब इनकी इतनी तादाद बढ़ती जा रही है तो इन युनिवर्सिटीज के साथ-साथ अगर असोशियेटेड कालेजेज रखे जायं तो कोई बेजा नहीं है। यह जरूर है कि युनिवर्सिटीज अथारिटीज को उनकी देख-रेख करने के लिये या उनके प्रोफेसरों के चुनाव में काफी अख्तियारात होने चाहिए, जिसमें उनका स्टैंडर्ड नीचा न होने पावे। साथ ही साथ एक बात और है। इस विधेयक में यह रखा गया है कि जो असोशियेटेड कालेजेज होंगे वह डिग्री कालेज तक तो रखेंगे। इससे ज्यादा नहीं रख सकेंगे। यह बहुत मुनासिब है। मगर इसके साथ-साथ इसका और अमेंडमेंट होना चाहिये कि पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज में एडमिशन उनका उतनी ही आसानी से हो सके जितनी आसानी से युनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का एडमिशन वहां होता है। और बाहरी स्टूडेंट्स से उनको प्रेफरेंस मिलना चाहिये। इस किस्म की बातें होना बहुत जरूरी है। एक बात और है। इसमें एक जगह यह रखा गया है कि अगर किसी स्टूडेंट का वर्क अनसैटिस्फैक्टरी हो—हिज वर्क इज अनसैटिस्फैक्टरी, में बी रिमूव्ड फ्राम दी यूनिवर्सिटी— उसको युनिवर्सिटी से या असोसियेटेड कालेज से निकाला जा सकता है। यह जरा बहुत जबरदस्त और बात मेरी समझ में है कि खाली इस बात पर कि उसका वर्क अनसैटिस्फैक्टरी हो इस पर किसी स्टूडेंट को युनिवर्सिटी से हटा दिया जाय। यह कुछ मुनासिब नहीं है और यह बहुत वेग रखा गया है। अगर कोई इममारेलिटी का चार्ज हो या और कोई इस तरह की बात हो तो उसे हटा देना मुनासिब है कि अगर वह पढ़ने-लिखने में कम तवज्जेह देता है और खेल कूद में ज्यादा तवज्जेह देता है तो उसके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी ऐक्शन लिया जाय, उसको बिलकुल हटा देना मुनासिब नहीं है। मैं मिनिस्टर साहब से इस्तदुआ करूंगा कि वह इसके ऊपर गौर कर लें और इसको अगर उचित समझें तो निकाल दें। इतने अख्तियार दे देना कि अगर वर्क अनसैटिस्फैक्टरी हो तो वह निकाल दिया जाय यह किसी तरह भी मुनासिब नहीं मालूम होता है। इस किस्म की कुछ बातें इस विधेयक में जरूर हैं जिनमें रद्दोबदल करने की जरूरत है वरना जो विधेयक हमारे सामने है वह बहुत साफ है और बिलकुल साफ तरीके से इसके माने यही हैं कि गवर्नमेंट अपने हाथ में कुछ अख्तियारात खास तौर से इस गरज से लेना चाहती है कि जो आज युनिवर्सिटीज में तमाशे हो रहे हैं प्रोफेसरों में और तालिबइल्मों में, वह किसी तरह से काबू में आ जायं। वह तमाशा न हो और साथ-साथ इसमें यह भी है जैसा कि कहा जा रहा है कि अगर यह हालत संभल गयी और ठिकाने से सब चीज हो गई तो

[श्री अंसमान सिंह]

आइन्दा चल कर हम उसको फिर वैसा ही आटोनामस कर सकते हैं। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इतने ड्रास्टिक अख्तियार न लिये जायं कि जिससे फिर आगे चल कर उसको वैसा ही आटोनामस करने में दिक्कत पैदा हो।

श्री अध्यक्ष—आप के सिर्फ ५ मिनट शेष रहे हैं, आप और कुछ इससे अधिक समय लेंगे क्या ?

श्री अंसमान सिंह—मैं खत्म कर चुका हूं।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस विधेयक को यहां पर प्रस्तुत किया और अपनी तकरीर की और उसमें जो कुछ बातें उन्होंने कही हैं उससे मालूम पड़ता है कि उनके मस्तिष्क के सामने या उनके सामने खुद भी जो कुछ वह करने जा रहे हैं उसका चित्र स्पष्ट नहीं है। एक ओर तो आप का यह कहना है कि युनिवर्सिटीज में आटोनामी रहनी चाहिये, इसके वह पक्ष में हैं लेकिन दूसरी ओर जब हम इसमें देखते हैं तो उन्होंने उसके ऊपर एक कुठाराघात बिलकुल कर दिया है और यह भी आप ने कहा है और वह खुद भी महसूस करते हैं और उन्हें इस बात का दुख भी है कि उन्हें युनिवर्सिटीज की आटोनामी पर कुठाराघात करने का अवसर मिला है। यह सही है और हम मानते हैं कि अखबारों में या युनिवर्सिटीज के अध्यापकों के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा, उत्तर प्रदेश तथा हिन्दुस्तान के अन्दर जितने शिक्षित लोग हैं उन सब का यह कहना है कि युनिवर्सिटीज के अन्दर कुछ दिक्कतें आ गई हैं और ऐसा हुआ है। हम भी इसको मानते हैं और मूथम कमेटी की रिपोर्ट में तो बड़ा विवरण दिया है और राधा कृष्णन कमीशन ने भी अपना सजेशन दिया है कि युनिवर्सिटीज में सुधार होने चाहिये हम भी मानते हैं कि युनिवर्सिटीज में आज सुधार होने की आवश्यकता है लेकिन सुधार होने के अर्थ यह कदापि नहीं हैं जैसा कि शिक्षा मंत्री महोदय कहते हैं कि हम उसके स्वरूप को ही पूरा परिवर्तित कर दें तभी सुधार हो सकेगा। मूथम कमेटी का हवाला माननीय शिक्षा मंत्री जी ने दिया है और यह कहा है कि उसकी रिकमेंडेशन्स के ऊपर ही हम इस विधेयक को लाये हैं। लेकिन मेरा दावा यह है कि इसको प्रारम्भ से लेकर आखिर तक पढ़ने में उसकी स्प्रिट को शायद उन्होंने फालो नहीं किया है और यदि फालो किया है तो जो कुछ वह कहते हैं तो वह उन्होंने क्रोकोडाइल टीयर्स ही शेड किये हैं।

आप यह कहते हैं कि आप आटोनामी को मानते हैं लेकिन जब हम इस विधेयक को देखते हैं तो उसके प्रीएम्बिल में लिखा गया है। उसको मैं उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं—

"Which aims at giving a unitary and residential character to the university which should be retained."

यह आप ने कहा है लेकिन जब हम इसके अन्दर जाते हैं तो बिलकुल इसको परिवर्तित कर दिया गया है और इसका चोला ही बदल दिया गया है। दूसरी ओर जब मूथम कमेटी की रिपोर्ट को देखते हैं तो उसके १४० पृष्ठ पर लिखा है कि—

"We are of the opinion that the unitary system should be retained."

यह सही है और इसको मानना चाहिये कि युनिवर्सिटीज के अन्दर दिक्कतें आ गई हैं लेकिन उस पर गौर नहीं किया गया है। इसके ऊपर हमारी मूथम कमेटी की रिपोर्ट बहुत

दूर तक की बात कहती है। युनिवर्सिटीज के वर्तमान प्रबन्ध में क्यों दिक्कतें आ गई हैं, इसके ऊपर शिक्षा मंत्री महोदय ने, और सरकार ने गौर नहीं किया है, क्योंकि इस मूथम कमेटी की रिपोर्ट में लिखा गया है, अखबारों में आया है और हम व्यावहारिक रूप से भी देखते हैं। १९२२ से लेकर १९५२ तक फीगर्स मूथम कमेटी की रिपोर्ट में दिये गये हैं। सन् १९२२ में ८०० और कुछ विद्यार्थी थे लेकिन सन् १९५२ में क़रीब ६,१९५ विद्यार्थी हो गये। जब इतनी तादाद विद्यार्थियों की संख्या की बढ़ गयी तो यह आवश्यक था कि उनके लिये फ़ैसिलिटीज बढ़ाई जातीं, प्रोफ़ेसर्स बढ़ाये जाते, एकोमोडेशन बढ़ाया जाता। लेकिन यह हमसे हो नहीं पाया और इसी कारण युनिवर्सिटी के अन्दर दिक्कतें बढ़ती गयीं। इन दिक्कतों का जो समाधान माननीय शिक्षा मंत्री इस बिल के द्वारा चाहते हैं वह होने वाला नहीं है। आज देश की पुकार है कि हमारी युनिवर्सिटियां ऐसी हों जिनमें साधारण आदमी, ग़रीब आदमी शिक्षा पा सकें। देश के उत्थान के लिये प्रत्येक विधि के लोगों की आवश्यकता है और उसी प्रकार की ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। आज युनिवर्सिटी एजुकेशन इन्हीं कारणों से बढ़ाने की आवश्यकता है और इसी लिये पिछले दिनों आगरा युनिवर्सिटी विधेयक यहां पर आया था और वह पास हुआ। उसमें यह है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले के अन्दर या प्रदेश के बाहर भी अगर कोई कालेजेज ऐसे हैं जो बी० ए० और एम० ए० तक की शिक्षा देते हैं तो वे आगरा युनिवर्सिटी से एफ़िलियेट हो सकते हैं। यहां पर लड़कों की तादाद बढ़ गयी है और उनको किसी तरह से एकोमोडेट करना है जिससे कि वे परीक्षा में बैठ सकें। लेकिन जब हमारे सामने एक सीधा चारा है कि आगरा युनिवर्सिटी से वे एफ़िलियेट हो सकते हैं और अपनी डिग्रियां हासिल कर सकते हैं तो यह कोई आवश्यक नहीं है कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी का कैरेक्टर एसोशिएटेड कालेजेज के द्वारा ही बदला जाय। उससे फिर उद्देश्य की पूर्ति माननीय मंत्री जी करना चाहते हैं वह नहीं होगी। एक फ़ेडरेटिव यूनिवर्सिटी बनाने से उसका स्टैंडर्ड गिरेगा ऐसा मूथम कमेटी ने भी कहा है और यह अवश्य होगा और इसकी ज़िम्मेदारी हमारे शिक्षा मंत्री जी के ऊपर होने जा रही है।

युनिवर्सिटी के बारे में दो-तीन बातें बतायी गयी हैं। एक तो उसका स्टैंडर्ड फ़ाल हो गया है। स्टैंडर्ड को बचाने के लिए अगर वह रेमेडी सोची गयी है कि उसको युनिटरी के बजाय फ़ेडरेटिव बना दिया जाय तो मैं समझता हूं कि वह उल्टा दृष्टिकोण लिया गया है, उससे युनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड और गिरेगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के अन्दर जितनी दिक्कतें बढ़ी हैं उनके बारे में सब ने यह कहा है कि युनिवर्सिटी के फ़िनैन्सेज कमजोर हो गये हैं और उनका हैंडलिंग और एप्रोप्रिएशन अच्छे ढंग से नहीं हुआ है। यह भी कहा गया है कि १५ लाख रुपये केवल डी० ए० में खर्च किये गये हैं। हम यह मानते हैं कि स्वराज्य के बाद, या पोस्ट-वार रिएक्शन के बाद देश के अन्दर लिविंग स्टैन्डर्ड बढ़ा और उसके साथ जैसे कि डी० ए० के द्वारा सुविधा मिली या और तरह से सुविधा मिली और लोगों को वह युनिवर्सिटीज के अन्दर जो प्रोफ़ेसर या अधिकारी हैं, उनको भी मिलनी चाहिये थी। लेकिन वह नहीं मिली।

इसके अतिरिक्त जो सब से भारी चीज इसमें रखी गयी है वह गवर्नमेंट का फाइनेंशियल चक्र है, जो कि गवर्नमेंट अपने एक विधेयक के द्वारा युनिवर्सिटी के ऊपर लाने जा रही है, जिससे युनिवर्सिटी की आटोनोमी उस दृष्टि से भी खत्म होगी। हमने इस सम्बन्ध में मूथम कमेटी की रिपोर्ट में पढ़ा और उन्होंने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दिया है और प्रेस में भी यह बात कही गयी है कि युनिवर्सिटी को भी आर्थिक दृष्टिकोण से गवर्नमेंट अपने कंट्रोल के अन्दर पूरा न लावे। इसके लिये जो सजेशन दिया गया है, मैं समझता हूं कि बड़ा सुन्दर था और उसी के ऊपर अगर माननीय शिक्षा मंत्री चलते तो बहुत अच्छा होता जो सजेशन कि युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी का था। उनका यह सजेशन था कि एजूकेशन डिपार्टमेंट के अन्दर न हो कर यह काम फाइनेंस डिपार्टमें के अन्दर हो और उसके अन्दर ग्रांट्स दी जायं।

[श्री गंगाधर मैठाणी]

प्रत्येक युनिवर्सिटी के अन्दर, जो इस सरकार के मातहत हैं, वह युनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी एक स्वतंत्र बाडी हो और वह युनिवर्सिटी की आवश्यकताओं को देखते हुए वहां पर ग्रांट्स की रिकमेंडेशन करें और यदि किसी प्रकार से युनिवर्सिटी के अन्दर पैसे का उपयोग नहीं होता, या गवर्नमेंट जो पैसा देती है और हम इस बात को मानते हैं और प्रत्येक मानेगा कि यदि सरकार पैसा देती है तो उसको अधिकार भी है कि वह देखे कि उस पैसे का उपयोग ठीक हुआ या नहीं हुआ, लेकिन पैसा देने का मतलब यह नहीं होता है कि गवर्नमेंट अपने कानून के द्वारा युनिवर्सिटी के कैरेक्टर को इस प्रकार से बदले। क्योंकि इसमें एक दूसरी बात आ जाती है। मैंने इसको प्रायः देखा और पढ़ा और ऐसा विदित हुआ, जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री के वाक्यों से विदित हुआ है कि वह शायद इस बात को भूल गये हैं कि प्रजातंत्र में किसी भी देश में हमेशा पार्टी गवर्नमेंट होगी। मैं यह मानता हूं कि युनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसरों के अन्दर पार्टी दल-बन्दियां हैं, लेकिन जहां-जहां भी प्रजातंत्र होगा वहां पार्टी गवर्नमेंट्स अवश्य होगी, इसलिये कि पार्टी गवर्नमेंट के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता प्रजातंत्र के अन्दर नहीं निकला है। तो यहां भी पार्टी गवर्नमेंट होगी। माननीय शिक्षा मंत्री ने इसी उद्देश्य से, कि वह समझते हैं कि शायद जो वर्तमान गवर्नमेंट है वह पार्टी गवर्नमेंट नहीं है या आगे जो गवर्नमेंट आयेगी वह पार्टी गवर्नमेंट नहीं होगी इस विधेयक को रखा है। लेकिन पार्टी गवर्नमेंट तो बराबर होगी। इस समय भी और आगे भी जब गवर्नमेंट के नामिनीज उसमें होंगे, चांसलर्स के होंगे, युनिवर्सिटी के अन्दर, कोर्ट में और एक्जिक्युटिव कौंसिल के अन्दर, जैसा कि प्रयत्न किया गया है कि नामिनीज के द्वारा जो चांसलर्स के होंगे या गवर्नमेंट के होंगे, एक किस्म के एक्सटर्नल मेम्बर्स भर दिये जायंगे तो फिर तो वहां पार्टी बन्दी होगी ही। यह तो स्वाभाविक है, ह्यूमन वीकनेस है कि कोई भी गवर्नमेंट होगी, वह अपने पार्टी के सदस्यों को, अपने हमदर्दों का ही ख़याल करेगी और उनको ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में मेम्बर नियुक्त करने की चेष्टा करेगी। उससे क्या होगा? युनिवर्सिटी के अन्दर जो छोटे-छोटे दल हैं, जो प्रोफ़ेसरों में छोटी-छोटी पालिटिक्स चलती हैं वह विशाल रूप में, पहलवानों का मल्लयुद्ध हो जायगी और जो पार्टी पालिटिक्स ख़त्म करना चाहते हैं वह विकसित रूप धारण कर लेगी। दूसरा दृष्टिकोण इसी लिये यह रखा गया कि जहां तक युनिवर्सिटी को फाइनेंस करने का सवाल है वहां यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी हो। उसके रिकमेंडेशन के ऊपर कि युनिवर्सिटी को कितने अर्थ की आवश्यकता है, उसके अनुसार ग्रांट दी जाय और उन्हीं को अधिकार दिया जाय कि वह वहां के फाइनेंसेज को देखें कि प्रापरली युटिलाइज़ होता है या नहीं होता है।

उसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब इसके अन्दर और खंडों में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि सरकार की ओर से एक ओर तो यह प्रयत्न किया जाता है, कहा यह जाता है कि हम यूनिवर्सिटीज को प्यौरीफाई करना चाहते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का यह उद्देश्य बहुत अच्छा है। लेकिन जो काम करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा है, उनके सामने स्वयं अंधकार है, वह खुद नहीं समझते हैं कि इसकी रेमेडी क्या है। वह जानते हैं कि बीमारी है। लेकिन बीमारी का क्या उपचार हो इसके लिये वह खुद स्पष्ट नहीं हैं। जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में कहा है, और उन्होंने इस बात को माना है कि उनको इसको फिर परिवर्तित करना पड़ेगा और जो वर्तमान दशा यूनिवर्सिटीज की है उससे बुरी दशा युनिवर्सिटी की हो जाय, वह खुद मानते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना कहने के बाद मैं दो एक बातें और कहना चाहता हूं। यह सही है कि युनिवर्सिटीज के अन्दर जो वर्तमान परिस्थति चल रही है, उनकी जिम्मेदारी बढ़ गयी है, जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गयी, कुछ फैकल्टीज भी बढ़ गयीं और इस कारण उनका खर्चा अधिक बढ़ गया। जो डोनेशंस पहले मिलते थे वह आज नहीं मिल रहे हैं। यह देश का दुर्भाग्य है कि उसकी आवश्यकता की पूर्ति अन्य साधनों

से नहीं हो सकती है। लेकिन जब नहीं हो सकती है तो सरकार की ड्यूटी हो जायगी कि वह युनिवर्सिटीज की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। लेकिन उस पूर्ति करने में यह आवश्यक नहीं है कि वह उसके कैरेक्टर को बदले और समझे कि युनिवर्सिटी हमारे पूरे कब्जे में आ जाय, तभी हम कुछ कर सकेंगे। यह दृष्टिकोण बिलकुल गलत है। यह सही है कि आज देश की बहुत बड़ी आवश्यकताएं हैं। यह भी सही है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। ५२ जिले और साढ़े ६ करोड़ की आबादी है। इलाहाबाद युनिवर्सिटी के अन्दर ही हमारी शिक्षा समस्या का हल नहीं हो सकता। और हमें उच्च शिक्षा के लिये साधन जुटाने पड़ेंगे। लेकिन यह भी सही है कि हमारे पास इस समय जितनी भी रेजिडेंशल युनिवर्सिटीज हैं, लखनऊ और इलाहाबाद, और इसी प्रकार से उनके कैरेक्टर को मान्यता रहे, और आगरा विश्वविद्यालय इतने विद्यार्थियों का प्रबन्ध नहीं कर सकता है, तो क्यों नहीं, एक दूसरा विश्वविद्यालय बरेली या देहरादून या किसी अन्य रीजन में खोल दिया जाय। जहां तक लखनऊ और इलाहाबाद युनिवर्सिटीज का संबंध है जैसा कि मैंने पहले कहा वह खास विषयों में स्पेशलाइज कर सकती हैं। वही फैक्लटी उसमें खुले और उसके अन्दर लड़कों का स्तर ऊंचे से ऊंचा हो सके। ऐसा प्रबन्ध उसमें होना चाहिये। आज कहा जाता है कि वहां पर पार्टी पालिटिक्स हो गयी है। मैं माननीय सदस्यों का नाम लेना नहीं चाहता जिन्होंने कहा कि युनिवर्सिटीज के अन्दर दलबन्दी बहुत होती है। लेकिन दूसरी ओर हम चाहते हैं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा भी यूथ कांग्रेस का आर्गनाइजेशन हो रहा है और अभी अल्मोड़े के अन्दर विद्यार्थियों की सभा हुई जिसमें कहा गया कि कांग्रेस को सपोर्ट करो। एक ओर गवर्नमेंट के प्रधानों का यह दृष्टिकोण है और दूसरी ओर हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों में पालिटिक्स न घुसने पाये। दोनों में विरोधाभास है। जिस उद्देश्य से माननीय शिक्षा मंत्री ने विधेयक रखा है हम मानते हैं कि वह उद्देश्य बहुत अच्छा है। लेकिन जो काम करने जा रहे हैं उसके द्वारा जो उनका उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं होगी बल्कि उससे हानि होगी, देश को महान् क्षति होगी इसको भविष्य बतलायेगा और तब माननीय शिक्षा मंत्री इसको खुद स्वीकार करेंगे।

श्री रतन लाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से भाषण इस विधेयक के सम्बन्ध में हुए और मैंने उनमें से बहुतों को सुना। मैं भी उन पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में विरोधी दल की ओर से बड़ी समालोचना की गई। जहां तक इस विधेयक का संबंध है यह विधेयक इस शिक्षा के सब क्षेत्रों में नहीं जा रहा है, इसका स्कोप सीमित है। जो आज कल इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम है उसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं। क्या शिक्षा पद्धति हो, क्या तरीका हो, क्या संस्कृति हमारे यहां हो, विद्यार्थी को कैसा बनाया जाय यह इस विधेयक में नहीं है। इलाहाबाद युनिवर्सिटी में जो इस वक्त खराबियां हैं उनको दूर करने के लिये यह विधेयक बनाया गया है। जहां तक इस विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है उसके काम को हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हिस्सा शिक्षा के सम्बन्ध में है कि शिक्षा कैसी हो, उसका स्टैंडर्ड कैसा हो, लड़के कैसे पढ़ें और उनको किस तरह की शिक्षा दी जाय। दूसरा है रुपये के सम्बन्ध में और तीसरा है प्रबन्ध के सम्बन्ध में।

यह कहा गया है कि युनिवर्सिटी की स्वतंत्रता में रुकावट न डाली जाय। माननीय मंत्री जी ने भी इसे माना है कि युनिवर्सिटी में स्वतंत्रता होनी चाहिये। मूथम कमेटी ने भी कहा है स्वतंत्रता होनी चाहिये। मैं भी यह समझता हूं कि स्वतंत्रता होनी चाहिये परन्तु जब स्वतंत्रता में खराबी आ जाती है, जब स्वतंत्रता के कारण एक विषम परिस्थिति प्रस्तुत हो जाती है, तो हर एक का कर्तव्य हो जाता है, सरकार का भी कर्तव्य हो जाता है कि उस विषम परिस्थिति को हटाने के लिये कुछ न कुछ क़दम उठा दे। जहां तक शिक्षा सम्बन्धी स्वतंत्रता का सम्बन्ध है उसमें कोई रुकावट नहीं डाली गयी है। शिक्षा के सम्बन्ध में जो एकेडेमिक कौंसिल चल रही थी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन तो किया गया परन्तु उसके हाथ में

[श्री रतन लाल जैन]

शिक्षा संबंधी सब बातें छोड़ दी गयी हैं। पहले एकेडेमिक कौंसिल में बहुत अधिक आदमी थे उसकी संख्या घटा कर ५० कर दी गयी है। उसके काम को चलाने के लिये स्टैंडिंग कमेटी बना दी गयी है लेकिन शिक्षा का स्टैंडर्ड उठाना यह सब कार्य उसी के हाथ में छोड़ दिया गाया है। इस विधेयक के जरिये कहीं भी शिक्षा संबंधी किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया गया है। इसलिये जहां तक हो सकता है शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता पूरी तौर से दी गयी है।

अब रहती है दो विषय की स्वतंत्रता। प्रबन्ध की स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। यह बात सब ने स्वीकार की है और मूथम कमेटी ने भी स्वीकार की है इस वक्त इलाहाबाद युनिवर्सिटी में दलबन्दी है। वहां के अध्यापकगण दलबन्दी में फंसे हुये हैं। उनकी दृष्टि शिक्षा की ओर इतनी नहीं है जितनी की दलबन्दी की ओर है। वे समझते हैं कि पार्टीबन्दी के द्वारा ही उनका उत्थान हो सकेगा, उनकी पोजीशन बढ़ सकेगी, उनकी बढ़ोत्तरी हो सकेगी। मैं विरोधी दल के नेता और उनकी पार्टी के सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि जब यह परिस्थिति वहां है और दलबन्दी के कारण शिक्षा के काम में भी बड़ी भारी रुकावट पड़ रही है, उनका ध्यान शिक्षा की ओर नहीं है, जब कि राष्ट्र का भविष्य शिक्षकों के कन्धों पर निर्भर है और शिक्षा की ओर उन का ध्यान न हो कर इन बातों की ओर लगा हो तो क्या आप उसको इस तरह छोड़ देना चाहते हैं और उनको इसी तरह दलबन्दी में पड़े रखना चाहते हैं या उसका कोई उपाय करना चाहते हैं।

इस विधेयक में उस दलबन्दी को दूर करने का एक तरीका निकाला गया है। जहां तक मैंने उनके भाषण को सुना उन्होंने कोई और तरीका नहीं बताया, यह तरीका जो माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक में बताया है उसके अलावा और कोई तरीका उन्होंने नहीं बताया। इसमें यह किया गगा है कि एक्जिक्यूटिव कौंसिल को बहुत अधिक शक्ति दी गई है। एक्जिक्यूटिव कौंसिल में पहले टीचर्स का बहुमत था। आज अध्यापकों का और जो अध्यापक नहीं है उनको करीब बराबर कर दिया गया है। आजकल की परिस्थिति में उसमें २१ सदस्य होते हैं। एक वाइस चांसलर और ट्रेजरार को छोड़कर ५ अध्यापकों के प्रतिनिधि होते हैं और यूनिवर्सिटी के चार डीन हैं। चार सदस्यों का नामिनेशन चान्सलर करेगा और उनका नामिनेशन उसमें से करेगा जो अध्यायक नहीं हैं साथ ही ६ जो अध्यापक नहीं हैं यानी यूनिवर्सिटी की सर्विस में नहीं हैं उनका चुनाव कोर्ट करेगा। इस तरह से संख्या बराबर कर दी गई है। इस तरह से वह दलबन्दी, जो अब तक चल रही थी जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी का वातावरण दूषित था उसमें बहुत कुछ सुधार हो जायगा। अब टीचर्स लोग अपनी उस दलबन्दी से ज्यादा फायदा नहीं उठा सकेंगे। उसमें बहुत कुछ शक्ति वाइस-चांसलर के हाथ में रहेगी। इसलिये उस दलबन्दी को दूर करने के लिये यह प्रबन्ध किया है। साथ ही कुछ वाइस चान्सलर की शक्ति को भी बढ़ाया गया है। मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने क्या सुझाव दिया जिससे वह दलबन्दी दूर हो। इस विधेयक में माननीय मंत्री जी ने यह सुझाव दिया है कि इन टीचर्स का जो बहुमत है उसको कम कर दिया जाय। अभी थोड़े दिन पहले हमारे इस सदन के सामने आगरा यूनिवर्सिटी बिल आया था। वहां पर भी दल बन्दी थी वहां पर भी दलबन्दी को कम करने के लिये यह सुझाव दिया गया था कि टीचर्स की शक्ति कम कर दी जाय और उनकी तादाद को कम कर दिया जाय। मैंने उस समय भी माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना था और उस समय भी कोई इलाज नहीं बताया था तब इस तरह से कोरी-कोरी समालोचना करना कोई फ़ायदेमन्द नहीं हो सकता है। कोई सुझाव दें तो बेहतर होगा।

तीसरी बात इसमें जो की गयी है वह बजट के सम्बन्ध में की गयी है। यह सबको ज्ञात है कि यूनिवर्सिटीज़ ने एक बहुत भारी कर्जा अपने ऊपर ले रखा है शायद वह २०-२५ लाख

का है। हर एक संस्था का यह काम है कि जितनी उसकी आमदनी हो उसके अनुसार खर्च किया जाय। यह कर्जा कर लेना और खर्च को इस तरह से बढ़ा देना कभी भी श्रेयस्कर नहीं हो सकता है। उन्होंने यह समझ लिया कि अब तो खर्च कर डालो और इसको सरकार देगी ही लेकिन इस तरह से कमी करना बहुत गलत बात है। इसमें जो किया गया है वह बजट पर कंट्रोल किया गया है और उसके रुपये पैसे पर अधिकार किया गया है। जो कमेटी आफ रिफेरेंस बनायी गयी है उसमें सरकार का बहुमत रहेगा। उसमें वाइस चान्सलर और ट्रेजरार के अलावा सरकार अपने दो नामिनी रखेगी। तीन आदमी उसमें प्रतिनिधि होगें जिनको चुना जायगा। उसमें भी सरकारी नौकर नहीं होंगें, अध्यापक नहीं होंगें। इस तरह से सरकार नें बजट के ऊपर पूरा-पूरा कंट्रोल कर लिया है। मेरी दृष्टि से उसमें मुझे एक कमी न दिखायी देती है कि कोई न कोई कम से कम एक आदमी अध्यापकों का भी उसमें प्रतिनिधि होना चाहिये था। वह किसी डिपार्टमेंट का हेड हो या कोई डीन हो जो यूनिवर्सिटी की तरफ से रखा गया हो। इस कमेटी में सिर्फ वाइस चान्सलर हो, जो यूनिवर्सिटी की बात रख सकता है। इतना अधिक बहुमत किसी कमेटी में रहता है तो वहां विभिन्न दृष्टि कोण नहीं आता है। इसमें कमी दिखायी देती है। कम से कम इन अध्यापकों के एक दो प्रतिनिधि होने चाहिये। खैर मैं तो यह समझता हूं और अब भी मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इसमें संशोधन कर लें यह ऐसी परिस्थिति में किया गया है जब कि यूनिवर्सिटी वालों ने ऐसा कर लिया था कि जैसा चाहा वैसा खर्च कर लिया उसी खर्चे को रोकने के लिये गवर्नमेंट ने कमेटी आफ रिफरेंस में अपना बहुमत रक्खा है। इसके अलावा बजट के अन्दर जो रिकरिंग और नानरिकरिंग मदें बना दी गई हैं उनमें यूनिवर्सिटी को यह अधिकार नहीं होगा कि वह उनसे अधिक खर्चा कर सके। इसमें एक धारा यह भी रक्खी गयी है कि अगर कोई अध्यापक या अधिकारी बजट से अधिक खर्चा करता है तो उससे वह वसूल किया जा सकता है। इस प्रकार से बजट पर पूरा कंट्रोल रक्खा गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि इस विधेयक में रुपये पैसे पर कंट्रोल किया गया है।

इसमें जो आज तक खराबी चली आरही थी, दलबन्दी की उसमें भी रुकावट डाली गयी है। इसके अतिरिक्त एक तीसरी बात भी इसमें बहुत अच्छी की गयी है वह यह कि वाइस चांसलर को यह अधिकार दिये गये हैं कि अगर कोई अध्यापक गड़बड़ करता है या अनुचित कार्यवाही करता है तो वह उसके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही कर सकता है और उस अनुशासन की कार्यवाही में उसे अगर ऐसा दंड उचित जान पड़ता है कि बरखास्तगी सरीखा दंड उसको दिया जाय तो वह हाईकोर्ट के एक जज को नामिनेट करेगा फिर यह दोनों मिलकर एक तीसरे सदस्य को साथी बना लेगें। अब ये तीनों मिल कर यह तय करेगें कि आया उसे यह सजा मिलनी चाहिये या नहीं। इस प्रकार से जो अध्यापक या टीचर्स यूनिवर्सिटी में गड़बड़ी करते हैं या अनाधिकार चेष्टा करते हैं उनके विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही हो सकेगी।

इसके अलावा एक अधिकार यह भी दिया गया है कि इमरजेंसी की हालत में वाइस-चांसलर हरएक काम कर सकता है जिसका किसी और को अधिकार हो। इसके अतिरिक्त इस विधेयक में एक बात और भी बड़ी अच्छी रखी गयी है जो पहले कहीं नहीं थी कि जो विद्यार्थी युनिवर्सिटी में नहीं रहते हैं, नगर में रहते हैं उनके लिये एक डेलीगेसी नियुक्त की गयी है जो उनकी भलाई के लिये और उनकी आवश्यकताओं के बारे में सोचेगी और उनको युनिवर्सिटी के सामने रखेगी। यह एक बहुत ही बड़ा अच्छा कदम है।

इस विधेयक पर बहुत से आक्षेप भी किये गये हैं। पहला तो यही कि वहां पर आटोनोमी खत्म की जा रही है लेकिन शिक्षा के विषय में अब भी वैसी स्वतंत्रता रक्खी गयी है जैसी कि पहले थी केवल आर्थिक क्षेत्र में और दल बन्दी को दूर करने के लिये ही यूनिवर्सिटी की स्वाधीनता का अपहरण किया गया है। जो सरकार जनता की प्रतिनिधि हो,

[श्री रतन लाल जैन]

सरकार पैसा देती हो तब उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि वह यह देखे कि उसका दिया हुआ एक-एक पैसा ठीक तरह से खर्च होता है और एक पैसा भी अनुचित प्रकार से खर्च नहीं किया जाता। जनता की सरकार होने से उसका तो यह कर्तव्य हो जाता है कि वहां जो भी त्रुटि और खराबियां हों उनको दूर करे। इसलिये यह सरकार का कर्तव्य था कि जब हमारी युनिवर्सिटी में ऐसी खराबियां आयीं तो वह उसमें हस्तक्षेप कर के उनको रोके और मैं समझता हूं कि यह सरकार का एक स्वाभाविक अधिकार है जिसको सरकार ने प्रयोग किया है। और इस युनिवर्सिटी की परिस्थिति ठीक हो जायगी तो सरकार भी उनमें यह हस्तक्षेप करना छोड़ देगी और फिर ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि यहां पर किसी विधेयक को ला कर इसमें परिवर्तन कर दिया जाय। यहां पर जो विलायत की आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या वहां की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या भारत वर्ष के नालन्दा आदि विश्व विद्यालयों के सम्बन्ध में कोटेशंस दिये गये हैं, वहां पर ऐसी विषम परिस्थिति नहीं थी। आक्सफोर्ड व कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो अध्यापक गण हैं उनमें दलबन्दी नहीं है। जब वहां कोई दलबन्दी नहीं है तो फिर वहां के प्रबन्ध में वहां की सरकार क्यों दखल दे? दखल तो तभी देगी जब वहां पर कोई बड़ी खराबी होगी। इसलिये हमारे यहां की यूनिवर्सिटी मे जब कि विषम परिस्थिति है तो सरकार का कर्तव्य हो जाता था कि उस विषम परिस्थिति को हटाने के लिये वह उसमें हस्तक्षेप करे।

एक और बड़ा भारी जो एतराज किया गया है वह यह है कि जो चांसलर या कुलपति हो वह गवर्नर नहीं होना चाहिये बल्कि कोई और होना चाहिये। अक्सर नाम लिये गये हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का। हमारे प्रदेश में ये दो बड़े व्यक्ति हैं परन्तु उसमें कभी यह है कि युनिवर्सिटीज के मामलात के अक्सर हाई कोर्ट में "रिट" दाखिल कर दिये जाते हैं और अगर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उसमें होगा तो एक बड़ी अनोखी बात हो जायगी, एक विचित्र सी बात हो जायगी कि उन्हीं के द्वारा किया हुआ काम हो, और उन्हीं के विरुद्ध हाई कोर्ट में "रिट" दाखिल किया जाय। इसलिये ऐसी परिस्थिति का विचार कर के यह उचित जान पड़ता है कि गवर्नर को ही यहां का चांसलर या कुलपति बनाया जाय।

एक बात और मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि वास्तव में इन विश्वविद्यालयों में सुधार तभी होगा जब कि वहां के अध्यापकगण अच्छे हों। वहां के अध्यापकगण में जो असन्तोष है वह इस कारण से है कि वहां के अध्यापकों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। कुछ को इस बात का असन्तोष है कि उनका वेतन कम है। मेरा विचार है कि जब तक हमारे अध्यापकगण अच्छे नहीं होंगे, विद्यार्थी अच्छे नहीं हो सकते। अध्यापक गण की सब से बड़ी शिकायत यह है कि उनका वेतन कम है, उनके वेतन का तरीका ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थिति होनी चाहिये कि यूनिवर्सिटी में ऐसी भावना होनी चाहिये कि हमारे विद्यार्थी निकल कर अपने देश की सेवा करें, अपने देश का उत्थान करें। अध्यापकगण में जो निराशा छा गयी है, जो, फ्रेस्टेशन (frustration) है वह दूर होना चाहिये। जब तक वह दूर नहीं होगा ये विश्वविद्यालय कभी ठीक नहीं हो सकेंगे। हमको यह भी मुनासिब मालूम होता है कि जो डीन हैं या किसी विभाग के हेड हैं वे भी वहां के अध्यापकों के कार्य को विशेष प्रकार से देखें, उनकी टीचिंग व उनकी शिक्षा को भी देखें। अगर ऐसा हो सकेगा तो कुछ सुधार हो सकेगा। अगर यूनिवर्सिटी में आप सुधार करना चाहते हैं तो वहां के अध्यापकगण में पहले सुधार करना होगा। उनमें अगर सुधार नहीं हुआ तो विश्वविद्यालय कदापि ठीक नहीं हो सकते हैं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी ने इसमें कोई सन्देह नहीं कि एक ऐसा क्रान्तिकारी कदम उठाया है कि विश्वविद्यालय की शिक्षा

पद्धति में सुधार कर सकें। जितने परिवर्तन, जितने संशोधन इस विधेयक के द्वारा किये जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि सभी स्पष्ट हैं। एक विषय अवश्य यह समझता हूं कि अभी तक सरकार के मस्तिष्क में स्थिरता नहीं आई है और वह यह है कि यूनिवर्सिटी में यूनिटरी कैरेक्टर किस तरह से बदस्तूर रखा जाय। यह ठीक है कि जहां प्रिएम्बिल में यह लिखा है कि यूनिवर्सिटी का केरेक्टर यूनिटरी होगा लेकिन वहीं उसके बाद हम देखते हैं कि इस बात की भी योजना है कि उस यूनिवर्सिटी में असोशिएटेड कालेजेज होंगे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन दोनों बातों में आपस में कुछ परस्पर विरोध सा मालूम पड़ता है लेकिन यह कहना कि सरकार वहां के यूनिटरी कैरेक्टर को समाप्त करना चाहती है, यह बिलकुल ग़लत बात है। मैं समझता हूं कि अगर इस यूनिवर्सिटी के यूनिटरी कैरेक्टर को समाप्त किया गया तो मैं इस सम्बन्ध में सब से पहले यूनिवर्सिटी के टीचर्स को दोषी समझता हूं। जब कि यूनिवर्सिटी के २ कालेजेज का मामला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अकेडेमिक कौंसिल के सामने आया तब उसने एक्जिक्यूटिव कौंसिल के मत पर विरोध प्रकट किया कि डिगरी कालेजेज का एसोशिएट करना यूनिवर्सिटी के कानून के विरुद्ध होगा। इस तरह से जब इविंग क्रिश्चियन कालेज का मामला एक्जिक्यूटिव कौंसिल के सामने आया और उसने अकेडेमिक कौंसिल से मान्यता प्रदान करने की सिफारिश की, तब भी अकेडेमिक कौंसिल ने एकजिक्यूटिव कौंसिल को लिखा कि ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक वहां के कानून में संशोधन न हो। यह तो हो सकता था कि इन दोनों कालेजों को आगरा यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित कर दिया जाय, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी वाइस-चांस्लर्स कांफ्रेंस हुई, उन्होंने भी जो एक्जिक्यूटिव कौंसिल की सिफारिश थी उस पर मुहर लगा दी। इस तरह से जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स थे, विद्वान थे उन्हीं पर यह दोषारोपण किया जा सकता है कि उन्होंने वहां के यूनिटरी केरेक्टर को बिगाड़ा है। सरकार भी चक्कर में पड़ी हुई है कि किस तरह से यूनिटरी कैरेक्टर को बदस्तूर रखा जाय। मैं समझता हूं कि या तो असोशिएटेड कालेजेज को निकालना पड़ेगा, जहां पर आप ने प्राविजन रखा है उस को निकालने से भी समस्या हल नहीं हो सकती क्योंकि वहां ३ कालेजेज रह जाते हैं। तो या तो असोशिएटेड कालेजेज के प्राविजन को निकाला जाय और साथ ही साथ ऐसा संशोधन भी हो कि तेनी ऐग्रीकल्चरल कालेज, कायस्थ पाठशाला और इविंग क्रिश्चियन कालेज को भी निकाल कर आगरा यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित किया जाय। लेकिन जब हम आगरा यूनिवर्सिटी की ओर देखते हैं तो वहां भी अब तक ६५ कालेजेज हैं और उनका इंतजाम वहां की जो एक्जिक्यूटिव कौंसिल है वह ठीक तरह से नहीं निभा पा रही है। साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि जहां आगरा यूनिसर्विटी में ६५ कालेजेज हैं वहां हमारे यहां ऐसी ऐसी भी यूनिवर्सिटी हैं जहां कहीं-कहीं १००-१०० डिग्री कालेजेज हैं, जैसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ९०-९५ कालेजेज असोशिएटेड हैं। किस तरह से यह समस्या हल हो सकती है मैं तो ठीक रूप से नहीं कह सकता लेकिन जो शिक्षा के विशेषज्ञ हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी हैं वही इस समस्या को हल कर सकते हैं।

जहां तक युनिवर्सिटी की अटानामी का प्रश्न है मैं समझता हूं कि सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह देखे कि जनता के रुपये का जो प्रयोग किया जा रहा है, उस का यह दुरुपयोग हो रहा है या नहीं और जहां जनता के पैसे का सही उपयोग नहीं हो रहा है वहां सरकार की जिम्मेदारी और कर्त्तव्य हो जाता है वह देखे कि किस तरह से रुपया खर्च हो रहा है। जहां तक शैक्षिक मामले हैं, या पठनपाठन और टीचिंग से संबंधित मामले हैं उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा है जहां लेकिन यूनिवर्सिटीज में जनता की सम्पत्ति का दुरुपयोग हो रहा है और जहां यूनिविसटी के अधिकारी लोग यदि कुछ ऐसा अनुचित कार्य कर रहे हों तो मैं समझता हूं कि सरकार का कर्त्तव्य है कि वह हस्ताक्षेप करे। अब यह कहा जाता है कि इंगलैंड के आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पूरी स्वतंत्रता है

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

हम मानते हैं लेकिन वहां के हालात और हैं और हमारे देश में और है । यह भी कहा जाता है कि हम अटानामी को छीनना चाहते हैं और खासतौर से कुछ नामिनेशंस कर के और बाहरी सदस्यों को वहां पर ला करके लेकिन मैं समझता हूं कि जब हम अमेरिका में यूनिवर्सिटीज को देखते हैं तो वहां पाते हैं कि वह स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं और वहां पर यूनिवर्सिटीज में सरकार का पूरा हाथ है। तो जहां तक स्टेट यूनिवर्सिटीज का सवाल है वहां पर टीचरों को अपने विचार गवर्नमेंट के खिलाफ करने का अधिकार नहीं होता और अगर वह करते हैंतो उस पद के योग्य नहीं रहते । यह लाभ है। जहां तक आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज की दुहाई दी जाती है वहां भी विभिन्न समितियों में जो उनका रिप्रेजेंटेशन है वह एक बटा पांच से ज्यादा नहीं होता है और हमारे यहां पर अब आधा होने जा रहा है । तो इस प्रकार जहां तक कि बाहर के लोगों के प्रतिनिधित्व का सवाल है मैं समझता हूं कि उससे जो यूनिवर्सिटीज की अटानामी है, स्वतंत्रता है, उससे वह किसी तरह से भी खतरे में नहीं पड़ता है। मैं कुछ समितियों के विचारों को कोट करने के बाद यह सिद्ध कर देना चाहता हूं कि वास्तव में सरकार का हस्तक्षेप करना बहुत आवश्यकीय है। राधाकृष्णन कमीशन रिपोर्ट को जाने दीजिये, मूथम कमीशन की रिपोर्ट को जाने दीजिये, सन् १९१७–१८ के सैडलर कमीशन की रिपोर्ट को देखिये। उस समय तक सन् १९२१ का कानून भी नहीं था लेकिन उन्होंने उस समय क्या विचार प्रकट किये थे। सैडलर कमीशन की रिपोर्ट हस्तक्षेप के मामले में इस प्रकार से है—

"It should be possible to organize varsity system which would ensure academic autonomy and at the same time secure to Government some general power of supervision without irritating intervention in the universities, day-to-day administration.

Government should nominate some of the members not out of teaching organs but of a administrative organs of University. This is not merely desirable but necessary when the bulk of cost of working of varsity is met out of public funds because Government is responsible for the proper use of these funds."

इस तरह से जो सैडलर कमीशन की रिपोर्ट है सरकार को शैक्षिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये लेकिन जहां जनता के रुपये का सवाल आ जाता है जहां आर्थिक कठिनाइयां आ जाती हैं और जहां कुप्रबन्ध हो वहां सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि वहां पर हस्तक्षेप करे । इसी रिपोर्ट के आधार पर जो सदस्य राधाकृष्णन कमीशन के सामने उपस्थित हुये उन्होंने इसी रिपोर्ट की ताईद की है ।

"Autonomy is a very good thing in an educational body provided it caters to the larger interests of education and functions properly, but there comes a time when the interests of a nation are more important than interests of the supposed autonomy. If the University is misdirected, then it is the right as well as the duty of the Government to interfere in the larger interests of University administration and the public."

इसके अलावा हम देखते हैं कि आज कल जो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं श्री एम० सी० महाजन उनके विचार यही हैं कि सरकार का कर्तव्य यही है उसकी जिम्मेदारी है जहां तक रुपये का सवाल है उसमें हस्तक्षेप करे और उनका भी विचार इस प्रकार से है—

"In matters of finance and administration, University may be controlled by State Government. University teachers should have 66% voice in various affairs, 33% should be filled by nominations from men of experience by Chancellor."

तो इस प्रकार से जहां पर युनिवर्सिटी की तरफ से कुप्रबन्ध हो रहा है, जनता के रुपयों का दुरुपयोग हो रहा है, वहां पर सरकार का कर्तव्य है कि वहां समितियों में कौंसिल्स में हस्तक्षेप करे और उनके नियमों को कड़ा बनाये। शैक्षिक मामलों में मूथम कमीशन रिपोर्ट में भी दिया है कि कहीं कहीं एग्जीक्यूटिव कौंसिल की तरफ से एक एक साल में तीस तीस हजार रुपया खर्च कर लिया गया है जिसके लिये बजट में कोई प्राविजन नहीं था। मैं समझता हूं कि ऐसा करना एग्जीक्यूटिव कौंसिल के मेम्बरों के लिये बड़ा अनुचित था। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ऐसा रुपया कि जो लड़कों को टूर फंड के रूप में दिया जाता था वह रिपोर्ट में देखा कि पड़ा रहा और विद्यार्थियों को नहीं दिया गया और वह ऐसी जगह रहा कि जहां उसका कोई सूद नहीं आया। तो मैं समझता हूं कि जो सहायता विद्यार्थियों को दी जा सकती थी वह उससे वंचित किये गये। इसके बाद मैं देखता हूं कि हालांकि किसी का नाम ले कर नहीं कहना चाहिये लेकिन आमतौर से कहना ठीक है, कि, हमारे जो विश्व विद्यालय के बड़े बड़े अधिकारी हैं उसके निकट सम्बन्धियों को कुछ ठेके ऐसे दिये गये जिनमें वह स्वयं दिलचस्पी ले रहे थे। उनके द्वारा कुछ ऐसे ठेके दिये गये तो मैं समझता हूं कि जहां ऐसी चीज है, जहां ऐसा कुप्रबन्ध है, जहां रुपये की परवाह नहीं की जा रही है वहां मैं समझता हूं कि सरकार का कर्त्तव्य है कि इस सब को वहां-वहां रोके। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो मैं समझता हूं कि सरकार को जनता की जो खराब ओपीनियन है उसको सहन करने के लिय तैयार होना पड़ेगा।

जहां तक वाइसचांसलर की नियुक्ति का प्रश्न है यह स्पष्ट है मूथम इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट से कि हमारी युनिवर्सिटीज में दलबन्दी है। वहां पर ग्रुप्स हैं और वहां के टीचर्स अपना कर्त्तव्य पालन नहीं करते। उन्होंने पार्टी पालिटिक्स को, एलेक्शन को अपना एक पेशा बना लिया है और इस तरह से वहां के विद्यार्थियों की शिक्षा पर कुठाराघात हुआ। उस रिपोर्ट में यह निश्चिय किया गया है कि जो वाइस चांसलर अब तक हुआ करता था वह अपने टर्म के दौरान में अपनी पार्टी को मजबूत किया करता था ताकि उसका दुबारा निर्वाचन हो सके, इसको खत्म करने के लिये, इसको समाप्त करने के लिये यह विचार किया गया कि एलेक्शन प्रणाली को हटाना चाहिये और इसकी जगह कोई दूसरा उपाय वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिये रखना चाहिये। इस सिलसिले में जैसा कि हमारे एक इलाहाबाद के साथी ने कहा कि हमारी युनिवर्सिटी में डा० अमर नाथ झा जैसे वाइस चांसलर रहे हैं और उनके जमाने में प्रबन्ध बड़ा अच्छा था, बिल्कुल ठीक है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है मैं उनसे सहमत हूं लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि डाक्टर अमरनाथ झा जैसे व्यक्ति ने भी राधाकृष्णन कमीशन के सामने यही राय दी थी कि वास्तव में यह जो एलेक्टिव सिस्टम है, चुनाव की प्रणाली जो है वह खराब है। इसको हटाना चाहिये और इसके लिये हमको नामिनेशन द्वारा एग्जीक्यूटिव कौंसिल की सिफारिशों के आधार पर चांसलर द्वारा वाइस चांसलर को नियुक्त करनी चाहिये। इस सम्बन्ध में उनकी जो राय है वह इस प्रकार है ——

"Once a man is elected Vice-Chancellor for 3 years, there is a tendency for him to build up his own party so as to ensure his re-election after his first term is over. This is not healthy. Personally I would prefer appointment by Chancellor on the recommendation of Executive Council."

इसका अनुवाद मैंने पहले ही हिन्दी में कर दिया है। इसी तरह से एक दूसरे प्रोफेसर जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे डाक्टर ईश्वरी प्रसाद उनकी भी, वहां के तजुर्बे पर, यह सिफारिश है कि——

"The fundamental defect is election. We must find out something which would be a good substitute for election, some sort of safeguard is necessary, intrigues surround the election of Vice-Chancellor."

[श्री वीरेन्द्र पति यादव]

तो इस तरह से यह बहुत ही लाजिमी है कि इस प्रणाली को बदला जाय और इस संबंध में चीफ़ जस्टिस श्री महाजन जो हैं हमारे सुप्रीम कोट के उनकी भी यह राय थी कि हमको वाइस-चांसलर का चांसलर द्वारा नामिनेशन कराना चाहिये। यह दूसरी बात कि वह सिफारिश एक्जीक्यूटिव कौंसिल द्वारा हो या कोई और समिति हो उसकी सिफारिशों के द्वारा हो। जहां तक मैं समझता हूं इस मामले में सरकार ने बिलकुल हल्काई से काम लिया है कि यह अधिकार चांसलर को नहीं सौंपा वह अधिकार उन्होंने एक तरह से एक्जीक्यूटिव कौंसिल को सौंपा कि उनकी सिफारिशें तीन नामों के लिये हों और उन तीन नामों में से ही और इन तीन आदमियों में से ही एक वाइस-चांसलर बन जायगा। हमारे देश में ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी, वहां वाइस चान्सलर जो होता है वह गवर्नर या चांसलर का मनोनीत नहीं हुआ करता, बल्कि वह गवर्नमेंट का नौमिनी हुआ करता है। इसी तरह से जहां चांसलर का प्रश्न है, हमारे साथी ने यह भी कहा कि चांसलर गवर्नर नहीं होना चाहिये बल्कि चीफ जस्टिस होना चाहिये। यह व्यवहारिक रूप से असम्भव सा प्रतीत होता है। एक मिसाल आन्ध्र प्रदेश की बतायी गई। लेकिन मैं उस सम्बन्ध में अपने साथी को बतला देना चाहता हूं कि वहां भी आम तौर से एक जनमत है जिसको चीफ़-जस्टिस को चांसलर बनाने के सम्बन्ध में राय नहीं है। क्योंकि आन्ध्र असेम्बली में जब यह प्रश्न आया तो केवल एक मत से चीफ जस्टिस को वहां का चांसलर बनाया जाना उचित समझा गया। जैसा कि हमारे एक भाई ने कहा कि व्यवहारिक रूप से यह ठीक नहीं प्रतीत होता क्योंकि बहुत से मामले हमारी यूनिवर्सिटीज के हाईकोर्ट के सामने जाते हैं। आज भी हम देखते हैं कि एक मामला हाईकोर्ट में लेजिस्लेचर के मेम्बर का गया हुआ है और यह भी हमको मालूम है कि हाल ही में तीन, चार दिनों के अन्दर जब जजेज के सामने वह प्रश्न आया तो दो ने कह दिया कि हम इलाहाबाद युनिवर्सिटी से सम्बन्धित हैं, इसलिये हम नहीं करना चाहते। तीसरे ने कहा दिया कि हम उस जिले के रहने वाले हैं इसलिये हम नहीं करना चाहते। तो जहां ऐसी समस्या है तो क्या कोई यूनिवर्सिटी का मामला तय हो सकता है? सभी जजेज यह कहा करेंगे कि इस मामले को हम नहीं करेंगे। तो इस तरह मैं उपाध्यक्ष महोदय, अधिक समय नहीं लेना चाहता। सिर्फ यह कह देना चाहता हूं कि जहां तक रिफरेंस कमेटी का मामला है उसका स्कोप जरा चौड़ा कर दिया गया। अभी तक हमने देखा कि यूनिवर्सिटीज की रिफ़रेंस कमेटी की मीटिंग १०, १२ बार हुई हैं। इसी तरह जहां तक सेलेक्शन कमेटी का सवाल है वह भी सरकार ने जो विधेयक में रखा है कि एक ऐक्सपर्ट ओपीनियन होगी, और एक्सपर्ट ओपीनियन होने के बाद अगर वह काउन्सिल में जाता है और काउन्सिल सहमत नहीं है तो चांसलर के पास जायगा। वहां कैन्डिडेट्स की मेरिट्स जज करने के बाद यह तय किया जायगा कि कौन कैन्डिडेट अच्छा है और उसकी नियुक्ति होगी। इसी तरह कनसल्टेटिव कमेटी अनुशासन को टाइटन करने के लिये बनाई गई है। ऐक्जीक्यूटिव काउन्सिल में काफ़ी मेम्बर हुआ करते हैं और अनुशासन के बहुत से मामलों में उन्हें मालूम नहीं होता कि कौन अनुशासन का क्या मामला है। लेकिन कन्सल्टेटिव कमेटी का कर्त्तव्य होगा कि वाइस-चांसलर अगर कोई केस उनके सामने प्रस्तुत करता है तो अच्छी तरह से छानबीन कर के उसकी रिपोर्ट दे सकेगी। इस तरह का जो प्राविजन रखा गया है वह उचित है और वास्तव में जिस लक्ष्य को हमारे शिक्षा मंत्री प्राप्त करना चाहते हैं वह अपने लक्ष्य में सफल होंगे।

श्री गोपीनाथ दीक्षित—(जिला इटावा)—उपाध्यक्ष महोदय, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी संशोधन बिल इस सदन के सामने उपस्थित हुआ है इसके पहले आगरा यूनिवर्सिटी संशोधन बिल पेश हुआ और लखनऊ यूनीवर्सिटी संशोधन बिल पेश हुआ। लेकिन मैं दुख के साथ कह देता हूं कि जो शिक्षा की असल समस्याएं हमारे

प्रदेश के सामने है, उनके सम्बन्ध में तीन वर्षों में कोई बिल हमारे सामने नहीं आया और मैं यह महसूस करता हूं कि यह मौजूदा बिल भी, जिन बड़ी समस्याओं का सामना हमारा प्रदेश कर रहा है, उसमें हमको कोई आगे नहीं बढ़ाता। असल सवाल तो आज यह है कि दिन पर दिन पढ़ने लिखने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। उनके लिये कारोबर की संख्या कम होती जाती है और पढ़े लिखे शिक्षित ग्रेजुएट और शिक्षित लोग लाखों की संख्या में हर रोज, हर साल बढ़ते जाते हैं बेरोजगार हो कर उनकी संख्या बढ़ते बढ़ते, इस प्रदेश में जो असंतुष्ट शिक्षित हैं काफ़ी हो गई है। ला एण्ड आर्डर का जो व्यवस्थापन है हमारे प्रदेश में उसके विरुद्ध एक फौज हम अपनी ही मशीनरी से अपने ही खिलाफ बढ़ाते चले जाते हैं और यह समस्या जो सबसे बड़ी हमारे सामने है उससे मुठभेड़ करने के लिये हमने इस सदन में तीन वर्ष के अन्दर कोई चीज पेश नहीं की। इस सदन का जो पहला अधिवेशन था और बजट अधिवेशन हुआ तो मैंने यह निवेदन किया था, यही समस्या रखी थी और मैंने कहा था कि इस प्रदेश की आवश्यकता आज यह है कि जिस प्रकार से इंगलैन्ड ने युद्ध के उस जमाने में एक सिंगिल एजुकेशन ऐक्ट बना कर शिक्षा की समस्या को हल किया था, उसी तरह से हमारे प्रदेश की यही सब से बड़ी आवश्यकता आज थी कि हम एक शिक्षा का ऐक्ट अपने प्रदेश की आवश्यकताओं को देखते हुये इस सदन के सामने पेश करें और उसे पास करें। मैंने यह भी देखा कि मैंने उस ऐक्ट के सम्बन्ध में और इस समस्या के सम्बन्ध में अपने मान्यवर मन्त्रियों से और विशेषतया प्रमुख मंत्री जी से और तमाम सदस्यों से निवेदन किया तो मुझे यह मालूम पड़ा कि प्रत्येक ओर से इस समस्या को महसूस किया जा रहा है। जो सुझाव मैंने दिये उस पर भी मैंने महसूस किया कि उन सुझावों के लिये कुछ न कुछ स्थान उनके मानने के लिये है लेकिन मुझे दुःख है कि इतना बड़ा प्रश्न यह होते हुये भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। आज इलाहाबाद युनिवर्सिटी का तो एक छोटा सा सवाल है, आगरा युनिवर्सिटी का एक छोटा सा सवाल है, लखनऊ युनिवर्सिटी का एक छोटा सा सवाल है, उसके सामने ये सब तो बहुत ही छोटे मसले हैं। लेकिन आप उसको तो जहां का तहां छोड़े हुए हैं इसे हल करने के लिये परेशान हैं। मैं आप से निवेदन करता हूं कि जब अंग्रेज हिन्दुस्तान में आये तो उन्होंने यहां अपनी शिक्षा प्रणाली चलायी वह पद्धति यहां चलायी जो कि आज मौजूदा हमारे यहां है, और मैकाले जिसका कर्णधार था। अगर किसी देश को पराधीन करना हो तो राजनीतिक रूप से उसे उतना पराधीन नहीं किया जाता जितना कि शिक्षा की प्रणाली एक ऐसी बना कर उसे पराधीन किया जाता है। तो जो शिक्षा पद्धति हमारे यहां आज प्रचलित है वह इसी तरह की है। हमें आज अपनी आवश्यकताओं को देख कर, उनको अपने सामने रख करके उनके अनुकूल अपनी शिक्षा प्रणाली को बनाने की आवश्यकता है। आप के सामने सवाल तो यह है कि खेती अपना सब से बड़ा पेशा है। ८० फीसदी आदमियों को खेती की तरफ जाना पड़ेगा, आप के यहां इंडस्ट्री कम है, आप के यहां नौकरियों की संख्या कम है, तो आपको वोकेशनल एजुकेशन का क्रम बनाना पड़ेगा। जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो इसलिये पढ़ाते हैं कि सारी जिन्दगी उसके काम वह पढ़ाई आने वाली है। इसलिये नहीं पढ़ाते हैं कि लड़का बी० ए० पास होकर घर का कोई काम भी न कर सके, अपने बाप के काम में भी हाथ न बटा सके और बेकारी की संख्या बढ़ावे। लिहाजा आज आपके शिक्षा के ऐक्ट की प्लानिंग वोकेशन के आधार पर होनी चाहिये कौन से आपके यहां उद्योग हैं, कौन से धंधे हैं, कितने लोग खेती पर आधारित हैं, कितनों को आप नौकरी दे सकते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रख कर आपको शिक्षा का एक क्रम बनाने की आवश्यकता है। मैंने निवेदन किया था कि आप को तीन अंग करने चाहिये अपनी शिक्षा में। अपने धन को देख कर, अपने फंडको देख कर आप तीन इसके अंग करें पहला और बुनियादी अंग जिसमें है बेसिक शिक्षा। बेसिक एजुकेशन आप सबको दें। यह शिक्षा का मुख्य आधार होना चाहिए। और आप को उसके बाद लोगों को इस योग्य बनाना है कि वह किसी काम में लग सकें। आगे जिन लड़कों को आप इस राज्य के व्यय पर तालीम देंगे उन्हीं को तालीम देंगे जिनको आप

[श्री गोपीनाथ दीक्षित]

गारेन्टी करेंगे कि तुमको रोजी भी मिलेगी, तुमको कारोबार भी मिलेगा। आपको कितने डाक्टरों की जरूरत है, आप को कितने इंजीनियरों की जरूरत है आप को कितने वैज्ञानिकों की जरूरत है, इसको ध्यान में रख कर इसी हिसाब से उसकी तालीम की भी व्यवस्था आप को करनी पड़ेगी। यह नहीं कि आपको जरुरत तो है डाक्टरों की और आप पैदा कर रहे हैं वकील या आप को जरूरत है किसी और की और आप पैदा कर रहे हैं वैज्ञानिक, तो आप को यह देखना पड़ेगा कि हमारे प्रदेश की मांग क्या है। जो मांग है उसी के आधार पर शिक्षा का क्रम तैयार किया जाय और उसी हिसाब से शिक्षा दी जाय। मैं कहता हूं कि यह बिल्कुल लाजिमी नहीं है कि मूथम कमेटी हो या कोई भी कमेटी हो किसी का भी नाम हो, बड़े बड़े सुहावने और लुभावने नामों से उस समस्या का हल नहीं हो सकता है। हमको तो जो हमारे प्रदेश की मांग है उसको पूरा करने का उपाय सोचना चाहिये। आज हमारे प्रदेश की मांग है कि तमाम युनिवर्सिटीज के लिये एक ऐक्ट बनायें। जब तमाम प्रदेश के रहने वालों को एक अधिकार प्राप्त है तो कोई कारण नहीं है कि हम एक युनिवर्सिटी कालेज को दो हजार रुपया एड दें और दूसरे को दो लाख दें। हमें यह करना होगा, शिक्षा के क्रम को इस दृष्टि से देखना होगा और शिक्षा को ऐसा परिमार्जित करना होगा कि जो आज हमारी डिसिप्लिन की गिरावट हो रही है उसे हम रोक सकें। आज के लड़कों की, आज के विद्यार्थियों की डिसिप्लिन और पहले के विद्यार्थियों की डिसिप्लिन में जो अन्तर आ गया है, जो आज गिरावट आ गई है, उसकी जिम्मेदारी भी हमको लेनी पड़ेगी। हमको देखना होगा कि उस पहले जमाने में जिस प्रकार से तुलसीदास और महात्मा गांधी विद्यार्थियों को आगे को बढ़ाते थे, हौसला देते थे आज हमारे सामने कौन सी धार्मिक और मौलिक चीजें हैं जो विद्यार्थियों को ऊपर ले जा सकती हैं। यह समस्या है मौलिक। केवल पत्तों के सींचने से काम चलने वाला नहीं है। मैं अपने मुख्य मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से अपील करूंगा कि सदैव के लिये और सैकड़ों सालों के लिये वह इस प्रदेश की जनता को अनुग्रहीत करेंगे यदि वे इस सदन में शीघ्र से शीघ्र इस बड़ी समस्या को सुलझाने के लिये एक पूर्ण ऐक्ट समस्त प्रदेश के लिये ला कर यहां पास करावें। मैं भी इलाहाबाद युनिवर्सिटी का विद्यार्थी रह चुका हूं और इस सदन की ओर से युनिवर्सिटी ग्राण्ट्स कमेटी का मेम्बर भी हूं। मैं कहता हूं कि आप वहां के जातिवाद के कचूमड़ को इस ऐक्ट से नहीं निकाल सकते हैं। इस गिरावट को निकालने के लिये आपको ऊंचे सिद्धांत लाने होंगे और बड़ी बड़ी सैक्रीफ़ाइस की और लोगों की भावना ले जानी होगी। यदि यही रवैया रहे कि हमारे सम्बन्धियों को यह मिल जाय और मुझको यह मिल जाय तो युनिवर्सिटी के टीचर्स में वही भावना होगी और सब में आवेगी। इसलिये मैं कहता हूं कि शिक्षा की प्रगति है मानव की। हमारा प्रदेश सब से बड़ा है। यदि मद्रास या बम्बई ऐसे नहीं कर सकते तो हमारे प्रदेश का एक ऐक्ट सब युनिवर्सिटीज के लिये, इंटरमिडियेट कालेजेज के लिये और बेसिक शिक्षा के लिये एक सम्मिलित यूनिटरी होना चाहिये। इसमें मुझे विश्वास नहीं है कि किसी एक ऐक्ट से, चाहे लखनऊ का या इलाहाबाद का या किसी युनिवर्सिटी का हो, हम इस समस्या का हल कर लेंगे। मैं समझता हूं कि यह पत्तों को सींचना होगा, जड़ को नहीं। मैंने इस सम्बन्ध में मंत्रियों से और धारा सभा के सदस्यों से निवेदन किया और सब ओर से मुझे आश्वासन भी मिला कि मेरे निवेदन में बल है। तो मैं यहां पर सब से और विशेषतया अपने मुख्य मंत्री जी से जिनके नेतृत्व पर हम सब को विश्वास है, निवेदन करुंगा कि छोटी छोटी समस्याओं को छोड़ कर एक क्रान्तिकारी एजूकेशन ऐक्ट इस प्रान्त के लिये लावें और इस नम्र निवेदन के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्दवल्लभ पन्त)—उपाध्यक्ष महोदय, आज ५ दिन से इस इलाहाबाद युनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल पर वाद विवाद हो रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि वादविवाद का स्तर साधारण से ऊंचा रहा और इस विधेयक पर काफी नयी रोशनी पड़ी और लोगों ने अपने अपने सुझाव दिये। मेरा सम्बन्ध इन युनिवर्सिटीज के अमेंडमेंट

बिलों से खास तौर से रहा है। मुझे अध्यक्ष जी के आदेश से इलाहाबाद युनिवर्सिटी बिल, लखनऊ युनिवर्सिटी बिल और उसके पहले आगरा युनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल, इन तीनों बिलों की सेलेक्ट कमेटियों के अध्यक्ष का कर्त्तव्य पूरा करना पड़ा। और उस स्थिति में मेरी बराबर यह कोशिश रही कि इस विधेयक को किसी एक दल या वर्ग के दृष्टिकोण से न देखा जाय। शिक्षा का प्रश्न हमारे देश के लिये एक मौलिक प्रश्न है, यह एक बुनियादी सवाल है और इसके ऊपर हमारे मुल्क का भविष्य निर्भर और मुनहसिर है। हमें इसको अपनी तरफ से जहां तक सम्भव हो सके ऐसे हल करना है जिससे हमारे भावी भारत की संतान, हमारे नव भारत के नौनिहाल इस प्रकार से अपनी शिक्षा पा सकें वह इस भारी मुल्क को ऊंचा उठा सकें और जो युनिवर्सिटीज से निकलें वह उसकी रहनुमाई और लीडरशिप कर सकें और वह साहित्य, विज्ञान और कला आदि सभी जितने मनुष्य के जीवन के क्षेत्र हैं जिनसे वास्तविक विभूति और सत्य निकलते हैं उनमें यह योग्यता के साथ आगे बढ़ सकें। इसलिये हम सबके लिये आवश्यक है कि हम ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर यथासम्भव विचार करें और जो उचित हो उसे करें।

इसी कारण से यह इलाहाबाद युनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल पहले बनाया गया और फिर उसमें सेलेक्ट कमेटी में काफी संशोधन भी किये गये। इन कारणों से इस बिल को बनाने की जरूरत हुई, खास तौर पर कुछ कहना आवश्यक है। पर वह कारण न भी होते तब भी आज की दुनिया में रोजमर्रा नई नई हालत पैदा होती है और हमारे मुल्क में जब आखिर में इलाहाबाद युनिवर्सिटी बिल बना था जिसको अब करीब ३० साल हो गये बल्कि ज्यादा तब से बहुत परिवर्तन और तब्दीलियां हो गई हैं। अगर कोई खास बातें भी न होतीं तब भी हमें अपने शिक्षा के क्रम में परिवर्तन करना पड़ता। उनमें मूथम कमेटी की रिपोर्ट जो हमारे सामने हैं वह एक तरह से इस खूबी के साथ और योग्यता के साथ और मेहनत के साथ मूथम साहब ने और उनके साथियों ने बनाई कि उसके फल-स्वरूप किसी का भी ध्यान इस विषय की तरफ आकर्षित हुये बिना न रहा।

मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि युनिवर्सिटीज में कोई बेउनवानियां हुईं या नहीं, यूनिवर्सिटीज में कोई कमियां रहीं या नहीं। हम सबके जीवन में कमियां होती हैं। हमारी सरकार के काम में भी कमियां होती हैं और हमें उनसे सबक सीखना है। इसके लिये किसी को दंड देने का सवाल नहीं उठता है। हमारा युनिवर्सिटीज से ऐसा संबंध नहीं है कि हम युनिवर्सिटी को किसी तरह से उसके ऊंचे आसान से डिगायें, यूनिवर्सिटी की डिगनिटी को कायम रखने के लिये उसके बल को बढ़ायें और युनिवर्सिटीज जैसे गवर्नमेंट के काम में कमियां निकलती हैं उनके लिये उपाय ढूंढ निकालें जिससे आइन्दा वह गलती न हो। यह सब हम लोगों का फर्ज है। इस युनिवर्सिटी के किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध हमें कोई बात नहीं करना है और युनिवर्सिटीज को सिवाय सबल बनाने के और ऐसे जराये कायम करें जिससे जो कुछ अनुभव और तजुर्बा हुआ है उसके अनुसार आयन्दा युनिवर्सिटीज में खामियां होने की गुंजायश नहीं रहती और कोई भी कारण हमारा इस बिल को बनाने का नहीं है। हम लोग युनिवर्सिटी के अनुगृहीत हैं और मैं खास कर युनिवर्सिटी का बड़ा एहसान मानता हूं। जिस सन् में इलाहाबाद युनिवर्सिटी बनी थी उसी सन् में मैं पैदा हुआ था। हम दोनों की एक उम्र है और मैं चाहता हूं कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी जिसने हमारे देश में बड़े बड़े महान् पुरुषों को उत्पन्न किया और जिसके द्वारा हमारे यहां बहुत सांस्कृतिक और और प्रकार की उन्नति हुई उसका दर्जा ऊंचा रहे और वह और भी ऊंचा हो और इन्हीं विचारों से यदि हम उसको कोई सहायता पहुंचा सकें तो वह हमारा कर्त्तव्य है। इसलिये जो कुछ इसमें किया गया है वह कोई हस्तक्षेप की बात बिल में नहीं है, सहायता की बात हो सकती है। हम लोग जब कोई काम करते हैं तो हमको एक दूसरे से मिलजुल कर काम करना है, उसके बिना काम चल नहीं सकता। हमारे देश में अंग्रेज नहीं रहे, हम सब इस तरह देश के बराबर सेवक हैं और सब की यह तो कम से कम एक गरज और मक़सद है ही

[श्री गोविन्दवल्लभ पन्त]

कि हमारी भावी सन्तान सुखी रहें और उनको कोई कष्ट न हो। तो फिर ऐसे अवस्था में कोई युनिवर्सिटी के मामले में संकीर्ण दृष्टि से देखने की गुंजायश नहीं रहती। युनिवर्सिटी खुद एक ऐसी चीज है जिसमें ज्योति दिखाई देती है, जिसमें अन्धकार नहीं रहना चाहिये, जिससे आदमी एक आदमी बनता है। हम चाहते हैं कि युनिवर्सिटी ऐसी बने जिसमें कि मानवता के जितने गुण हैं वे हमारे शिक्षित वर्ग में आ सकें। इन्हीं विचारों और इन्हीं उद्देश्यों से हमें कार्य करना है। हम अधूरे हैं, मनुष्य के सब काम अधूरे होते हैं, युनिवर्सिटी के इस बिल के द्वारा उस अधूरेपन को जिस हद तक हम दूर कर सकते हैं उसकी कोशिश की गई है। पर इससे हमारी सभी मसले हल हो जायेंगे, यह नहीं कहा जा सकता है। और कई साधनों की आवश्यकता होती है।

सारे समाज की उन्नति के लिये केवल एक ऐक्ट पास कर देना बहुत काफ़ी नहीं हो सकता, उसके लिये उच्चकोटि के मनुष्यों की आवश्यकता होती है। ऐसे योग्य शिक्षित, सुसंस्कृत आदमियों की आवश्यकता है जो कि युनिवर्सिटी का संचालन सुचारुरूप से कर सकें, धन की आवश्यकता है, जनता में युनिवर्सिटी के प्रति प्रेम और श्रद्धा होने की आवश्यकता है और इन सब बातों के ही होने से हम आगे बढ़ सकते हैं। और युनिवर्सिटी की ही शिक्षा नहीं, युनिवर्सिटी के पहले जो शिक्षा सेकेंडरी या प्राइमरी स्टेजेज में दी जाती है उसका भी प्रभाव उसमें पड़ता है। इसलिये हम इन सब बातों को देख कर युनिवर्सिटी की सेवा किस तरह से कर सकते हैं इस विचार से इनको करना है। कोई भी बात हम ऐसा करें जिससे युनिवर्सिटी का श्रेय न हो तो हम सबके लिये हानिकारक होगी। जो कुछ भी इसमें किया है वह इसी दृष्टि से किया गया है।

यहां पर अक्सर युनिवर्सिटी आटोनामी का जिक्र हुआ है। आटोनामी के माने क्या है यह कहना कठिन है। पर जैसे कि आज के दिन ऐब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस मुमकिन नहीं है, इंटर डिपेंडेंस हो सकती है वैसे ही ऐब्सोल्यूट आटोनामी भी नहीं हो सकती है। आप अगर मूथम साहब की रिपोर्ट देखें, जिसके आधार पर बहुत सी बातें हो गयी हैं, तो उन्होंने स्वयं पेज १४४ पर यह कहा है —

"The impossibility of absolute University autonomy— No social institution can be a law to itself any more than an individual can be a law to himself. No State could permit a University to cut off the heads of those of its students who fail to pass an examination. An University obviously must function within the ambit of the laws of the State which include its own character; the important question is as to the content of such laws. Universities in the India of today are institutions of national importance and the State cannot be wholly disinterested in their affairs. The position at Cambridge in the 18th century when a professor of Mathematics could neglect his duties for 38 years would not now be tolerated by the Government of any civilised country. The argument that a University should be completely autonomous implies that it possesses a monopoly of wisdom, a claim which not even its most fervent supporters would, we think, venture to make. It does not of course follow that the State is entitled to intervene in University affairs whenever it feels so disposed: that is a contention which is equally untenable."

कमेटी समझती है कि आज जो जरूरत है वह इस बात की है कि युनिवर्सिटी में पार्टनरशिप हो। इसका मतलब यह है कि जिससे युनिवर्सिटी का बोझ हल्का हो और विद्या दान, विद्योन्नति और संस्कृति और सभ्यता की उन्नति करना जो उसके विशेष काम हैं उनको अच्छी तरह से कर सकें। इस युनिवर्सिटी के बारे में मूथम ने फिर कहा है कि इस रेस्पांसिबिलिटी को पूरा करने के लिये कुछ बातों की जरूरत होती है और उनकी कमियां होती हैं तो

फिर युनिवर्सिटी का बोझा औरों को भी उठाना पड़ जाता है। उन्होंने जो कहा, उसको मैं पूरा पढ़ना नहीं चाहता, वह इस तरह है—

"The point has been well put by a teacher of the University when he says, "Enemies of autonomy can point to its misuse—the financial bungling, the bad appointments, the fall in standards, the lack of discipline, the growth of a teacher-politician class and the control of the University by caucuses and rings and bosses, the misuse of power to perpetuate a set of persons in positions, etc. We have to find a satisfactory reply to all these charges and to evolve our own solutions to these difficulties. So long as we fail to do that we cannot convince the public and the rank and file teacher of the necessity of autonomy and democracy in our educational system."

यह एक बयान है जो एक टीचर ने मूथम कमेटी के सामने दिया जो कि युनिवर्सिटी के टीचर थे।

उन्होंने एक जगह यह भी कहा है—

"The concept of partnership—The development of University education is a matter which is of direct concern to the State. It cannot remain indifferent to what a University does. On its part the University needs ever larger grants of public money to enable it to carry out its tasks. Clearly we think, the relationship between the two should be one of partnership, the essential bond between them being the fact that both seek to serve the cause of higher education."

The rest I do not read—a long paragraph (शेष को मैं नहीं पढ़ता, क्योंकि एक लम्बा पैराग्राफ है।) इससे आप देखेंगे कि जो कुछ भी हमारा इसकी तरफ रुझ है वह यह है कि हम युनिवर्सिटी की कहीं पर कुछ सेवा करें। जहां तक हो सके उसके बोझ को हल्का करने की कोशिश करते हैं जिससे कि युनिवर्सिटी बराबर ऊंची चढ़ती जावे और उसके सामने रुकावटें और कठिनाइयां कम आवें, उसके अन्दर ताक़त भी बढ़े और बाहरी क़ूवत भी उसको मिल सके, इस ख्याल से इस बिल को बनाया गया है। गवर्नमेंट का जहां तक ताल्लुक है उसकी काफी जिम्मेदारियां हैं। गवर्नमेंट को बड़ी खुशी है अगर उसको युनिवर्सिटी के मामले में कुछ भी, कहीं पर, किसी बात में भी मशविरा देने की भी जरूरत न हो और युनिवर्सिटी सब कामों को खूबी के साथ खुद कर ले। जैसा कि मैंने कहा पार्टनरशिप और डिवीजन आफ लेबर का। कुछ काम में शुरू और कुछ दूसरा करे, कुछ तीसरा करे और सिर्फ यही नहीं कि किसी दूसरे के कहने से सिर्फ मैकेनिकल काम करे, बल्कि स्वतंत्रता से, अपनी बुद्धि का उपयोग करके, जिस उद्देश्य को हम सामने रखें, उसे पूरा करने के लिये आदमी काम करे। इसलिये मैं तो गवर्नमेंट के ही दृष्टिकोण से यह बात उचित समझता हूं कि युनिवर्सिटी का सब काम युनिवर्सिटी करे और युनिवर्सिटी कर सके, गवर्नमेंट को उसकी जिम्मेदारी में इजाफा करने की जरूरत न हो क्योंकि गवर्नमेंट को बजात खुद काफी बोझा उठाना होता है और गवर्नमेंट का काम हल्का होता है जब कि युनिवर्सिटी खुद अपने काम को कर लेती है। इसलिये गवर्नमेंट की कोई ख्वाहिश नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि युनिवर्सिटी की मदद करें, युनिवर्सिटी को ऊंचा उठाएं, युनिवर्सिटी की जो कुछ भी दिक्कतें हैं और तकलीफें हैं उन्हें हल करने में सहारा पहुंचायें। पर जहां तक भी मुमकिन हो युनिवर्सिटी के काम में, युनिवर्सिटी को अच्छे से अच्छा ढंग बरतने का मौका दें। बावजूद इन सब बातों के जो कि मूथम कमेटी रिपोर्ट में या किसी में कही गयीं, हमारा जो ऐप्रोच है वह पेनल ऐप्रोच नहीं है। बिलकुल ग़लत बात है कि हम युनिवर्सिटी के ऊपर कोई चीज लादना चाहते हैं। हम तो युनिवर्सिटी को जो कोई दिक्कतें आती हैं, उनको हल करने में जो कुछ मदद कर सकें वह करना चाहते हैं। यही गरज है। उसको सामने रखना चाहिये।

[श्री गोविन्दवल्लभ पंत]

यहां जो और बातें कही गयीं उसमें यह कहा गया कि युनिवर्सिटी की तरफ गवर्नमेंट की काफी मदद नहीं रही। यह एक तरह से सही है क्योंकि हम तो चाहते हैं कि युनिवर्सिटी के बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हों। हमारी युनिवर्सिटियां आक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, और वाशिंगटन के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस से अच्छी हों। उन्हें वह पद मिले जो कि दुनिया की दूसरी किसी युनिवर्सिटी का नहीं है। मैं सिर्फ इतना मानने को तैयार नहीं हूं जैसा कि झारखंडे राय जी ने कहा कि हम चीन के नाम पर अपनी युनिवर्सिटियां बनायें। चीन का नमूना युनिवर्सिटी को खत्म कर देता है। युनिवर्सिटी का काम होता है कि आजादी से लड़के सोच सकें। आजादी से टीचर रिसर्च कर सकें। सांइंटिफिक तरीके पर काम हो सके। यह नहीं कि सरकार के खिलाफ एक लफ्ज भी कहीं सोचें तो फेंक दिया जाय। बाज देशों में तो यहां तक हुआ है कि जो कि हेरिडिटी का साइंस है उसमें अगर कोई इस तरह की वैज्ञानिक बातें निकली हैं, कि हैरिडिटी का असर आदमी पर होता है, जो कि उससे पैदा होता है। जिससे यह बात कही उसको उस कालेज से निकाल दिया जाय। यह बात तो हमारी थियरी से ऐग्री नहीं करती। जिस किस्म के हम देखते हैं वैसे नहीं हैं। यह तो ब्लैंक स्लेट पर हर एक आदमी लिखता है, बच्चे पर कोई असर नहीं होता है। बराबर बराबर पैदा होते हैं। बराबर बराबर हर एक का दिमाग है। जो कहते हैं कि पहले का असर होता है यह वैज्ञानिक बातें नहीं मानी जा सकती हैं। उसको फाड़ कर फेंक दो। उस आदमी को अलग कर दो। वह साइंस नहीं है। मैं उस बात को नहीं चाहता मैं चाहता हूं कि प्रोफेसर्स आजादी के साथ अपनी रिसर्चेज कर सकें। सच्चाई पर पहुंचने के लिये जो कुछ बात करनी हो करें।

एक जिक्र यहां यह किया गया कि मैंने यूथ कांग्रेस की मीटिंग में जा कर कुछ कहा। और उसमें यह भी कहा कि वह कांग्रेस में भरती हों। खैर जो यहां कहा गया वह पूरे तौर से सही नहीं है। मैंने उनसे कहा कि मैं समझता हूं कि गांधी जी के सिद्धांत सब से अच्छे हैं। जहां तक मेरा जाती ऐतकाद है मैं समझता हूं कि कांग्रेस की नीति सब से अच्छी है। परन्तु हर आदमी को सोच समझ कर आजादी से अपने दिमाग को काम में लाना खास कर नवयुवकों को अपने लिये रास्ता निकालना इसके लिये उनका फर्ज हो जाता है ट्रथ को फालो करना, अपने कंविक्शंस के लिये जान तक दे देना, जिस बात को सही समझते हों उसका करना, जहां तक मेरा संबंध है मैं समझता हूं कि कांग्रेस की नीति, गांधी जी की नीति सबसे अच्छी है। परन्तु उनको मेरे ऐसा कहने से मान नहीं लेना चाहिये बल्कि स्वतंत्र रूप से कसौटी पर कस कर उनको देखना चाहिय क्योंकि इसी तरह पर वे सच्चाई के उस मर्म तक पहुंच सकेंगे जिस पर पहुंचना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्त्तव्य है। मैं चाहता हूं कि लोगों को कांग्रेस से सहानुभूति हो और मैं समझता हूं कि वही रास्ता सही है और हमारे देश के लिये वही सही रास्ता है, यह मेरा विश्वास है; पर जो लोग इसको न माने और ईमानदारी से दूसरी बात को समझें मैं नहीं चाहता उनको घसीटा जाय कांग्रेस में। उनको अधिकार है अपने विचार से चलने का और वे छोड़ दिये जायेंगे तो मुझे विश्वास है कि थोड़े दिन में वे खुद ही कांग्रेस में आ जायंगे और महसूस करेंगे कि उन्हें पहले गलतफहमी थी। इसलिये मैंने जो कुछ कहा उसको मैं सही समझता हूं और मैं समझता हूं कि यह बात होनी चाहिये और हमको युनिवर्सिटी में इस तरह पर काम करना चाहिये जिसमे कि बालकों में संयम हो, निर्भीकता हो, संस्कृति हो और सत्य का वे अन्वेषण कर सकें और मैं खुद यह समझता हूं कि उनको गांधी जी के सिद्धांतों को, जिनको हम समझते हैं और मानते हैं, अगर न मानते हों तो दूसरी बात है, उन्होंने सत्य और अहिंसा का जो उपदेश दिया है और उन्होंने जो यह बात कही है कि मीन्स की परवा होनी चाहिये एंड्स की नहीं, इन बातों को हमें मानना चाहिये और मैं समझता हूं कि ये सही हैं चाहे किसी के कुछ भी राजनैतिक विचार हों, जो इन बातों को मानेगा तो वह बहुत निकट कांग्रेस के आ जाता है। इसलिये मैंने जो पहले कहा वह अब कहता हूं।

श्री राजनारायण--वही सब तो कांग्रेस छोड़ चुकी।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--जो कांग्रेस में नहीं हैं वे तो ऐसा कहेंगे ही कि कांग्रेस ने यह छोड़ दिया, वह छोड़ दिया। इसमें सवाल आ जाता है फिजीशियन हील दाई सेल्फ का। वह बात तो अलग रही। मैं यह कह रहा था कि हमको जरूरत है इस बात की कि हम इन युनिवर्सिटीज में एक ऊंचे पैमाने से काम करने में मदद करें और उसको कमजोर न होने दें इसलिये कि हमको नई सन्तान को ज्यादा सुसंकृत बनाना है जो संसार के सामने अपनी इंटेलेक्चुअल माइंड से, अपने डिस्पिलिन से सब चीजों के प्रति इस तरह पर व्यवहार कर सकें और दुनिया को आगे ले जा सके जिससे हमारा देश ऊंचा हो सके, स्वावलम्बी हो कर सब कुछ कर सके।

इसके साथ यह कहा गया कि जो ये एसोसियेटेड कालेजेज हैं, उनके रहने देने से युनिवर्सिटीज का यूनिटरी या रेजीडिंशियल करेक्टर नहीं रहता। इस बारे में कोई बहुत बातें कहने की जरूरत नहीं है। यह भी कहा गया कि आज ये सब कालेजेज युनिवर्सिटी के अन्दर हैं। एसोशियेटेड कालेजेज, इविंग क्रिश्चियन कालेज, नैनी एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट और चौधरी महादेव प्रसाद कालेज ये सब एसोशियेटेड कालेजेज हैं। उनको इस बिल के जरिये एसोशियेटेड कालेजेज नहीं बनाया जा रहा है। जो मौजूदा पोजीशन है उसको इसके जरिये एक्सेप्ट किया गया है। कहा गया कि सन् ५२ में गवर्नमेंट ने युनिवर्सिटीज को एक चिट्ठी लिखी थी तब युनिवर्सिटीज ने ऐसा किया। युनिवर्सिटी किसी बात को गलत समझे और केवल गवर्नमेंट के चिट्ठी लिखने से कर दे ऐसी बात नहीं है। बार बार गवर्नमेंट ने कहा तुम डीयरनेस एलाउन्स मत दो, और कई किस्म के अखराजात मत करो परन्तु वे करते ही गये बावजूद हमारी हिदायतों के। लिहाजा हमारे करने से ऐसा किया हो यह बात नहीं है। अपनी मर्जी से उन्होंने किया, बहुत पहले युनिवर्सिटी उसे कर चुकी थी।

जहां तक इविंग क्रिश्चियन कालेज का संबंध है वह बी० एस० सी० ऐग्रिकल्चर, सन् ३० से है। जहां तक नैनी ऐग्रीकल्चर इंस्टीटीट्यूट का ताल्लुक है वह सन् १९३० से डिगरी देता है, युनिवर्सिटी के ऐग्रीकल्चर कालेज की तरफ से। जहां एक इविंग क्रिश्चियन कालेज का ताल्लुक है वह भी सन् १९५० से बी० एस सी० की डिगरी दे रहा है। इसलिये कोई ऐसी बात नहीं की गई। मगर सोचने की बात तो यह है कि करना क्या चाहिये। यह सोचने की बात है जिस पर हमको गौर करना है। युनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की संख्या बहुत बढ़ गयी। वह करीब करीब इस वक्त ६, ७ हजार के पहुंच गयी। अब युनिवर्सिटी की जो राधाकृष्णन कमीशन रिपोर्ट है वह यह कहती है कि टीचिंग एन्ड एफिलियेटिंग युनिवर्सिटी में २५०० से ज्यादा नम्बर नहीं होना चाहिये। अगर इससे ज्यादा नम्बर होता है तो फिर वह फेडरेटिंग युनिवर्सिटी के साथ हो जाना चाहिये। अब हमारे सामने सवाल आ जाता है कि हजारों लड़के इलाहाबाद जाते हैं और वह उस युनिवर्सिटी से शिक्षा पाना चाहते हैं। उनको उस युनिवर्सिटी से फायदा उठाने की ख्वाहिश है तो वहां पर क्या किया जाय। आपको मालूम होगा कि हमारे देश में जितनी युनिवर्सिटीज हैं उसमें मोस्टली टीचिंग युनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि वह एफिलियेटिंग ऐंड टीचिंग हैं।

कलकत्ता	युनिवर्सिटी	एफिलियेटिंग ऐन्ड	टीचिंग
बम्बई	,,	,,	,,
मद्रास	,,	,,	,,
मैसूर	,,	,,	,,
पटना	,,	,,	,,
लखनऊ	,,	...	,,
दिल्ली	,,	फैडरेटिंग	,,
नागपुर	,,	एफिलिएटिंग	,,
आन्ध्र	,,	,,	,,

[श्री गोविन्दवल्लभ पन्त]

आगरा	युनिवर्सिटी	एफिलियेटिंग	..
ट्रावन्कोर	,,	,,	टीचिंग
सागर	,,	,,	,,
उत्कल	,,	,,	..
राजपूताना	,,	,,	..
ईस्ट पंजाब	,,	,,	टीचिंग
गोहाटी	,,	,,	,,
पूना	,,	,,	,,
काश्मीर	,,	,,	..

अलीगढ़ युनिवर्सिटी और बनारस युनिवर्सिटी का नाम मैं यहां पर नहीं ले रहा हूं। आप देखेंगे कि जितनी भी युनिवर्सिटी हैं वह टीचिंग या एफिलियेटिंग हैं या फैडरेटिंग और टीचिंग हैं। इसलिये किसी भी युनिवर्सिटी के साथ २, ३ कालेज का होना कोई ऐसी अजीब बात नहीं है जिससे किसी को धक्का लगे। अब सवाल यह आता है कि हमको क्या करना चाहिये। कहा यह जाता है कि इलाहाबाद में जो कालेज हैं उनको आगरा युनिवर्सिटी से एफिलियेट कर देना चाहिये। अब सवाल यह होता है कि दरअसल में लड़कों का नुकसान न हो वही ठीक हो सकता है। इसमें वहां के कालेज का आगरा युनिवर्सिटी से एफिलियेट करना ठीक है या जो इलाहाबाद के कुर्बजवार में कालेज हैं उनका इलाहाबाद युनिवर्सिटी से एफिलियेट करना उचित है या जो उस युनिवर्सिटी से एसोशियेटेड कालेज हैं उनको वहीं रहने दिया जाय। आगरा युनिवर्सिटी से इस वक्त भी मैं समझता हूं कि ७० कालेज एफिलियेटेड हैं।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

आमतौर पर यह कहा जाता है कि एफिलियेटिंग युनिवर्सिटी में २५, ३० कालेज से ज्यादा नहीं होने चाहिये। आगरा युनिवर्सिटी सारे प्राविन्स को फीड करती है तो अब उसकी एफिसियेन्सी को मेंटेन करना चाहिये। अब सवाल यह आता है कि इलाहाबाद के करीब के जो कालेज हैं उनकी देखभाल और उनके स्टैंडर्ड को ऊंचा रखने का खयाल इलाहाबाद युनिवर्सिटी ज्यादा कर सकती है या उससे उनको निकालकर आगरा युनिवर्सिटी ज्यादा कर सकती है। यदि प्रैक्टिकल प्वाइन्ट आफ व्यू से देखा जाय और पब्लिक इन्टरेस्ट में यह बात देखी जाय तो यही उचित मालूम होता है कि उनका संबंध इलाहाबाद युनिवर्सिटी के साथ रहे। आगरा युनिवर्सिटी का हेड क्वार्टर जो वहां से करीब २५०, ३०० मील पड़ता है वह उनके लिये लाभदायक नहीं हो सकता है। इसलिये मेरी राय में इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं कि इन कालेजेज का संबंध इलाहाबाद युनिवर्सिटी से रहे ताकि उनका स्टैंडर्ड नीचा न गिरे। ये कालेजेज ग्रेजुएट और अन्डर-ग्रेजुएट का टीचिंग करते हैं, किसी एसोशियेटेड कालेज में एम० ए०, एम० एससी० या रिसर्च करने का अधिकार नहीं है। अब सोचना यह है कि वह बी० ए० और बी० एस सी० करके इलाहाबाद युनिवर्सिटी में ही आयेगा तो फिर उसकी तालीम इसी तरह की होनी चाहिये जो इलाहाबाद युनिवर्सिटी के स्टैन्डर्ड की ही हो जिससे वह इलाहाबाद युनिवर्सिटी में खप सके, यह बेहतर होगा या कि यह कि उसको आगरा युनिवर्सिटी से बांध दिया जाय जो इतनी दूर है, इसमें कौन सा तरीका ठीक होगा। यह एक प्रेक्टिकल सवाल है और हमें उसको इसी नजर से देखना चाहिये। मैं खुद यही पसंद करता हूं कि इलाहाबाद के जितने भी कालेजेज हैं वे पार्टस आफ दी युनिवर्सिटी ही हों, जो कि युनिवर्सिटी के रेजीडेंशल यूनीटरी सिस्टम में खप सकें लेकिन आज की स्थिति यह है कि युनिवर्सिटी के भी आधे से ज्यादा लड़के होस्टल मे नहीं रहते इसलिए गैर मुमकिन है कि सारे देश के लिये ऐसा इन्तजाम कर दिया जाय कि जो ऐसोशियेटेड कालेजेज के लड़के हैं उनको हम होस्टल में रख सकें। जब यह बात संभव नहीं है तो हमें यह भी मानना चाहिये कि इसका नेक्स्ट बेस्ट क्या

हो सकता है। यह सत्य है कि रेजीडेंशियल सिस्टम ही सबसे अच्छा सिस्टम आफ एजूकेशन है। लेकिन जब वह पासिबेल नहीं है तो हमें सेकेंड बेस्ट को ही कबूल करना चाहिये। दुनियां में जब कभी ऐसे मौके आते हैं तो हमें बेस्ट को ही कबूल करना पड़ता है और मैं चाहता हूं कि ये कालेजेज ज्यादा न बढ़ें लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी इलाहाबाद युनिवर्सिटी के लिये खतरे की बात होगी कि एसोशियेटेड कालेजेज को आगरा युनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट कर दिया जाय क्योंकि शायद इस सदन के सदस्यों को मालूम हो या न हो दिल्ली में पंजाब युनिवर्सिटी का कैम्प कालेज खुला जिसका नतीजा यह हुआ कि ६-७ हजार लड़के उस कैम्प कालेज में भर्ती हो गये जिसका एफिलियेशन दिल्ली युनिवर्सिटी से न हो कर दूसरी जगह था उसका एक नतीजा यह भी हुआ उसके एनरोलमेंट के बढ़ने में भी रुकावट पैदा हो गई। इसी प्रकार से अगर इलाहाबाद युनिवर्सिटी के पास ही डिग्री पाने का आसान तरीका कर दिया गया तो यह संभव हो सकता है कि वहां का स्टैंडर्ड आफ एजुकेशन गिर जाय और उसके एनरोलमेंट पर भी असर पड़ सकता है। इसलिये बजाय इसके कि उन कालेजेज को आगरा युनिवर्सिटी से एफिलिएट करके रक्खा जाय यही मुनासिब पड़ता है कि उनका एफिलिएशन इलाहाबाद युनिवर्सिटी से ही किया जाय जो उसके स्टेट्यूट्स के मुताबिक ही काम करें।

इसके अलावा यहां यह भी चर्चा कि गयी कि गवर्नर चांसलर हो या न हो। आज तक जितनी युनिवर्सिटीज हैं उनके चांसलर गवर्नर ही हैं सिवाय बनारस और अलीगढ़ के जिनके चांसलर हमारे प्रेसीडेंट हैं। सागर में एक युनिवर्सिटी और है जिसके चांसलर चीफ मिनिस्टर हैं। (किसी सदस्य के कुछ कहने पर) लेकिन मैं किसी भी प्रकार का और ज्यादा बोझा लेने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं समझता हूं कि चीफ मिनिस्टर के लिये वैसे ही काफी आफतें हैं फिर क्यों एक और आफत बढ़ाई जाय। (कुछ और कहे जाने पर) जब कोई अपना कर्त्तव्य न कर, अच्छाई की जगह बुराई करने लगे तो उसको लेना ही चाहिये और जो उसको अच्छा कर सके उसको देना चाहिये, अपने ऊपर नहीं लेना चाहिये। आप देखेंगे कि ईस्ट पंजाब में गवर्नर इज दि चांसलर, गुजरात में गवर्नर आफ बम्बे इज दि चांसलर, मद्रास में गवर्नर आफ मद्रास इज दि चांसलर, गौहाटी में गवर्नर आफ आसाम इज दि चांसलर, मैसूर में राज प्रमुख, सागर में चीफ मिनिस्टर, नागपूर में गवर्नर, ट्रावनकोर में राज प्रमुख, जम्मू काश्मीर में राज प्रमुख, राजपूताना में राज प्रमुख, रुड़की में चांसलर इज नामिटेटेड बाई दि स्टेट गवर्नमेंट, बम्बई में गवर्नर आफ बाम्बे, उत्कल में गवर्नर आफ उड़िसा, बड़ौदा में राजप्रमुख, उस्मानिया युनिवर्सिटी में प्राइम मिनिस्टर, विश्व भारती में प्राइम मिनिस्टर, आगरा में "गवर्नर इज दि चांसलर"। "आई थिंक यू उड नाट फारगेट दि चांसलर"। राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट में यह सब दिया हुआ है कि गवर्नर को चांसलर होना चाहिये। मूथम कमेटी रिपोर्ट में इस बात को पूरी तरह से बतलाया गया है कि क्यों ऐसा होना चाहिये —

"The Chancellor formerly acted in a dual capacity. When the Act of 1921 was passed the Governor of a province was a repository and not merely a symbol of executive power. As Chancellor of the University the powers exercisable by him were, in effect, though not strictly in the eye of the law, the powers of the Government. The position is now changed. The person holding the office of the Governor of the Uttar Pradesh exercises the rights and performs the duties conferred or imposed on him under the Act as Chancellor of the University and not as Governor of the State: and we are advised that in so doing he acts in the exercise of his individual discretion.

Upon the whole we are of the view that the Governor should continue to be Chancellor of the University (i) Governors are likely to be men of broad outlook and with a wide experience of public affairs extending beyond the confines of a single state (ii) A Chancellor who is also Governor will be an invaluable link between the University and Government, and in so far as he is Chancellor of other Universities of the State, between all such Universities (iii) The alternative of an elected Chancellor gives rise to a number of difficult problems of which the most outstanding would be

[श्री गोविन्दवल्लभ पन्त]

division of the powers now exercised by the chancellor between an elected Chancellor and the Government, for we think it must be recognised that the Government can not be wholly excluded from having some voice in the affairs of the University. It is sometimes overlooked that even in the United Kingdom where the Universit es possess a degree of academic freedom which is probably second to none the State has right powers over all major University legislation (*a*)."

तो इसके बारे में यही राय राधाकृष्णन कमीशन की भी है और जहां तक मुझे मालूम है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट या एक्जीक्युटिव कौंसिल ने इसके बारे में कभी कोई आपत्ति नहीं की और न कोई उज्र किया। जैसा सारा बिल था उसको देखकर भी उन्होंने इस बात को ठीक समझा कि गवर्नर ही चांसलर हो। गवर्नर को समय होता है। गवर्नर शिक्षा के विषय में अच्छी रीति से समझ सकता है। मुझे खेद है और इस बात का दुख है कि मौजूदा राज्यपाल जो कि शिक्षा को अपनी तरफ से अच्छे ढंग पर लाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी सबब से कुछ लोग, जो कुछ उन्होंने परिश्रम किया, उसकी कद्र नहीं करते हैं। उनके जो कुलपति के लेटर निकलते हैं उनको आप देख कर समझ सकते हैं कि उनका कैसा कल्चर है और वे कि तरह से इस किस्म की शिक्षा संबंधी बातों में सलाह मशविरा दे सकते हैं।

श्री राजनारायण—समटाइम्स मोस्ट रिएक्शनरी।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—रिएक्शनरी एक ऐसा टर्म है कि दायें जाते हैं तो राइटिस्ट हो जाते हैं, बायें जाते हैं तो लेफ्टिस्ट हो जाते हैं, बैक की तरफ जाते हैं तो रिएक्शनरी और आगे को चलते हैं तो फारवर्ड हो जाते हैं। तो यह बात ऐसी है जिसमें कोई रिअलिटी नहीं है। यह तो जिधर भी क़दम उठाते हैं उसको रिएक्शनरी कह सकते हैं। खैर, बात यह है कि सब ने इस बात को माना है कि ऐसा होना चाहिए।

अब सवाल यह रहता है कि वाइसचांसलर का क्या हो? हमने जो तरीका निकाला है उसमें यह है कि युनिवर्सिटी की आटानामी की रक्षा हो और उसके साथ साथ बेस्ट वाइसचांसलर हो सके। कई युनिवर्सिटी ऐसी हैं कि जहां पर चांसलर को कम्पलीट इंडिपेंडेन्स है कि वह जिसको चाहे वाइसचांसलर बना दे और उस नियुक्ति में युनिवर्सिटी से कोई सम्बन्ध नहीं होता और वह जिसको चाहता है केवल अपनी मर्जी से वाइसचांसलर बना देता है। हमने अपनी इस बिल में पहली शर्त रखी है कि कोई वाइसचांसलर नहीं होगा जिसका नाम युनिवर्सिटी से न आये। हमने जरा भी इस बात की आजादी नहीं छोड़ी है कि जिस आदमी का नाम युनिवर्सिटी की तरफ से न आये उसको वाइसचांसलर बनाया जाय, हमने इस बात की कोशिश की है कि सारी एक्जिक्यूटिव कौंसिल युनानिमस्ली एक आदमी को चुने ताकि वहां का काम उसके द्वारा अच्छे ढंग से हो सके। अगर वह एक बार एक नाम न दे सकें तो दोबारा फिर उनसे कहा जाय और फिर वह बैठ कर एक हो कर कोई नाम भेजें और अगर इत्तफाक से दूसरी बार भी वह न कर सकें तो तीसरी बार फिर मीटिंग करके कोई आदमी वह सजेस्ट करें। लेकिन अगर फिर भी वह कोई नाम न दे सकें तो भी हमने यह किया है कि वे सिन्गिल ट्रांसफरेबिल वोट द्वारा ३ नाम भेज दें और चांसलर उन्हीं ३ में से एक को वाइसचांसलर बनावेगा। इस तरह से फिर वह युनिवर्सिटी के ही आदमी को करेगा। एक मत हो तो ठीक है लेकिन अगर विभिन्न मत हों तो यह तरीका रखा गया है। इलाहाबाद युनिवर्सिटी में खासी राय इस तरह की है और यह खयाल है कि अगर मेजारिटी ओपिनियन से वाइस-चांसलर बनाया जायगा तो उससे वहां दिक्कतें हुई हैं और युनिवर्सिटी के लोगों ने बार बार मिल कर कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिये। उसके बाद यह तरीका निकाला गया। श्री नारायणदत्त जी ने जो नोट आफ डिसेंट दिया उसमें उन्होंने रखा है कि ३ आदमी हों, २ एक्जिक्यूटिव कौंसिल के नामिनी हों जो एक्सपर्ट हों तीसरा एक आदमी अकेडेमिक कौंसिल नामिनेट करे और वह तीनों मिलें और राय करें और वे ३ नाम भेज सकते हैं, वह एक्जिक्यूटिव कौंसिल के पास

जायं और अगर वह युनानिमस हो तो मान लें। लेकिन मैं उनसे पूछता हूं कि युनानिमस न हों तब उस हालत में क्या करें इसका जिक्र उनके नोट में नहीं है। हम भी कहते हैं कि जिसके लिये एक्जिक्यूटिव कौंसिल यूनानिमस हो वह होना चाहिये, लेकिन अगर यूनानिमस न हो, उसी के लिये यह तरीका जो मैंने बताया अपनाया गया है। हमने अपने इस तरीके में ३ बार मौका दिया है, एक बार, दो बार और तीन बार, इस तरह से अगर तीसरी बार भी एक राय न हो तो और क्या आटोनामी के बारे में सोचा जा सकता है और क्या इससे बेहतर तरीका हो सकता है जिससे यह काम ठीक हो सकता है। यह जो बात है कि एक एक्सपर्ट वहां का रखा जाय और दूसरा दूसरी जगह का और तीसरा बाहर का कोई आदमी आकर घर का मकान बनाये यह ठीक बात नहीं है। मैं समझता हूं कि जिन्हें उस घर में रहना है वही मिल कर बैठ कर यह सब तय करें तो बेहतर है। इसलिये आटानामी वालों को जो आजादी चाहते हैं युनिवर्सिटी की उनके लिये इसके अलावा कोई अच्छा नहीं लगता और न अच्छा लगना चाहिये और न वे आटोनामी में इस तरह के दखल को पसन्द करते हैं।

श्री राजनारायण—आपके कौंसिल में नामिनी भी तो होंगे?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—मैं समझता हूं कि अगर वह होंगे तो अक्ल से काम करेंगे मगर हैं या नहीं, मुझे मालूम नहीं है। मगर जहां तक जो ऐक्ट इस समय है उसमें गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेशन की बात थी हमने उसको अलग कर दिया और अब हमारे कोई मिनिस्टर उसमें नहीं रहेंगे। गवर्नमेंट अगर डामिनेट करना चाहती कि अपनी राय के मुताबिक करे तो अपने को खुद इस तरीके से क्यों इफेस कर देती। हमने अपने को अलग कर दिया। हमारे चांसलर को अब तक अधिकार था कि हमारे १५ आदमियों को नामिनेट कर दे लेकिन अब वह केवल ७ को निमिनेट कर सकता है। तो इस तरीके से जो सुप्रीम बाडी है उसमें से अपने को इस तरह से इफेस कर देने के बाद यह कहना कि हम अपना हाथ किसी तरह से उसमें डाल कर यूनिवर्सिटी में दस्तन्दाजी करना चाहते हैं मैं समझता हूं बहुत गलत बात होगी जैसा कि मैंने कहा हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है और हमारा कोई इरादा नहीं है। चांसलर को इस काम को करना है। चांसलर काफी तजुर्बा रखता है। हां, चांसलर हमारी मदद चाहे हम दे सकते हैं और मैं समझता हूं कि चांसलर को दिक्कतें आयेंगी तो मुमकिन है कि वह हमारी राय लें, हमसे पूछें और मुमकिन है कभी अगर कोई दूसरे साहब हों जो कि हमारे साथ के न हों उनसे भी समझ कि अक्लमन्दी की राय उनसे मिल सकती है उनसे भी कोई मशविरा करना चाहें, तो वह कर सकते हैं। मगर उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है उससे अच्छा तरीका कोई दूसरा हो नहीं सकता और इस तरह का वाइस-चांसलर आजादी से काम करता है गो कि दूसरी जगह हर हालत में यह है कि सबजेक्ट टु दि ऐप्रूवल अफ दि चांसलर होना चाहिये। लेकिन हमने सबजेक्ट टु दि ऐप्रुवल आफ दि चांसलर किसी भी हालत में नहीं रखा। "हि विल हैव टु ऐप्वाइंट आन दि यूनानिमस डिसीजन आफ दि एक्जीक्यूटिव कौंसिल" और यह भी नहीं युनानीमस न भी हो तो भी तीन नाम जो भेजे उनमें से एक को करना है। "देयर इज नो क्वेश्चन आफ सबजेक्ट टु दि ऐप्रूवल। हि हैज टु ऐप्वाइंट वन आफ दि थ्री।" तो इसमें हमने ज्यादा आजादी युनावर्सिटी को कायम रखी बनिस्बत उन तरीकों के जो बतलाये गये हैं।

कुछ इस बात का भी जिक्र हुआ है कि जो इसमें कमेटी आफ रिफरेंस बनायी गयी है उससे तो गवर्नमेंट इसमें अपना हाथ रखना चाहती है। शायद जिन साहबों ने यह कहा है उनको यह मालूम न हो कि इसी तरह की कमेटी, मगर वह फायनेंस कमेटी कही जाती है बनारस के लिये, अलीगढ़ के लिये और दिल्ली के लिये जो कि सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उन सब के लिये मुकर्रर है। और इस तरह के जैसे कि खर्चे इलाहाबाद युनिवर्सिटी में हुए हैं जिस तरीके से वहां की बातें हैं उसमें अगर ऐसी कोई कमेटी बन जाय तो उससे कोई नुक्सान नहीं हो सकता, क्योंकि कमेटी का कांस्टीट्यूशन ही ऐसा है। तीन आदमियों का रिप्रेजेंटेशन कोर्ट का होगा, दो आदमी एक्जीक्यूटिव कौंसिल के हैं। सिर्फ

[श्री गोविन्दवल्लभ पन्त]

दो आदमी गवर्नमेंट के नामनी आउट आफ सेविन हैं और पांच होंगे युनिवर्सिटी के। तो उसमें यह नहीं है कि कमेटी के काम में गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस होगा। वह तो लिमिट आफ एक्सपेंडीचर बता देगी कि कुल आमदनी २५ लाख या ५० लाख है उसके भीतर खर्च हो उससे ज्यादा खर्च न हो इसलिये सिर्फ लिमिट को डिटरमिन करने के लिये वह कमेटी है और इसके अलावा कमेटी में जो पांच आदमी हैं वह तो इन दो आदमियों को ओवररूल भी कर सकते हैं, आउट वोट कर सकते हैं। मगर इसका मतलब तो यह है कि वह वहां जाकर बतलावें कि कितना एक्सपेंडीचर हो सकता है। इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है बल्कि इसमें तो युनिवर्सिटी के इंटरेस्ट की बात है। अगर वे रहते हैं तो उससे युनिवर्सिटी का ही हित है। वे गवर्नमेंट को बतलावेंगे कि युनिवर्सिटी की यह-यह जरूरतें हैं और यह-यह कमियां हैं और उनको पूरा करने के लिये गवर्नमेंट को यह करना चाहिये। यह तो युनिवर्सिटी के इंटरेस्ट में ही है। युनिवर्सिटी के मामले में वह इंटरफियर नहीं करता, वह तो लिमिट बांधता है और इसके साथ ही साथ युनिवर्सिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्ज हैं उनको कहने का एक मौका मिलता है कि यह यह दिक्कतें हैं। लेकिन इससे सिवाय लाभ के नुकसान हो नहीं सकता। उसका काम तो सिर्फ यह है कि तुम्हारी इतनी आमदनी है इससे ज्यादा खर्च न करो और डिटेल में कि किस फैकल्टी पर कितना खर्च हो यह युनिवर्सिटी के हाथ की बात है।

कुछ जिक्र यह किया गया कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी को एक तरह से इस गवर्नमेंट की तरफ से भूखा रखा गया है और और जो युनिवर्सिटीज हैं वह बहुत फैयाजी से काम करती हैं। मैं उसके भी कुछ आंकड़े यहां बतला दूं तो शायद बहुत बुरा नहीं होगा। नारायणदत्त जी काफी किताबों को पढ़ा करते हैं। मुमकिन है कि उन्होंने उसको भी पढ़ा हो मगर उसका पूरा जिक्र उन्होंने यहां किया नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—यह कौन सी किताब है?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—एजूकेशन इन युनिवर्सिटीज इन इंडिया, स्टेटिकिल सर्वे, १९४९-५०। इसमें इलाहाबाद युनिवर्सिटी को स्टेट गवर्नमेंट से १० लाख १६ हजार रुपये का कांट्रीब्यूशन उस साल था और फीस से ९ लाख ५५ हजार की आमदनी थी। कुल खर्च ३१ लाख ७८ हजार था यानी जिसका कि करीब-करीब आधा स्टेट गवर्नमेंट ने दिया। और बड़ी-बड़ी युनिवर्सिटीज की लीजिये। बाम्बे युनिवर्सिटी को स्टेट गवर्नमेंट का कांट्रीब्यूशन ३४ लाख था। उनकी फीस की आमदनी ९४ लाख थी और उनका कुल खर्च १ करोड़ ४८ लाख था। इसमें गवर्नमेंट ने ३४ लाख दिया जो कि करीब-करीब ३० परसेंट से भी कम आता है। हमारा करीब ५० परसेंट आता है। अब दूसरी युनिवर्सिटी लीजिये कलकत्ता। कलकत्ता का गवर्नमेंट का कुल कांट्रीब्यूशन ४६ लाख ८७ हजार, फीस की आमदनी १ करोड़ ३६ लाख और कुल खर्च २ करोड़ ५ लाख। २ करोड़ ५ लाख में ४६ लाख गवर्नमेंट का कांट्रीब्यूशन है जो कि करीब २३ या २२ परसेंट के आता है...

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह एफीलियेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—एफीलियेटिंग युनिवर्सिटीज में लोग पढ़ते हैं या मुफ्त में घास खोदा करते हैं? मैं तो समझता हूं कि वहां भी टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं। उन पर भी खर्चा होता है और कुल खर्च युनिवर्सिटीज में इतना होता है। तो इसी तरह से मद्रास को लीजिये। मद्रास में कुल स्टेट गवर्नमेंट का कांट्रीब्यूशन है २० लाख, आमदनी फीस की ९६ लाख और कुल खर्चा १ करोड़ ४४ लाख, जिसके माने हैं स्टेट का कांट्रीब्यूशन एक्पेंडिचर में १५ परसेंट। यह मैंने आपको बड़ी-बड़ी युनिवर्सिटीज की बात बताई। अब ट्रावनकोर में १६ लाख ७७ हजार कांट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का और ५५ लाख कुल खर्चा। यानी यह भी ३० परसेंट से कम है।

अब दूसरी बात यह कि जो स्केल आफ सैलरीज है इलाहाबाद युनिवर्सिटी में दूसरों के कंपरेजिन में अगर मैं आपको उसके भी फीगर्स दूं तो ज्यादा अच्छा होगा। बड़ी-बड़ी युनिवर्सिटीज को अगर आप लें जैसे बम्बई तो वहां २०० से ५०० लेक्चरार, ४०० से ७०० तक रीडर और ८०० से १,००० तक प्रोफेसर रहता है। इसके मुकाबिले में इलाहाबाद में ३०० से ५०० तक लेक्चरार ५०० से ८०० तक रीडर और ८०० से १,२५० तक प्रोफेसर। आंध्र युनिवर्सिटी में १२५ से ३०० तक लेक्चरार, २०० से ६०० तक रीडर और ४०० से ७०० तक प्रोफेसर। आप देखेंगे आलमोस्ट आफ अवर स्केल। अन्नामलाई युनिवर्सिटी में सिवा इंजीनियरिंग टेक्निकल विभाग के, १०० से २५० तक लेक्चरार, २०० से २५० तक रीडर और ५०० से ७०० तक सेलेक्शन ग्रेड, और जो टेक्निकल इंजीनियरिंग में हैं उनको १,००० से १,७५० और सब को २००, ३००, ५०० से २५०, ५०० और १,००० तक है। कलकत्ता में १५० से ३०० तक लेक्चरार को एक और २०० से ५०० तक दूसरे युनिवर्सिटी के कुछ लेक्चरार के लिये, ५०० से ७०० तक रीडर के लिये और ८०० से १,००० तक प्रोफेसर के लिये। मद्रास में १५० से २५० तक, २०० से ५०० तक लेक्चरार के लिये, ४०० से ६५० तक रीडर के लिये और ६५० से १,००० तक प्रोफेसर के लिये और भी सब युनिवर्सिटीज का इसमें है जिनसे आप देखेंगे कि करीब-करीब सब से अच्छा स्केल हमारी युनिवर्सिटीज में मिलता है और इसलिये कोई हमारी न तो कंट्रीब्यूशन में कमी है और न स्केल कोई किसी तरह से खराब है। तो इसलिये जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक युनिवर्सिटीज से है वह तो एक युनिवर्सिटी की मदद करने और उसका साथ देने का है और मैं अब भी यह कहता हूं कि गो कि स्केल सैलरी का यह है और गोकि युनिवर्सिटी को इस तरह से ग्रान्ट मिलती है मगर वहां होस्टल्स की जरूरत, लाइब्रेरीज की जरूरत और लेबोरेटरीज की जरूरत, इस तरह की दसों चीजें हैं जिनको करना चाहिए और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को इस बात को सोचना होगा कि कहां तक इन बातों में और मदद उसे करना है, क्योंकि हम अपने लड़कों के लिये जहां तक सम्भव हो, सब साधनों को करना चाहते हैं। हमारे टीचर्स का स्केल अच्छा है, हमने युनिवर्सिटीज को काफी मदद दी मगर उतने से ही काम नहीं चलता तो हमें और चीजें भी देखनी पड़ेंगी। मैं यह भी नहीं मानता कि अगर गुंजाइश हो तो हम इनको और न बढ़ायें। मैं इसके भी खिलाफ नहीं हूं कि रीडर्स और लेक्चरार्स अगर हो सकें तो एक ही स्केल में हों। यह सब चीजें सोची जा सकती हैं। मगर जो कुछ हमने किया वह फ़ैयाजी से किया है, मुहब्बत से किया है और कोई चीज ऐसी नहीं थी कि जिसके लिये कि कोई उन्हें शिकायत हो सके या यह कहा जाय कि इनके साथ सौतेला व्यवहार गवर्नमेंट ने किया है। यह बात नहीं है, यह कहना ग़लत है। युनिवर्सिटी के साथ बहुत अच्छा सलूक गवर्नमेंट का रहा है और युनिवर्सिटी से कोई इस बात की जरूरत नहीं है कि वह शुक्रिया इस बात का अदा करें क्योंकि युनिवर्सिटीज तो हमारी ही हैं, उन्होंने हमको पढ़ाया, हम अपना फर्ज अदा करते हैं, उसको कायम रखना उनकी उन्नति करना हमारा फर्ज है। पर कोई फ़र्ज को अदा करे तो उसको नाशुक्र कहना भी एक सही बात नहीं है। उस हद तक जहां तक कि वह फर्ज अदा होता है, उसे मानना ही चाहिए। यह आप जानते हैं आज युनिवर्सिटी का २० लाख के करीब कर्जा है, ओवरड्राफ्ट का और हम उसको देंगे, जो कुछ भी ओवर ड्राफ्ट है उसको हम देंगे क्योंकि हम युनिवर्सिटी को पीसेज में तो नहीं जाने दे सकते। हम तो चाहते हैं कि हमारी युनिवर्सिटीज के टीचर्स आसमान में, हवा में उड़ सकें, युनिवर्सिटी के टीचर्स उस रिसर्च को कर सकें जो दुनियां के अच्छे से अच्छे प्रोफेसर कर सकते हैं। पर हम चाहते हैं कि उसी के साथ-साथ इस तरह से वह अपने ज्ञान का उपयोग करें चाहे एक घंटे की जगह ४ घंटे भी उनको वहां रहना पड़ जाय। मगर हर लड़के को वह अपने ज्ञान से फायदा पहुंचावें, उनके स्कालरशिप का अनुभव लड़कों को भी होता रहे। तो बजाय एकाध घंटे ही इस काम को देने के वह ज्यादा समय इसमें दें, जिससे लड़कों को उनसे अधिक से अधिक लाभ मिल सके। हम सदा इस बात को चाहते हैं कि युनिवर्सिटी के लोग रिसर्च का काम बड़ी खूबी के साथ कर सकें। लिहाजा कोई हमारी तरफ से इस बात में

[श्री गोविन्द वल्लभ पंत]

कसर नहीं है। मगर दूसरी बात हमें यह भी सोचनी पड़ती है। प्राइमरी एजुकेशन के टीचर्स को तनख्वाह बहुत कम है। उन लोगों ने सत्याग्रह भी किया, उनको दिक्कतें हैं। लड़के भी जो लाखों की तादाद में पढ़ के निकल रहे हैं उनके लिये भी इन्तजाम करना है। कुछ शिक्षा प्रणाली में भी बदलाव हो, जिससे कि वह शिक्षा ज्यादा ठीक हो सके और उसमें स्वावलम्बी भी वह बन सकें, इसका भी इन्तजाम करना है। मैं उनमें नहीं हूं कि जो समझते हैं कि हायर एजुकेशन को कम करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हायर एजुकेशन और बढ़े। यह बात दूसरी है कि उसके तरीकों में कोई तब्दीली हो मगर मोर ऐण्ड मोर नालेज मे ग्रो फ्राम मोर टु मोर, मैं इसको ठीक समझता हूं और मैं समझता हूं कि यह अच्छी बात है। मगर हमको यह भी देखना है कि चादर कैसी है, कितना कोट बन सकता है और कितना हम चल सकते हैं। अगर प्राइमरी स्कूल वालों के लिये कुछ भी, एक स्कूल भी नहीं है, उनके यहां जो लड़के पढ़ते हैं उनके लिये किताबें भी न हों तो फिर युनिवर्सिटी के टीचर्स और प्रोफेसर खुद जो कि सब से ज्यादा कल्चर्ड हैं, कहेंगे कि इनकी तरफ ध्यान दो, इनकी तरफ नजर दो। हम चाहते हैं कि उनका कंटेंटमेंट हो और सब से ज्यादा उनका कंटेंटमेंट होगा इस म्युचुअल तरीके पर अपनी ग्रोथ को देख कर। नालेज का बदलाव नहीं हो सकता। किसी गुरू का बदलाव इस सिक्के से नहीं हो सकता। वह एक रूहानी संतोष से ही मिल सकता है। इंडिया स्वतंत्र है और सारे मुल्क की बहबूदी उसके टीचर्स पर है। उसकी रहनुमाई टीचर्स की होगी। मैं चाहता हूं कि हमारा टीचर्स से ज्यादा सम्पर्क हो और टीचर्स समाज में अपना ऊंचा दर्जा पा सकें। लड़कों में काफी रोब रहे। दिखावटी डिसिप्लिन की बात नहीं है। लड़कों की श्रद्धा टीचर्स में हो। प्राचीन जमाने में पाटलीपुत्र और तक्षशिला में जैसे होता था वैसे लड़के अपने प्रोफ़ेसरों का आदर करें। इसलिये कोई जबरिया तरीक़े पर डिसिप्लिन का मौक़ा नहीं है। अपने गुरू की मिसाल को देख कर मनुष्य ऊंचा उठ सकता है। इसलिये हमारी इच्छा है कि हम युनिवर्सिटी के स्टाफ के लिये जो कुछ कर सकें वह करें और हम चाहते हैं कि वे और हम मिल कर सोचें कि किस तरह से हम देश के सारे मसलों को हल कर सकते हैं और किस तरीके पर हमारी और उनकी पार्टनरशिप हो। इस मुल्क को ऊंचा उठाना उनका हमसे भी ज्यादा फर्ज है। गवर्नमेंट तो आया और जाया करती हैं मगर टीचर्स और गुरुओं की ज्योति तो अपने सरस्वती मंडल से हमेशा निकला करती है। इसलिये भविष्य में उनका कर्तव्य हमसे बहुत ज्यादा है। हमारे बीच में शंका के रहने से काम ठीक नहीं हो सकता और आपस में पारस्परिक विश्वास पूरा होना चाहिये। आज जरूरत है दुनिया में, हमारे मुल्क में, अंडरस्टैंडिंग की। हम इस बात को चाहते हैं कि हमारे टीचर्स गुरू के दर्जे से ऊंचे उठें और हमारे जितने बालक हैं उनमें वह विद्वता, निर्भीकता और संस्कृति का लालित्य हो और सत्य के पीछे जाने की वह शक्ति हो जो किसी के सामने झुके नहीं। इस सबको हमारी युनिवर्सिटीज के लोग ही कर सकते हैं। इससे बड़ा और सुन्दर और मनमोहक काम क्या हो सकता है? इसलिये मैं उनसे यह प्रार्थना करता हूं कि इस काम को करने का उन्हें भगवान ने अवसर दिया है और वह इसे करें। हम उनसे अपने कामों के करने में आशीर्वाद चाहते हैं और चाहते हैं कि वे और हम मिल कर सफल हों। हम चाहते हैं कि हम सब मिल कर अपने देश को भरापूरा और सुसंस्कृत और उन्नत बना सकें और अपने ही देश को नहीं बल्कि समस्त संसार का भला कर सकें।

श्री काली चरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)--मैं वाद-विवाद समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी के भाषण के पश्चात् मैं समझता हूं कि भवन का और समय लेना शायद ठीक नहीं होगा। लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि जो विवाद इस भवन में पांच रोज से हुआ और उसमें जो आक्षेप किये गये वह बिल्कुल ही निराधार हैं। कभी भी इस बात का प्रयत्न नहीं किया गया और अब भी हम दावे के साथ यह कहना चाहते हैं कि इस विधेयक की पृष्ठभूमि में कभी भी यह विचार नहीं था कि हम इस विधेयक के द्वारा अपनी युनिवर्सिटीज पर अधिकार प्राप्त करें। युनिवर्सिटीज की आटोनोमी की बात कही गई। मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण में कहा था कि मैं स्वत: इसका पक्षपाती हूं और इसकी रक्षा भी करना चाहता हूं। लेकिन उस वक्त मैंने कहा था और आज भी कहता हूं कि चाहे आप इस आटोनोमी की परिभाषा जो कुछ भी करें, चाहे साधन या साध्य को मानें लेकिन जब असंख्य लोगों का धन अपने खजाने में इकट्ठा होता है और युनिवर्सिटीज को अनुदान देते हैं तो जनता को एक अधिकार यह अवश्य है कि वह युनिवर्सिटीज से मांग कर कि जिन आशाओं को लेकर उनको बनाया गया है उन आशाओं की पूर्ति युनिवर्सिटीज द्वारा होती है या नहीं। यदि उनकी पूर्ति नहीं होती है तो हम जनता से यह नहीं कह सकते हैं कि हम युनिवर्सिटीज की आटोनोमी की रक्षा कर रहे हैं और वही साध्य है और साधन का कोई सवाल नहीं है और तुम यह नहीं पूछ सकते हो कि युनिवर्सिटीज से उन आशाओं की पूर्ति होती है या नहीं।

जहां तक युनिवर्सिटीज के साथ सरकार के वर्ताव का प्रश्न है उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि सदैव सरकार का एक उदारता का बर्ताव रहा है और हम सदैव ही यही चाहते थे कि अधिक से अधिक सुविधायें विश्वविद्यालयों को उपस्थित करें, जिससे उनका विकास हो सके। इसका एक और उदाहरण मैं आप को देना चाहता हूं। आप को यह तो मालूम ही है कि इस समय हमारे प्रयाग विश्वविद्यालय के ऊपर २० लाख रुपये का कर्जा है। यदि वह कर्जा इसलिये किया गया होता कि सज्जा और सामग्री नहीं थी और उसके उपलब्ध करने के लिये खर्चा किया गया होता तब तो एक बात भी थी। लेकिन मूथम कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि १५ लाख रुपये में से १४ लाख रुपया खर्च किया गया डीयरनेस एलाउन्स देने में, पर्सनल पे देने में और कौस्ट आफ लिविंग अलाउन्स के देने में। लेकिन इस पर भी सरकार ने स्वीकार किया कि हम सारे का सारा कर्जा अदा करेंगे। श्रीमन्, मैं आप के द्वारा यह पूछना चाहता हूं कि इससे बढ़ कर उदारता का और क्या बर्ताव हो सकता था? तो इस विधेयक के पीछे कभी भी यह अभिप्राय नहीं था।

हां, यहां पर यह भी कहा गया है कि शिक्षा प्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके सम्बन्ध में यदि आप इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों को पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि जो शासन की पद्धति या प्रबन्ध की पद्धति है उसी में परिवर्तन किया गया है। जहां तक ब्लाक ग्रांट देने का सवाल है वह इस विधेयक का अंग नहीं हो सकता था। जब सप्लीमेंटरी डिमांड मैंने प्रस्तुत की थी तो आप ने देखा कि एक लाख रुपये से जमीन खरीदी गयी है होस्टल बनाने के लिये, लेकिन यह विधेयक का अंग नहीं हो सकता था। किसी ने कहा कि गांधीवाद इसमें नहीं पाते हैं तो यह भी विधेयक का अंग तो नहीं हो सकता था। जो धारायें इसमें रखी गयी हैं, यदि भवन या कोई माननीय सदस्य समझते हैं कि जिन त्रुटियों को दूर करने के लिये उनको रखा गया है वह त्रुटियां सत्य हैं और उनको दूर करने का प्रयत्न अवश्य होना चाहिए और इससे अगर बेहतर कोई तरीका बतलायेंगे तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि वह मेरे लिये पूर्णतया मान्य होगा। हम केवल यही चाहते हैं कि हम अपने विश्वविद्यालय के वातावरण को सुन्दर रखें, पवित्र रखें, उनका विकास सम्भव हो सके, जिनमें कि हमारे विद्यार्थियों का जीवन निर्माण हो सके। यही तो विश्वविद्यालयों का अभिप्राय है और उसी अभिप्राय की पूर्ति के लिये उनको रुपया दिया जाता है। लेकिन अगर यह अभिप्राय ही हट गया और वे दूसरे झंझटों में फंस गये तो इस विधेयक से केवल इस बात का प्रयत्न किया गया है

[श्री हरगोविन्द सिंह]

कि वे झंझट उससे दूर हो जायं, कम से कम एलेक्शन हों। इसके पीछे और कोई दूसरा अभिप्राय नहीं है। मैं समझता हूं कि इस अभिप्राय की पूर्ति शायद इससे कुछ अंशों में हो जायगी। यह कहना कि इस बिल द्वारा हम इस विश्वविद्यालय में जो त्रुटियां आ गई हैं उनको दूर कर लेंगे, मैं समझता हूं यह अनाधिकार चेष्टा होगी। ये त्रुटियां किसी कानून से नहीं दूर हो सकतीं। विश्वविद्यालय तो विद्यार्थियों और अध्यापकों का एक संगठन है, दोनों को मिल कर ही आपस में काम करना पड़ेगा और जिस जगह वे काम करते हैं उसी को हम विश्वविद्यालय की संज्ञा देते हैं। तो ये दोनों मिल कर अगर पठन-पाठन का कार्य नहीं करेंगे, आदान-प्रदान का कार्य नहीं करेंगे तो उन आदर्शों की पूर्ति नहीं हो सकती। इसी कारण, जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा, हम अधिक से अधिक अपने अध्यापकों को संतुष्ट रखना चाहते हैं लेकिन हम यह जरूर चाहते हैं कि वह कम से कम अपना कार्य भी करें। इसी मूथम कमेटी रिपोर्ट में यदि आप देखें तो लिखा है और मैं तो देख कर दंग रह गया कि हफ्ते भर में चार घंटे उन्होंने काम किया है। यानी एक घंटा प्रति दिन भी नहीं पड़ता है। और रिसर्च के बारे में उन्होंने लिखा है कि इतने दिनों से कोई रिसर्च पेपर वहां नहीं आया है। हां, महावीर प्रसाद जी कह सकते हैं कि मूथम कमेटी की रिपोर्ट बिलकुल गलत है। मैं तो यह नहीं समझता कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कोई विद्यार्थी त्रुटियों को देखते हुये भी इस बात में बड़ा गर्व ले और वह यह कहे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय बिलकुल स्वच्छ है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। मैं समझता हूं कि यह विश्वविद्यालय के प्रति कोई गर्व की बात नहीं है। अगर उसमें त्रुटियां हैं तो हम सब का एक सम्मिलित प्रयास होना चाहिये। तो इसी एक अभिप्राय से यह विधेयक इस भवन के सामने प्रस्तुत है। जो प्रस्ताव है कि इसको फिर प्रवर समिति के पास भेज दिया जाय मैं समझता हूं कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक अंग में जो इस विधेयक के हो सकते हैं उन सब पर सेलेक्ट कमेटी में विचार हो चुका है और उससे निकल कर ही यह विधेयक भवन के सामने प्रस्तुत है। इसको फिर वहां भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं उस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब मैं श्री तेज प्रताप सिंह के संशोधन को पहले ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पुनः एक प्रवर समिति के विचारार्थ भेजा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा २ का संशोधन।

२—इलाहाबाद युनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा (२) में—

(१) खंड (*a*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(*a*) 'College' means a unit of residence for students of the University maintained or recognised by the University in accordance with the provisions of this Act in which supplementary instruction is provided under conditions prescribed in the Statutes."

(२) खंड (*a*) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (*aa*) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(*aa*) 'Associated College' means an institution recognised by the University and authorised under the provisions of this Act to impart all the teaching necessary for admission to a degree of the University."

(३) निम्नलिखित को खंड (*d*) और (*e*) के रूप में रख दिया जाय—

"(*d*) 'Management' means the Managing Committee or other body charged with managing the affairs of an institution, recognised by the University."

"(*e*) (Non-Collegiate) Delegacy means the authority charged under this Act with the care of students of the University not residing in or attached to a college or a hostel."

(४) खंड (*f*) में शब्द " college " के पश्चात् शब्द "or an Associated College" बढ़ा दिये जायं।

(५) खंड (*g*) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (*gg*) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(*gg*) 'Student of the University' means a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction duly instituted but does not include a person enrolled in an Associated College."

(६) खंड (*i*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(*i*) 'Teacher of the University' means a person appointed by the University to give instruction for degrees or to guide or conduct research, in the University."

(७) खंड (*l*) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (*m*) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(*m*) 'State Government' means the Government of Uttar Pradesh."

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं :—

खंड २ को निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय :—

"२—इलाहाबाद युनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है (की धारा (२) में :—

(१) खंड (*a*) के स्थान पर खंड (*b*) को रख दिया जाय और उसको खंड(*a*) माना जाय और खंड (*a*) को खंड (*b*) मान कर निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय :—

"(*b*) 'College' means a unit of residence for students of the University maintained or recognised by the University in accordance with the provisions of this Act in which tutorial and other supplementary is provided under conditions prescribed by the statutes."

(२) निम्नलिखित को खंड (*b*) के रूप में रख दिया जाय :—

"(*d*) 'Delegacy' means the authorityc harged under this Act with the care of the students of the University not residing in or attached to a college or a hostel."

[श्री जोरावर वर्मा]

(३) निम्नलिखित को खंड (*e*) के रूप में रख दिया जाय :—

"(*e*) 'Student of the University' means a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction duly instituted."

(४) खंड (*i*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(*i*) 'Teacher of the University' means a person appointed by the University to give instruction for degrees or to guide or conduct research in the University."

(५) खंड (*l*) के पश्चात निम्नलिखित खंड (*m*) के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"(*m*) 'State Government' means the Government of Uttar Pradesh."

अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को रखने का मेरा प्रथम प्रयोजन तो यह है कि यह जो इसमें नम्बरिंग (क्रम संख्या) की गयी है वह मैं चाहता हूं कि फिर से इसको रिनम्बर कर दिया जाय। इस ऐक्ट का जो पुराना खंड है उसमें मैंने पहले संशोधन रखा है कि खंड "ए" के स्थान पर "बी" रख दिया जाय और उसको खंड "ए" माना जाय। ऐक्ट में खंड "बी" में यह है कि "Limits of the University" means the territorial limits within which colleges as defined in clause (*a*) may, under this Act, be situated.

अध्यक्ष महोदय, जो यह अमेंडमेंट रखा गया है, उसमें मैं समझता हूं कि इसमें टेरिटोरी की जो लिमिटेशन है वह प्रथम आनी चाहिये और कालिज और दूसरी जो डेफिनीशंस हैं.....।

श्री अध्यक्ष—इसमें भी तो आपको परिवर्तन करना होगा। जो आप "बी" को "ए" करना चाहते हैं, उसमें इन क्लाज "ए" लिखा हुआ है तो उसको "बी" करना होगा, वह आपने नहीं किया है। आपके संशोधन में यह बात रह गयी है वह भी आनी चाहिये थी। खैर आप जारी रखें अपना भाषण, वह तो कांसीक्वेंशल संशोधन होगा, मैं उसको कर सकता हूं।

श्री जोरावर वर्मा—दूसरा यह कि निम्नलिखित खंड "डी" के रूप में रख दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, सम्भवतः पुराने ऐक्ट, १९२१ में यह डिलीट कर दिये गये होंगे। मैं चाहता हूं कि जो यह नये सेक्शंस रखे गये हैं उनको "डी" और "ई" के रूपमें रख दिया जाय "डी" इस तरह से रख दिया जाय :—

"Delegacy" means the authority charged under this Act with the care of the students of the University not residing in or attached to a college or a hostel.

इसी तरह से "ई" सेक्शन में चाहता हूं कि उसके स्थान पर रख दिया जाय। जो सेक्शन्स डिलीट (छोड़) किये गये हैं उनके अनुसार एक क्रम, तारतम्य बंध जाता है क्योंकि अगर ऐसा न रखा जायगा तो बीच में जो डिलीटेड सेक्शंस रह जायेंगे, किसी को (जी) या (जी-जी) इसी तरह से जोड़ना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि हमारा जो ऐक्ट है इसमें दिया हुआ है कि युनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शंस देगी। लेकिन इसमें ट्यूटोरियल शब्द छोड़ दिया गया है जो दूसरे का (ए) खंड है, इसमें ट्युटोरियल शब्द जोड़ दिया जाय, क्योंकि ट्युटोरियल क्लास का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आमतौर पर जो क्लासेज होते हैं उनमें बहुत से स्टूडेन्ट्स होते हैं। लेकिन ट्यूटोरियल क्लास में बहुत ही कम विद्यार्थी होते हैं। ट्युटोरियल क्लास के जरिये स्टूडेन्ट्स और टीचर्स का कंटेक्ट (मेल जोल)

बढ़ता है और जैसा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी कहा, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, उन्होंने प्रायः इस बात को नेगलेक्ट किया है कि उन्होंने जो विशेष ज्ञान प्राप्त किया है वह विद्यार्थियों में उस ज्ञान को फैलाने में असमर्थ रहे हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि आजकल की परिस्थिति में स्टूडेंट्स और टीचर्स का कंटैक्ट नहीं हो पाता है। उसका एक मुख्य कारण यह है कि क्लासेज जिस रूप में आज चल रहे हैं वह बड़े-बड़े क्लासेज होते हैं, टीचर का स्टूडेंट्स से पर्सनल कंटैक्ट (निजी पहुंच) नहीं हो पाता है।

श्री अध्यक्ष—आप चाहते हैं शब्द "सप्लीमेंटरी इंस्ट्रक्शंस", लेकिन "इंस्ट्रक्शंस" शब्द आपके संशोधन में नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा—श्रीमन्, "इंस्ट्रक्शंस" शब्द रह गया है, इसको रख दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि आज कल जो व्यवस्था हमारी यूनिवर्सिटी में चल रही है वह इस प्रकार की है कि प्राफेसर जो हैं वह क्लास में पढ़ाते हैं। इसमें पहले से यह परिपाटी है कि इसमें ट्युटोरियल क्लासेज भी हों। लेकिन जो संशोधन बिल है वह इस ट्युटोरियल क्लास को अलग कर देना चाहता है। अध्यक्ष महोदय, जबकि इस परिस्थिति में ट्युटोरियल क्लास का प्राविजन है तब तो स्टूडेन्ट्स और टीचर्स का कंटैक्ट होना बहुत ही दूर रहा है, और जब ट्युटोरियल इंस्ट्रक्शंस को हटा दिया जायगा तो मैं समझता हू कि जो हमारे मुख्य मंत्री जी ने अभी विचार व्यक्त किये हैं और जिस उद्देश्य से यह अमेंडिंग बिल पेश किया गया है कि टीचर्स और स्टुडेन्ट्स का कंटैक्ट जितना अधिक हो सके उतना अच्छा है, सम्भवतः वह बहुत दूर हो जायगा। क्योंकि ट्युटोरियल क्लासेज में एक टीचर १० या कुछ थोड़े से विद्यार्थियों को लेकर बैठता है और जिस विद्यार्थी को कोई अलग से जो दिक्कत होती है उसको दूर करता है और कोशिश करता है कि उसने जो कुछ विशेष ज्ञान अर्जन किया है वह प्रत्येक विद्यार्थी को जैसी उसकी आवश्यकता है उसे प्रदान कराये, इससे विद्यार्थी को भी सहूलियत होती है। जो विद्यार्थी कमजोर होते हैं, या पिछड़े होते हैं वे बड़ी-बड़ी क्लासेज में अपने टीचर से कांटेक्ट करने में या पूरी क्लास के सामने कुछ पूछने में संकोच महसूस करते हैं। इसलिये क्लास में ऐसे विद्यार्थी साहस नहीं कर पाते हैं कि उन्हें जो कठिनाई है वे दूर कर सकें और टीचर से क्लास के सामने कुछ पूछें। इसलिये ट्युटोलियल क्लास के इंस्ट्रक्शंस का होना इस बिल में बहुत आवश्यक है क्योंकि जो शब्द 'and tutorial' डिलीट कर दिया गया है और इससे मैं समझता हूं कि जो अमेंडिंग बिल का अर्थ होगा वह इससे दूर हो जायगा क्योंकि आज कल शिक्षा देने के लिये व्यवस्था यही होनी चाहिये कि जितना अधिक विद्यार्थियों और टीचर्स का कांटैक्ट होगा उतनी ही मैं समझता हूं कि शिक्षा में वृद्धि होगी और जो ज्ञान टीचर ने प्राप्त किया है उसे विद्यार्थी उससे प्राप्त कर लेगा। कभी-कभी ऐसा भी होगा जैसा कि प्रायः होता भी है कि विद्यार्थी अपनी शंकाओं के द्वारा ऐसे-ऐसे प्रश्नों को उपस्थित करते हैं जैसे प्रश्न टीचर के सामने भी पहले कभी नहीं आये थे और उसके ज्ञान पर जो पर्दा पड़ा हुआ था विद्यार्थी के प्रश्न के कारण उसे मौका मिलता है कि विद्यार्थी और वह मिल कर जो कठिनाई विद्यार्थी के सामने उपस्थित होती है उसे दूर कर लिया जाय। अध्यक्ष महोदय, ये ऐसे आवश्यक शब्द हैं कि इनको हटा देने से मैं समझता हूं कि अमेंडिंग बिल का जो अर्थ है, जो इसकी इच्छा है, जिस पर कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं जोर दिया है कि विद्यार्थी और टीचर्स में कन्टैक्ट नहीं है और हफ्ते में ४ घंटे भी पढ़ाई नहीं होती है, फिर तो इस शब्द को हटा देने से मैं तो समझता हूं कि वह जो उनकी विचारधारा है उसके विपरीत वे बिल को ले जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक धारा है खंड (a) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (aa) के रूप में बढ़ा दिया जाय। उसको मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं :—

"(*aa*) 'Associated College' means an institution recognised by the University and authorised under the provisions of this Act to impart all the teaching necessary for admission to a degree of the University."

[श्री जोरावर वर्मा]

अध्यक्ष महोदय, यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि यह जो उपखंड (aa) रक्खा गया है यही एक खंड ऐसा है जो इस समय इलाहाबाद युनिवर्सिटी ऐक्ट है, उसको कम्पलीटली चेंज (पूर्णरुपेण परिवर्तित) कर देता है। अब तक जो इलाहाबाद युनिवर्सिटी ऐक्ट है उसके अनुसार विश्वविद्यालय का जो यूनीटरी और रेजिडेंश्यल करेक्टर है वह वैसा ही है जैसा कि होना चाहिये और उसी के अनुसार पढ़ाई होनी चाहिये। इस बात को उसमें बताया गया है लेकिन माननीय मंत्री जी ने प्रिएम्बिल (प्रस्तावना) में तो यह रक्खा है कि यूनिटरी टीचिंग और रेजिडेंश्यल करेक्टर तो रहेगा लेकिन इस धारा के अनुसार एसोशिएटेड कालेजेज को रिकगनीशन (मान्यता) मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह बतलाया कि उनकी समझ में यह नहीं आया कि जो वहां दो तीन कालेजेज हैं जिनको आलरेडी पहले से ही युनिवर्सिटी एफिलियेट किये हुये है और इस बिल के द्वारा उसको लीगेलाइज (वैध) किया जा रहा है तो पता नहीं लोगों को क्यों एतराज है। अध्यक्ष महोदय, इस बिल में ऐसा कोई प्राविजन नहीं है जिससे कि यह प्रकट होता हो, यह निश्चित हो कि जो बिल के बनाने वाले हैं या जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं उन्होंने कहीं यह बात इसमें निश्चित की हो कि इस वक्त इलाहाबाद युनिवर्सिटी में इस वक्त जो कालेजेज एफिलियेटेड हैं यही रहेंगे और भविष्य में कोई कालेज उससे एफिलियेट न होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि इस समय जो एफीलियेटेड कालेजेज हैं उनकी आड़ में इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय को आगरा विश्वविद्यालय के रूप में परिणत किया जा रहा है और यही उसका छिपा हुआ गूढ़ रूप है। इसका विरोध किये बिना भला हम कैसे रह सकते हैं?

श्री अध्यक्ष—अभी आपका भाषण जारी रहेगा?

श्री जोरावर वर्मा—जी हां।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;

११ अक्तूबर, १९५४।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६ पर।)

प्रश्न संख्या ३ से संबंधित सूची

कुमायूं डिवीजन के पटवारियों तथा कानूनगोयान को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधायें इस प्रकार हैं:—

	वेतन	भत्ते व अन्य सुविधायें
पटवारी—	रु०	
१—पर्वतीय भाग के पटवारी	६०—१ १।२—९०	मंहगाई भत्ता २५), गांवसारा भत्ता १५), स्टेशनरी भत्ता १=), मुफ्त मकान अथवा मकान किराया ४) ।
२—मैदानी भाग (नैनीताल जिले की काशीपुर तहसील) के लेखपाल ।	३५—१—५५	मंहगाई भत्ता १२), स्टेशनरी भत्ता ।।), यात्रा भत्ता ४) ।
कानूनगो—		
१—पर्वतीय भाग के सुपरवाइजर कानूनगो ।	८५—५—१२०—५—१५०	मंहगाई भत्ता २५), वेतन-क्रम के आधार पर अथवा ३०), यात्रा भत्ता १५), गांवसारा भत्ता ३०), स्टेशनरी भत्ता ।।।) ।
२—मैदानी भाग नैनीताल जिले की काशीपुर तहसील ।	७५—४—९५—५—१२५	मंहगाई भत्ता २५), अथवा ३०), यात्रा भत्ता १२।), कम्पेन्सेटरी भत्ता १०), जलवायु भत्ता १९।) ।

नोट—कुमायूं डिवीजन के मैदानी भाग अर्थात् नैनीताल जिले की काशीपुर की स्थिति राज्य के अन्य जिलों के समकक्ष मानी जाती है ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७ पर।)

प्रश्न संख्या २८ से संबंधित संलग्न सूची

गुरुली
लैवा लालसा
पैकोली खुर्द
बड़हरा चरगहा
कैगा
सवया
खसरारी
चैनपुर
सोनबरसा
मटमछिया
रानपुर
मझिया
मधौलिया
अहराली
मुडंरी
शेषपुर
माजाबंदी
पाखर झंडा
घांडनर
कैनी

वसुली
सोहसा
कोल्हुआ
मरगाही
पठखौली
मिठौरा देउरवा
लोहेपार
रजबलमदरहा
पियरिया
हरपुर पकड़ी

मगरहा
बिलासपुर
ससवा बु०
ससवा खुर्द
बीजापुर
रामपुर
गौरी
बिन्दौलिया

इन्दरपुर
किसुनपुर
सुगौली
मुंडरा
बैलवा
चनकौली
डांमरा
हरखपुरा
अवरडिया
जंगल जरलहा
उर्फ बड़हरा

जंगल जरलहा उर्फ जद्दी
लक्ष्मीपुर
रानीपुर
कनवा दोयम
जहिरोली
नरकटहा
गरवास
अनकपुर
कनवा अव्वल
जंगल करवहा उर्फ आराजी
सूचितपुर

जंगल दुबई उर्फ चैहरी
आराजी जगपुर
लैदवा
रामपुर मिर
जगपुर उर्फ सलामतगढ़
नारायणपुर
मखलिया
पटखोली
विश्वनाथपुर
दैढ़या
खागपुर
पोहरिया
जोगिया
मूअना
मुअनी
बिरोचा
घुघली खुर्द
बघाल खड़ेसर
महनीपुर

मंगलपुर पठखौली
पकरियार बिसुनपुर
घिसवा उर्फ कोटिया
ढ़ोढ़िला
घुघुली बु०

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७१ पर ।)

प्रश्न संख्या ३६ से संलग्न सूची

नाम तहसील	स्थान जहां नावें हैं	तादाद नाव
बहराइच ३ नावें	लालपुर खेदरा	१
	रघुनाथ पुर	१
	परखोतमपुर	१
	योग	३
नानपारा ५ नावें	तकयाघाट	१
	झुन्डी घाट	१
	गायघाट	१
	कोड़बा घाट	१
	पथरहया घाट	१
	योग	५
कैसरगंज २१ नावें	घाघरा घाट	१
	कोन्डारी नेवाजिश अली	१
	हरचन्दा	१
	जरवल	२
	लोदौर	१
	गुथया	५
	नोगुयां	२
	बदरौली	२
	रुकनापुर खुर्द	१
	मझरा तकली	१
	बौडी	२
	हरदी	२
	योग	२१

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २० पर)

उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (राष्ट्रीय नियोजन ऋण) (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५४

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सदस्यों को राष्ट्रीय नियोजन ऋण योजनाओं में अपना उचित योग देने के लिये समर्थ बनाने के निमित्त तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद १९१ के खंड (१) के उपखंड (क) के अधीन उक्त प्रकार के योग देनेके कारण उन्हें उत्पन्न होने वाली अनर्हता के विरुद्ध व्यवस्था करने क।

विधेयक

देश के उत्थान के निमित्त परियोजनाओं (Projects) को वित्तपोषित करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार ने नेशनल सेविंग्स सार्टिफिकेट जारी करने की योजना (Scheme) प्रचलित की है ।

इस राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में विधान मंडल के सदस्यों को अपना उचित योग देने के लिये समर्थ बनाने के निमित्त भारत के संविधान के अनुच्छेद १९१ के खंड (१) के उपखंड (क) के अधीन उक्त प्रकार का योग देने के कारण (by so partaking) उन्हें उत्पन्न होने वाली अनर्हता के विरुद्ध तत्काल व्यवस्था करना आवश्यक है ।

अतएव भारत के गणतंत्र के पांचवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (राष्ट्रीय नियोजन ऋण) (अनर्हता निवारण) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

परिभाषायें ।

२—इस अधिनियम में विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर—

(क) "गवर्नमेंट सिक्योरिटी" का वही अर्थ होगा जो इंडियन सिक्योरिटी ऐक्ट, १९२० में उसे दिया गया है,

(ख) "नेशनल प्लैन सर्टीफिकेट" (राष्ट्रीय नियोजन प्रमाण-पत्र) में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

(१) बारह वर्ष का नेशनल सेविंग्स सर्टीफिकेट (12 years' National Savings Certificate),

(२) दस वर्ष का नेशनल प्लैन सर्टीफिकेट (10 years' National Plan Certificates),

(३) अन्य कोई बचत का प्रमाण–पत्र (Savings Certificate) या गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसे राज्य सरकार इस सम्बन्ध में विज्ञापित करे, और

(ग) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ।

३--एतद्द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश विधान सभा अथवा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने के लिये और सदस्य रहने के लिये इस कारण अनर्ह (disqualified) नहीं होगा और न कभी अनर्ह हुआ समझा जायगा कि वह नेशनल प्लैन सर्टीफिकेट्स को, भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निश्चित कमीशन पर अथवा बिना ऐसे कमीशन के, बिक्री कार्यान्वित करने अथवा उनके निमित्त चन्दा एकत्रित करने के लिये अभिकर्ता (agent) है अथवा भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन इस प्रकार का अन्य पद ग्रहण किये हुए है। राज्य विधान मंडल की सदस्यता के लिये अनर्हता का निवारण।

उद्देश्य और कारण

देश के उत्थान के निमित्त परियोजनाओं (Projects) को वित्तपोषित (finance) करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार ने नेशनल सेविंग्स सर्टीफिकेट जारी करने की योजना (scheme) प्रचलित की है। यह आवश्यक समझा गया है कि इस योजाना को कार्यान्वित करने में उचित योगदान के कारण राज्य विधान मंडल के सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद १९१ के खंड (१) के उपखंड (क) के अधीन विधान मंडल के सदस्य बने रहने अथवा चुने जाने के लिये अनर्ह न हो जायं। उक्त आशय से यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

अली ज़हीर,
न्याय मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १८१ एल० ए०--१९५४--८५० ।